वार्षिक रिपोर्ट

2018-2019

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

okf"kZd fjiksVZ
2018&2019

oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku

lsDVj&24] uks,Mk & 201 301 ¼m-iz-½

प्रकाशक : वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा – 201 301, उ.प्र.

प्रतियों की संख्या : 150

यह रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in से
डाउनलोड की जा सकती है।

मुद्रण स्थान : चन्दू प्रेस, डी–97, शकरपुर
दिल्ली – 110 092

विषय-सूची

- çEk[k miyfC/k;k — 1
- lLFkku dk fotu vkj fe'ku — 12
- lLFkku dk vf/kn'k — 13
- lLFkku dh Lkjpuk — 14
- vul/kku — 18

  श्रम बाजार अध्ययन केंद्र — 19

  कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद्र — 25

  राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र — 28

  रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र — 35

  एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम — 36

  लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र — 43

  पूर्वोत्तर केंद्र — 53

  श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र — 57

  जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र — 59

  अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र — 60
- fo'k"k dk;Øe@nkj — 63
- çf'k{k.k vkj f'k{kk — 68
- ,u- vkj- M Je lpuk llk/ku dn — 85
- jktHkk"kk uhfr dk dk;kUo;u — 87
- çdk'ku — 89
- i{k leFku vkj çlkj — 92
- lLFkku d b&xouL ,o fMftVy voljpuk dk mUu;u — 95
- depkfj;k dh l[;k — 96
- QdYVh ,o vf/kdkfj;k dh lph — 97
- y[kk ijh{kk fjikVZ vkj y[kkijhf{kr okf"kd y[kk 2018&2019 — 99

çEk[k miyfC/k;k
(2018-2019)

- Okh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] Je ,o lcf/kr ennk ij vuql/kku] çf'k{k.k] f'k{kk] çdk'ku ,o ijke'k dk;l dju okyk ,d vxz.kh lLFkku g| 1974 में स्थापित यह संस्थान श्रम एंव रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का iu% ukedj.k 1995 e] Hkkjr d Hkrio jk"Vifr ,o çfl) VM ;fu;u urk Jh oh- oh- fxfj d uke ij fd;k x;kA
- ,d fo'oLrjh; çfrf"Br lLFkku d :Ik e mHkjuk% संस्थान ने विश्व स्तर के एक प्रतिष्ठित संस्थान और कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य–संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध श्रम अनुसंधान एवं शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के प्रयासों को जारी रखा।
- Ukhfr&fuek.k d fy, Kku dk vk/kkj% संस्थान ने 23 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कीं जिन्होंने श्रम अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति–निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान आधार प्रदान किया।
- fo'k"kK leg lok,% संस्थान समय–समय पर आवश्यक इनपुट प्रदान करता रहता है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए नीति–निर्माण में प्रासंगिक होते हैं। ये इनपुट गहन शोध, विभिन्न हितधारकों यथा शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, ट्रेड यूनियन अधिकारियों, सिविल सोसायटी के सदस्यों, नियोक्ता एवं कर्मचारी संगठनों आदि के साथ विचार–विमर्श के आधार पर तैयार किये जाते हैं। पिछले वर्ष के दौरान जिन क्षेत्रों में इनपुट प्रदान किए गए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

  (1) राष्ट्रीय न्यूनतम मजूदरी तय करने की पद्धति का निर्धारण

  (2) सामाजिक सुरक्षा

  (3) सीएएलपीआर अधिनियम में संशोधन को प्रारूपित करने के लिए इनपुट प्रदान किए गए; सीएएलपीआर अधिनियम के तहत नियमों का निर्माण; सीएएलपीआर अधिनियम के प्रवर्तन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया; पेंसिल (PENCIL) पोर्टल; राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित एनसीएलपी के नए दिशानिर्देश और अन्य मामलों का सूत्रीकरण

  (4) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 2017 का प्रभाव

- lkekftd Hkkxhnkjk dk ifjorlu dh pukfr;k dk lkeuk dju d fy, r;kj djuk% भारत अभी कार्य की दुनिया में तीव्र परिवर्तनों का सामना कर रहा है, जिससे उसे अवसरों के साथ–साथ चुनौतियां भी मिल रहीं हैं। संस्थान ने 146 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें श्रम प्रशासकों, औद्योगिक संबंध प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं जैसे प्रमुख पणधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4460 प्रतिभागियों ने परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से अपने कौशलों एवं क्षमताओं को बढ़ाने

के लिए भाग लिया। अपनी स्थापना के बाद से एक वर्ष में वीवीजीएनएलआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की यह सबसे अधिक संख्या है।

- **vlaxfBr dkexkjksa dks l'kDr cukuk%** संस्थान ने 51 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें असंगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 1733 नेताओं/प्रशिक्षकों ने भाग लिया। ऐसे प्रशिक्षण हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य श्रम बाजार में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करना, तथा यह दिखाना था कि कैसे सशक्तिकरण सामाजिक समावेशन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। यह पहली बार है कि असंगठित मजदूरों के लिए इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम किए गए और असंगठित क्षेत्रों से प्रतिभागियों की संख्या भी 1750 से अधिक रही।

- **iwoksZÙkj {ks= dh fparkvksa ds lek/kku ds fy, fo'ks"khd`r çf'k{k.k%** संस्थान ने 14 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य हितधारकों के लिए किया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं वीवीजीएनएलआई में आयोजित किए गए तथा इनमें 543 कार्मिकों ने भाग लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सराहा है तथा यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान करने पर जोर दे रहा है। संस्थान ने निम्नलिखित कार्यशालाएँ भी आयोजित कीं:

  (i) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्पेशल सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पूर्वोत्तर केंद्र ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्पेशल सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 19 मार्च 2019 को iwoksZÙkj Hkkjr esa Je ,oa jkstxkj विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की।

  (ii) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ एंड पॉलिसी रिसर्च और वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पूर्वोत्तर केंद्र ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ एंड पॉलिसी रिसर्च में 08 मार्च 2019 को संयुक्त रूप से iwoksZÙkj Hkkjr esa Je ,oa jkstxkj विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की।

- **Je ds eqn~nksa ij varjjk"Vªh; çf'k{k.k dk;ZØe vk;ksftr djus dk gc ¼dsUæ½** संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी/एससीएएपी के अंतर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर सूचीबद्ध है। संस्थान ने लैंगिक मुद्दे, श्रम प्रशासन और रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियाँ तथा स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा जैसे प्रमुख विषयों पर 06 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 183 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया।

- **Je eqn~nksa ls lacaf/kr lwpuk ,oa fo'ys"k.k dk çlkj %** संस्थान सात आंतरिक प्रकाशन, लेबर एंड डेवलपमेंट (छमाही पत्रिका), अवार्ड्स डाइजेस्ट (तिमाही पत्रिका), श्रम विधान (तिमाही हिंदी पत्रिका), वीवीजीएनएलआई इंद्रधनुष (द्विमासिक पत्रिका), चाइल्ड होप (तिमाही पत्रिका)

तथा श्रम संगम (छमाही हिंदी पत्रिका) प्रकाशित करता है। संस्थान के अनुसंधान निष्कर्षों को मुख्यतः एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। संस्थान ने वर्ष 2018–19 में 38 प्रकाशन प्रकाशित किये।

वर्ष 2018–19 के दौरान 25 फरवरी 2019 को संस्थान की महापरिषद की बैठक में श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 'इन्हांसिंग दि डेवलपमेंटल पेऑफ्स ऑफ रेमिटेंस फ्लोज़: अ माइग्रेट सेंट्रिक अप्रोच – डॉ. एस. के. शशिकुमार' नामक प्रकाशन का लोकार्पण किया।

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार) तथा वीवीजीएनएलआई की महापरिषद के अन्य सदस्य संस्थान की महापरिषद की बैठक के दौरान 'इन्हांसिंग दि डेवलपमेंटल पेऑफ्स ऑफ रेमिटेंस फ्लोज़: अ माइग्रेट सेंट्रिक अप्रोच' प्रकाशन का लोकार्पण करते हुए

श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार), भारत सरकार; श्रीमती शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहाकर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई तथा वीवीजीएनएलआई की कार्यपरिषद के अन्य सदस्य

- 0;kolkf;d Hkkxhnkjh djuk ,o mls lqn< cukuk% आज का युग नेटवर्किंग का युग है। संस्थान ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था बनाते हुए व्यासायिक नेटवर्किंग को स्थापित करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), ट्यूरिन, इटली के साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए 28 नवम्बर 2018 को ट्यूरिन, इटली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्तक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्‌देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

  (i) वीवीजीएनएलआई और आईटीसी (आईएलओ) के समझौता ज्ञापन के एक भाग के तौर पर संस्थान ने 11–15 मार्च 2019 के दौरान 'नाजुक परिस्थितियों में विकास के लिए नेतृत्व' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान के सरकारी अधिकारियों, कामगार संगठनों और नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों तथा वीवीजीएनएलआई और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों सहित कुल 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

  (ii) 30 जुलाई–03 अगस्त 2018 के दौरान डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ^f}rh; fcDl jkstxkj dk;l leg^ की बैठक में भारत सरकार द्वारा वीवीजीएनएलआई को

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई; श्री रंजीत पुनहानी, जेएस एंड डीजीएलडब्ल्यु; श्री मनु टेंटीवाल, माननीय मंत्री जी के पीएस; श्रीमती अनीता त्रिपाठी, उप सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अन्य अधिकारीगण 02 अगस्त 2018 को ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में

अन्य ब्रिक्स देशों के श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क करने के लिए नोडल श्रम संस्थान के तौर पर मान्यता दी गई है।

(iii) उपरोक्त नेटवर्क के एक भाग के तौर पर सबसे पहले 'साझाकरण अर्थव्यवस्था पर फोकस के साथ प्रौद्योगिकी परिवर्तन एवं रोजगार के नए रूप' पर एक अनुसंधान अध्ययन शुरु किया गया। इस अनुसंधान अध्ययन के निष्कर्षों को 'युवाओं के लिए ब्रिक्स एवं अन्य देशों में बेहतर श्रम बाजार परिणाम को बढ़ावा देना' पर 28–30 नवम्बर 2018 के दौरान ट्यूरिन, इटली में आयोजित प्रथम संयुक्त ब्रिक्स नेटवर्क, आईटीसी–आईएलओ और आईएलओ एक्सपर्ट फोरम में प्रस्तुत किया गया।

(iv) संस्थान ने श्रम एवं रोजगार से संबंधित सहयोगात्मक अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्यकलाप मुद्दों को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित प्रसिद्ध संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किये:

(क) 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान', हैदराबाद के साथ 09 अप्रैल 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(ख) 'दशरथ माँझी श्रम एवं आयोजना अध्ययन संस्थान', पटना के साथ 22 नवम्बर 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक,

एमओयू का आदान–प्रदान करते हुए डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई तथा श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

वीवीजीएनएलआई तथा श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने किए।

- Ukhfrxr ennks ij xgu cgl djus ,oa çeq[k igyksa dks çlkj gsrq eap% समसामयिक मुद्दों एवं नीति–निर्माण के संबंध में संस्थान द्वारा आयोजित कुछ कार्यशालाएं निम्न प्रकार हैं:

  (v) वीवीजीएनएलआई और आईएलओ ने संयुक्त रूप से 01 मई 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में vlaxfBr dkexkjksa dks lkekftd lqj{kk çnku djus ds fy, dk;Zuhfr;k¡ पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा समन्वित यह पैनल चर्चा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस समारोह के एक भाग के तौर पर आयेजित की गयी। इस पैनल चर्चा में प्रख्यात पैनलिस्टों एवं विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस समारोह के दौरान 01 मई 2018 को Hkkjr esa Jfedksa ds fy, lkekftd lqj{kk ij oohth,u,yvkbZ ikfylh ijLisfDVOt के विशेष अंक तथा pkbYM gsYi का लोकार्पण श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया।

श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 'वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज' तथा 'चाइल्ड होप' का लोकार्पण करते हुए

(vi) संस्थान द्वारा ^^jk"Vh; U;wure etnwjh d fu/kkj.k d fy, fØ;kfof/k^^ पर एक विशेषज्ञ समिति की बैठक का आयोजन अपने परिसर में 04 मई 2018 को किया गया।

समिति के सदस्य रिपोर्ट को सचिव (श्रम एवं रोजगार) को सौंपते हुए

इसका उद्देश्य 'मजूदरी विधेयक, 2017 की संहिता' के तहत राष्ट्रीय/क्षेत्रीय मजूदरी का निर्धारण करने की क्रियाविधि को मजबूत करना और खपत व्यय, पोषण, कीमत एवं मजूदरी के क्षेत्र में विशेषज्ञों के विचारों को जानना था।

(vii) वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के सहयोग से 25–27 जुलाई 2018 के दौरान पटना में ^vlxfBr dkexkjkas ds fy, lkekftd lqj{kk^ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार सरकार तथा श्री गोपाल मीणा, श्रम आयुक्त, बिहार सरकार ने किया। इस कार्यशाला में सरकारी अधिकारियों एवं ट्रेड यूनियनों, एनजीओ, अकादमिक संस्थानों के 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(viii) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक परियोजना है जिसे वर्ष 1988 में शुरु किया गया था। 07–10 अगस्त 2018 के दौरान वीवीजीएनएलआई परिसर में 'एनसीएलपी के माध्यम से पुनर्वास के अनुभवों को साझा करना' पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अभिवन्यास एवं अपने अनुभवों को साझा करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) तिरुनेलवली जिले के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी), स्वैच्छिक संस्थानों के छात्रों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षकों, कार्यक्रम प्रबंधकों, परियोजना निदेशकों तथा दूसरे कर्मचारियों ने भाग लिया।

(ix) 'भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) में गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजनः कार्यनीतियाँ एवं आगे की राह' पर अनुसंधान अध्ययन के निष्कर्षों पर एक प्रस्तुतीकरण डॉ. धन्या एम. बी., एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई द्वारा सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में 12 सितम्बर 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में दिया गया। इस बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

(x) 'जम्मू और कश्मीर में बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए बाल श्रम का समाधान करना और बाल संरक्षण सुनिश्चित करना' पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 29–31 अक्टूबर 2018 के दौरान जम्मू में किया गया। यह कार्यशाला जम्मू और कश्मीर में बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए आयोजित की गयी थी। बाल श्रम एवं संबंधित मुद्दों पर कार्य करने वाले बहु–हितधारकों एवं सामाजिक भागीदारों के 75 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में प्रतिभागिता की।

(xi) श्रम संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के तत्वावधान में शुरु किए गए अनुसंधान अध्ययन 'प्रौद्योगिकी परिवर्तन एवं रोजगार के नए रूपः साझाकरण अर्थव्यवस्था पर फोकस के साथ' पर एक प्रस्तुतीकरण सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में 05 नवम्बर 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में दिया गया। इस बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के साथ–साथ दूसरे मंत्रालयों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

(xii) 'बाल श्रम पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम का पाठ्यचर्या परिवर्धन' पर एक कार्यशाला यूनिसेफ के सहयोग से 06–07 दिसम्बर 2018 के दौरान महात्मा गाँधी श्रम संस्थान, गुजरात में आयोजित की गयी।

(xiii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अपने परिसर में 08 फरवरी 2019 को *'कार्य का भविष्य'* पर एक राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आयोजन किया गया। यह परामर्ष आईएलओ के 2019 में शताब्दी समारोह के एक भाग के तौर पर आयोजित किया गया। आईएलओ का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत आईएलओ की रोमांचक एवं शानदार यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार रहा है।

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुश्री डगमर वाल्टर, निदेशक आईएलओ डीडब्ल्युटी फॉर साउथ एशिया एंड कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया; सुश्री अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई की उपस्थिति में उद्घाटन भाषण देते हुए

(ग) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2019 के अवसर पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन (आईसीआरडब्ल्यु) के सहयोग से 07–08 मार्च 2019 के दौरान वीवीजीएनएलआई परिसर में *'लिंग, बेगार और देखभालः सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति की दिशा में'* एक दो–दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में शिक्षा जगत के प्रख्यात विद्वानों, व्यावसायिकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों सहित कुल 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार ने विशेष व्याख्यान दिया

तथा श्री गोपाल मीणा, श्रम आयुक्त, बिहार सरकार ने पैनल चर्चा की अध्यक्षता की। सुश्री शुभलक्ष्मी नंदी, उप क्षेत्रीय निदेशक, आईसीआरडब्ल्यु–एशिया ने कार्यशाला का संदर्भ निधारित किया।

सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई; और श्री गोपाल मीणा, श्रम आयुक्त, बिहार सरकार कार्यशाला में भाग लेते हुए

(xv) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन में चुनौतियों एवं बाधाओं की पहचान करने के साथ ही उन संवेदनशील क्षेत्रों, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, की पहचान करने के उद्देश्य से 27 मार्च 2019 को *'समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976: अधिनियम के कार्यान्वयन में सकारात्मक पहल एवं चुनौतियाँ'* पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मजदूरी हितधारकों (श्रम प्रशासक, शिक्षाविद एवं ट्रेड यूनियन नेता) के 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- **iqLrdky; ,oa lwpuk ç.kkyh%** संस्थान का पुस्तकालय, एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र, देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सबसे सम्पन्न पुस्तकालय है। वर्तमान में, पुस्तकालय में लगभग 65,270 किताबें/रिपोर्टें/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं हैं, तथा यह 178 व्यावसायिक पत्रिकाओं का अभिदान करता है। पुस्तकालय अपने पाठकों को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएं भी उपलब्ध कराता है तथा पुस्तकालय की प्रयोज्यता सुकर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है। संस्थान ने नई वेब–आधारित पुस्तकालय सेवाओं को शुरु करने के लिए पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का एक नवीनीकृत संस्करण '^,yvkbZch,lokbZ,l 10 bZ tsch^^ खरीदा है।
- **vk/kqfud Hkkjr dk vkdkj nsus esa Je dh Hkfedk ij çdk'k Mkyuk%** संस्थान ने श्रम से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों के शीर्ष भंडार के तौर पर काम करने हेतु श्रम पर एक डिजिटल आर्काइव स्थापित किया है। लेबर आर्काइव की वेबसाइट (www.indialabourarchives.org) esa

Je bfrgkl dk egRoiw.kZ nLrkostksa dk yxHkx 190000 ist fMftVy :Ik esa viyksM fd;k x;k gSA

- jktHkk"kk dks c<+kok nsuk&संस्थान को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

1. वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की गृह पत्रिका ^Je laxe* को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना (गृह पत्रिका) के तहत वर्ष 2017–18 के लिए 'क' क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार हिंदी दिवस 2018 के अवसर पर दिनाँक 14 सितंबर 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु जी द्वारा प्रदान किया गया।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु जी से पुरस्कार ग्रहण करते हुए संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास

2. वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा को वर्ष 2017–18 के दौरान राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा द्वारा दिनाँक 31.01.2019 को गेल (इंडिया) लिमिटेड, गेल जुबली टावर, सैक्टर–1 नौएडा में आयोजित नराकास, नौएडा की 37वीं बैठक में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

संस्थान का विज़न और मिशन

fo t u

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केंद्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रतिकृत संकल्प हो।

fe'ku

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

laLFkku dk vf/kns'k

जुलाई 1974 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केंद्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

mn~ns'; vkSj vf/kns'k

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वयन करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

- क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण
- ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है
- ग. परामर्श और
- घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना, और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

lLFkku dh lajpuk

संस्थान एक महापरिषद् द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें सांसदों, केन्द्रीय सरकार, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि और श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान संस्थानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महापरिषद् के अध्यक्ष हैं। यह संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। महापरिषद् के सदस्यों के बीच से गठित कार्यपरिषद्, जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के दिन प्रतिदिन के कामकाज में विविध विषयों में पारंगत संकाय सदस्य और प्रशासनिक स्टाफ महानिदेशक की सहायता करते हैं।

egkifj"kn dk xBu

1. श्री संतोष कुमार गंगवार — अध्यक्ष
   माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली–110001

dsUnz ljdkj dh N% çfrfuf/k

2. श्री हीरालाल सामरिया — उपाध्यक्ष
   सचिव (श्रम एवं रोजगार)
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

3. श्रीमती अनुराधा प्रसाद — सदस्य
   अपर सचिव
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

4. श्रीमती शिवानी स्वाइं
अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार — सदस्य
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली–110001

5. श्रीमती कल्पना राजसिंहोत
संयुक्त सचिव — सदस्य
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली–110001

6. श्री आर. सुब्रमण्यम — सदस्य
सचिव
माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

7. श्री पराग गुप्ता — सदस्य
सलाहकार (एलईएम)
नीति आयोग
नई दिल्ली–110001

deldkjk d nk çfrfuf/k

8. श्री बी. सुरेन्द्रन — सदस्य
अखिल भारतीय उप–आयोजन सचिव,
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस),
केशावर कुदिल,
5 रंगासायी स्ट्रीट, पेराम्बूर
चेन्नई–600011 (तमिलनाडु)

9. श्री सुकुमार दामले — सदस्य
राष्ट्रीय सचिव
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी)
एआईटीयूसी भवन,
35–36, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
राउज एवेन्यू, नई दिल्ली – 110002

fu;kDrkvksa d s nks çfrfuf/k

10. श्री बी. पी. पंत — सदस्य
सलाहकार
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की)
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग
नई दिल्ली–110001

11. डॉ. जी. पी. श्रीवास्तव — सदस्य
मुख्य सलाहकार
एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम)
5, सरदार पटेल मार्ग, चाणक्य पुरी
नई दिल्ली–110021

pkj çfrf"Br 0;fDr ftUgksaus Je d s {ks= es vFkok mlls lacaf/kr {ks=ksa es mYys[kuh; ;ksxnku fn;k gS

12. श्री वीरेंद्र कुमार — सदस्य
भारतीय मजदूर संघ
कार्यालय–राम नरेश भवन
तिलक गली, चूना मंडी
पहाड़गंज
नई दिल्ली

13. श्री पी. के. गुप्ता — सदस्य
कुलाधिपति
शारदा विश्वविद्यालय
ग्रेटर नौएडा (उ. प्र.)

14. श्री सतीश रोहतगी — सदस्य
डॉ. बद्री प्रसाद क्लीनिक के सामने
बड़ा बाजार
बरेली (उ. प्र.)

15. श्री राजा एम. शणमुगम — सदस्य
अध्यक्ष
तिरुपुर निर्यातक संघ
62, अप्पाची नगर मेन रोड़
कोंगू नगर
तिरुपुर – 641607

vu|l/kku lLFkkuk d çfrfuf/k

16. श्री विपुल मित्रा, भा.प्र.से. — सदस्य
अपर मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)
महानिदेशक
महात्मा गांधी श्रम संस्थान,
ड्राइव–इन रोड़, मानव मंदिर के पास, मेम नगर
अहमदाबाद–380054 (गुजरात)

nk lln lnL; (ykd lHkk vkj jkT; lHkk l ,d&,d)

17. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल — सदस्य
माननीय सांसद (लोक सभा)
14, डॉ. बी. डी. मार्ग
नई दिल्ली–110001

18. श्री भूषण लाल जांगड़े — सदस्य
माननीय सांसद (राज्य सभा)
फ्लैट सं. 201, स्वर्णजयंती सदन
डॉ. बी. डी. मार्ग
नई दिल्ली–110001

oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk d çfrfuf/k

19. डॉ. एच. श्रीनिवास — सदस्य–सचिव
महानिदेशक
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
सैक्टर–24, नौएडा–201301
जिला-गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

vuqla/kku

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। संस्थान आरंभ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विभिन्न आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है। परन्तु इन कार्यकलापों के केंद्र में सदैव ही ऐसे मुद्दे रहे हैं, जो सीमान्त, वंचित और श्रम बल के संवेदनशील वर्गों से संबंधित हैं।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है।

- अनुसंधान किए जा रहे मामलों की सैद्धान्तिक समझ को उन्नत बनाना;
- समुचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक और आनुभविक आधार बनाना; और
- क्षेत्र स्तरीय कार्यों/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि ये उभरती चुनौतियां वैश्वीकरण के समसामयिक युग में तीव्र गति से अधिक जटिल होती जा रही हैं। इससे पहले कभी भी श्रम की दुनिया में हुए परिवर्तन इतने तीव्र और श्रम एवं रोजगार को प्रभावित करने वाले नहीं रहे। इन परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा इनके प्रभाव, परिणामों और कार्य की दुनिया पर इनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करने के लिए समुचित अनुसंधान संबंधी रणनीतियों और कार्यसूची को तैयार किया जाना जरूरी है।

निस्संदेह, यह एक बहुत कठिन कार्य है और इस कार्य को एक वैज्ञानिक ढंग से किया जाना है ताकि अनुसंधान में संगत मुद्दों को शामिल किया जा सके। संस्थान के प्रत्येक अनुसंधान केंद्र को अनुसंधान के प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट ढंग से इंगित करना चाहिए और अन्वेषण किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण घटकों के ब्यौरे भी तैयार करने चाहिए। इससे न केवल यह सुनिश्चित होगा कि संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों में वैश्वीकृत व्यवस्था में श्रम के समक्ष उभर रहे प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है अपितु संबंधित क्षेत्रों में विशिष्टता भी हासिल हो सकेगी, जो किसी भी अनुसंधान केंद्र के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण उप्रेरक तत्व होगा।

इसी परिप्रेक्ष्य में संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा शामिल किए जाने वाले अनुसंधान मुद्दों की रूपरेखा तैयार की गई है।

Je cktkj v/;;u dsUnz

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न केन्द्रों के तत्वावधान में चलाई जाती हैं। इन्हीं केन्द्रों में से एक, श्रम बाजार अध्ययन केंद्र श्रम बाजार में चल रहे परिवर्तनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसंधान गतिविधियों का उद्देश्य श्रम बाजार के परिणामों के उन्नयन हेतु नीतिगत निदेश प्रदान करना है। केंद्र की वर्तमान गतिविधियाँ निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर केंद्रित हैं।

- रोजगार और बेराजगारी
- प्रवासन और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं उत्तम कार्य

ijh dj yh xbZ ifj;kstuk,a

1- çkS|ksfxdh ifjorZu vkSj jkstxkj ds u, :i% lk>kdj.k vFkZO;oLFkk ij Qksdl ds lkFk ¼Je vuqla/kku laLFkkuksa ds fcDl usVodZ ds rRoko/kku esa fd;k x;k vuqla/kku v/;;u½

mn~ns';

इस अनुसंधान अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थे: (i) प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों और कार्य एवं कार्य के लिए इनके प्रभावों एवं निहितार्थों का पता लगाना; (ii) रोजगार के नए रूपों के प्रकारों एवं विशेषताओं की जाँच करना; (iii) साझाकरण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं एवं विकास पर प्रकाश डालना; (iv) साझाकरण अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं श्रम बाजार परिणामों के प्रोफाइल का विश्लेषण करना; तथा (v) परिवर्तन की चुनौतियों की अनुक्रिया में नीतिगत अनुमानों की पहचान करना।

ifj.kkEk

प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, रोजगार के नए रूपों तथा अर्थव्यवस्था के साझाकरण से संबंधित विश्लेषण वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर विस्तृत समीक्षा पर आधारित था। रोजगार एवं श्रम बाजार परिणामों का पता लगाने के लिए दो प्रमुख कैब कंपनियों, ऊबर एवं ओला से जुड़े ड्राईवरों का प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया।

इसके निष्कर्षों से यह पता चलता है कि साझाकरण अर्थव्यवस्था के प्रसार से श्रम बाजार परिणामों के संबंध में अवसरों के साथ–साथ चुनौतियाँ भी मिली हैं। एक ओर जहां साझाकरण अर्थव्यवस्था में लगे व्यक्तियों की बेहतर आय एवं लचीलेपन के संबंध में अनुकूल परिस्थितियाँ मिल रही थीं, वहीं दूसरी ओर कार्य–जीवन सामंजस्य, नुमाइंदगी और लंबे कार्य समय जैसा पहलुओं के संबंध में प्रतिकूल प्रवृतियाँ पैदा हो रही थीं।

इस अध्ययन में प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों एवं रोजगार के उभरते नए रूपों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए कुछ प्रमुख नीतिगत बातें भी बतायी गई हैं। जहां तक श्रमिकों के लिए विनियामक शर्तों की बात है, राजेगार के पुराने एंव नए, दोनों रूपों के लिए नीति तटस्थ होनी चाहिए और श्रम बाजार को बांटना नहीं चाहिए। इसमें बताया गया है कि मौलिक उद्देश्य प्रमुख श्रम विनियमों की कवरेज का सार्वभौमिकरण होनी चाहिए। यह इंगित करता है कि साझाकरण अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा और रोजगार लाभ में सुधार के दृष्टिकोण से कर्मचारियों की स्थिति के संबंध में उत्पन्न अस्पष्टता को हल किए जाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी उन्मुख कार्यों को देखते हुए कौशल इको प्रणाली में सुधार के लिए जोर देने की आवश्यकता है। गंभीर रूप से सोचने के लिए कौशल सुलझाने के कौशल; नए ज्ञान संचार कौशल की प्राप्ति के लिए सीखने के कौशल; सहयोग, टीम वर्क और संघर्ष के समाधान को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कौशल पर जोर देने के साथ कौशल प्रणाली को जीवन–भर सीखने की प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए। प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादकता लाभों के पुनर्वितरण के लिए उपायों को विकसित करने की आवश्यकता है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि रोजगार के नए रूपों और नौकरियों की प्रौद्योगिकी सामग्री का पता लगाने के लिए अनुकूलित सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

इस अध्ययन के निष्कर्षों को 30 जुलाई–03 अगस्त 2018 के दौरान डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार बैठक में तथा 'युवाओं के लिए ब्रिक्स एवं अन्य देशों में बेहतर श्रम बाजार परिणाम को बढ़ावा देना' पर 28–30 नवम्बर 2018 के दौरान ट्यूरिन, इटली में आयोजित प्रथम संयुक्त ब्रिक्स नेटवर्क, आईटीसी–आईएलओ और आईएलओ एक्सपर्ट फोरम में प्रस्तुत किया गया।

इसे 05 नवम्बर 2018 को सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में आयोजित भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भी प्रस्तुत किया गया।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को फरवरी 2018 में शुरु, तथा दिसम्बर 2018 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk fun'kd% Mk- ,l- d- 'kf'kd|ekj] ofj"B Qyk½

2- Hkkjr e vYidkfyd Je çoklu d çoklu ifj.kkek dk c<kus d fy, ,d uhfrxr <kp dh vkj

mnn';

यह नीति उन्मुख अनुसंधान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरु किया गया: (i) अल्पकालिक श्रमिक प्रवासन पर हाल के अनुभवजन्य साक्ष्य की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करना; (ii) व्यापक प्रवृतियों को समझने और प्रवासन डेटा प्रणाली में सुधार के लिए संभावनाओं की पहचान करने की दृष्टि से आंतरिक श्रमिक प्रवासन पर डेटा के प्रमुख द्वितीयक स्रोतों का विश्लेषण करना; (iii) अंतर–राज्यीय प्रावसी कामगार (रोजगार एवं सेवा दशाओं का विनियमन) अधिनियम, 1979 सहित मौजूदा नीति अनुक्रियाओं के संचालन की समीक्षा करना; (iv) आंतरिक श्रमिक प्रवासन के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर शुरु की गई हालिया एवं अच्छी प्रथाओं की जांच करना; और (v) भारत में

आंतरिक प्रवासन शासन एवं अल्पकालिक श्रमिक प्रवासन के प्रवासन परिणामों को बढ़ाने में सुधार के लिए नीतिगत सिफारिशों के सुझाव देना।

Ikfj.kke

यह अनुसंधान पेपर में एक महत्वपूर्ण किंतु अत्यधिक संवेदनशील समूह पर फोकस करता है: अल्पकालिक और अस्थायी प्रवासी जिन्हें वर्तमान में भारत में मुख्यधारा के नीतिगत निर्माण में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें यह तर्क दिया गया है कि अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन में तेजी, जनसांख्यिकीय संक्रमण तथा आबादी की शिक्षा प्राप्ति में बढ़ोतरी जैसी प्रवृतियों को देखते हुए इस महत्वपूर्ण समूह का गैर–समावेश भारत के सतत एवं समावेशी विकास पथ के लिए अच्छा नहीं है। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि नीतिगत ढांचा प्रवासी–केंद्रित होना चाहिए, तथा इसका उद्देश्य उनके जोखिमों को कम करना एवं प्रवासन परिणामों में सुधार के लिए समर्थकारी ढांचे का सृजन करना होना चाहिए। इस पेपर का मुख्य तर्क यह है कि उपयुक्त नीतिगत उपायों के साथ अल्पकालिक श्रमिक प्रवासन भारत के विकास पथ की बाधा के बजाय इसका एक स्रोत बन सकता है।

इस अनुसंधान से उत्पन्न कुछ प्रमुख नीतिगत सिफारिशों में ये शामिल हैं: आंतरिक श्रमिक प्रवासन के सूचना आधार में सुधार करना, प्रवासी भेजने वाले राज्यों और प्रवासी पाने वाले राज्यों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना, विशेषकर उन प्रमुख क्षेत्रों, जहां से प्रवासी जाते हैं और जहां जाते हैं, में प्रवासी संसाधन केंद्रों की स्थापना करना तथा संकट प्रवास को कम करना।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को जून 2018 में शुरु, एवं दिसम्बर 2018 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- ,l- d- 'kf'kdqekj] ofj"B Qsyk½

3- Hkkjr esa l{e ,oa y?kq m|eksa ¼,e,lbZ½ esa xq.koÙkkiw.kZ jkstxkj dk l`tu% dk;Zuhfr ,oa vkxs dh jkg

mn~ns';

यह अध्ययन मुख्यतः भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की कार्यनीतियों की जांच करने एवं आगे की कार्रवाई के सुझाव देने के लिए आयोजित किया गया था। इस परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थे: i) रोजगार के संदर्भ में भारत में एमएसई सैक्टर की परिभाषा और विकास, एमएसई सैक्टर को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न सरकारी पहलों, कानूनी ढांचा और चुनौतियों आदि पर विचार–विमर्श करना; ii) महिला उद्यमों की विशेषताओं, रोजगार में उनके योगदान, उन आर्थिक कार्यकलापों, जिनमें वे प्रतिभागिता करती हैं, तथा महिला उद्यमियों द्वारा सामना की जार ही प्रमुख चुनौतियों की जांच मामला अध्ययन के माध्यम से करना; iii) सूक्ष्म एवं लघु स्तर के उद्यमों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों की समझने के लिए गठित समितियों के साथ–साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की वास्तविक समस्याओं और चुनौतियों का विश्लेषण करना। कतिपय मामला अध्ययनों तथा एमएसई सैक्टर में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के सृजन के तरीकों का पता लगाने हेतु समस्याओं का

मूल्यांकन करने के लिए आयोजित केंद्रित समूह चर्चाओं के द्वारा प्रत्येक मुद्दे पर विस्तार से बताया गया और इसे स्पष्ट किया गया।

Ikfj.kke

एमएसएमई में कामगारों एवं नियोक्ताओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों की प्रकृति को देखते हुए इस अध्ययन में विशिष्ट नीतिगत सिफारिशों को उजागर किया गया है। इस अनुसंधान अध्ययन को 12 सितम्बर 2018 को सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में आयोजित भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

v/;;u dk 'k# ,o ijk djus dh frfFk

अध्ययन को जनवरी 2018 में शुरु, तथा अप्रैल 2018 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- /kU;k ,e- ch-] ,lksfl,V Qsyks½

4- jk"Vh; U;ure etnjh r; djus d fy, fØ;kfof/k dk fu/kkj.k ij fo’k"kK lfefr dh fjikV

संस्थान ने श्रम एव रोजगार मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के विशेषज्ञों के सहयोग से *राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए क्रियाविधि का निर्धारण* पर एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तैयार की। इस विशेषज्ञ समिति का गठन 17 जनवरी 2018 को निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ किया गया था: (क) आवश्यकता–आधारित राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी, जो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वांछनीय है, को तय करने के उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के मौजूदा मानदंडों की जांच एवं समीक्षा करना; (ख) सुझाए गए तरीकों के अनुसार राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी के प्रारंभिक आधार मूल्य की सिफारिश करना; (ग) न्यूनतम मजदूरी को संशोधित एवं समायोजित करने के मानदंडों एवं प्रक्रिया की समीक्षा की समीक्षा करना और बदलाव, यदि आवश्यक हो, की सिफारिश करना। विचारार्थ विषय में समिति के लिए यह भी अनिवार्य था कि वह वैश्विक स्तर पर अच्छी प्रथाओं तथा भारत के संदर्भ उनकी अनुकूलनशीलता एवं प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे।

डॉ. अनूप सतपथी, फेलो, वीवीजीएनएलआई की अध्यक्षता वाली समिति ने यह रिपोर्ट 14 फरवरी 2019 को सचिव (श्रम एवं रोजगार) को सौंपी। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने की नवीनतम क्रियाविधि की सिफारिश की गयी है तथा साथ ही राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के आधार मूल्य का सुझाव भी दिया गया है। समिति द्वारा सौंपी गयी यह रिपोर्ट और साक्ष्य आगे की चर्चाओं में मदद करेंगे तथा इसमें राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के सहमत स्तर पर पहुंचने के लिए सामाजिक भागीदारों के मध्य विचार–विमर्श हुआ और इस सहमत स्तर पर नए मजूदरी संहिता विधेयक के तहत विचार किया जा सकता है।

संस्थान ने विशेषज्ञ समिति की बैठकों, तकनीकी विचार–विमर्शों का आयोजन किया और इनमें ही रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया तथ अंततः रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- vuwi dqekj lriFkh] Qsyks½

tkjh ifj;kstuk,¡

1- ;qok jkstxkj vkSj m|ferk dks c<+kok nsuk% ^LVkVZ&vIl^ ds fo'ks"k lanHkZ esa v/;;u

स्टार्टअप एक नई व्यावसायिक उद्यमशीलता गतिविधि है। यह मुख्यतः प्रौद्योगिकी संचालित है और इसका उद्देश्य प्रलयकारी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उद्योगों का कायाकल्प करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास को बढ़ाना है। भारत में देश के युवाओं के मध्य वास्तविक नवाचार एवं उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए 70 प्रतिशत स्टार्टअप इनक्यूबेटर शैक्षिक संस्थानों में हैं।

इसी संदर्भ में यह अध्ययन मुख्यतः यह पता लगाने का प्रयास करता है कि स्टार्टअप श्रम बाजार में उद्यमशीलता एवं नवाचार के द्वारा युवा आबादी के मध्य रोजगार के प्रावधान में कैसे योगदान कर रहे हैं। यह अध्ययन यह भी जांचता है कि विभिन्न नवाचारों को कैसे स्टार्टअप में आत्मसात किया जा रहा है तथा यह छोटी कंपनियों के लिए एक नया पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में शिक्षाविदों की भूमिका की भी जांच करता है। अंत में, यह अध्ययन भारत में प्रक्रिया, विनियामक प्रक्रिया और स्टार्टअच की चुनौतियों की जांच करता है। अनुसंधानकर्ता ने स्टार्टअप/घेटी कंपनियों का एक अन्वेषणात्मक मामला अध्ययन तैयार किया है जो एक विस्तृत तरीके से जटिल छोटी कंपनियों/स्टार्टअप की पारिस्थितिकी की पड़ताल करता है। युवा लोगों से पूछा गया कि उनके जीवन में व्यवसाय के अवसर कैसे आए?

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2017 में शुरु किया गया था, एवं इसे जुलाई 2019 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk funs'kd% MkW- /kU;k ,e- ch-] ,lksfl,V Qsyks½

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई, डॉ धन्या एम.बी., एसोसिएट फेलो एवं समन्वयक और पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागीगण

çeq[k dk;Z'kkyk,¡@lEesyu

- ^dk;Z dk Hkfo";^ ij ,d jk"Vªh; fgr/kkjd ijke'kZ

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अपने परिसर में 08 फरवरी 2019 को *^dk;Z dk Hkfo";^* पर एक राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आयोजन किया गया। यह परामर्श आईएलओ के 2019 में शताब्दी समारोह के एक भाग के तौर पर आयोजित किया गया। आईएलओ का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत आईएलओ की रोमांचक एवं शानदार यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। 22 जनवरी 2019 को आईएलओ शताब्दी वर्ष का औपचारिक शुभांरभ हुआ। इस रिपोर्ट में यह पता लगाया गया कि कार्य की दुनिया में अभूतपूर्व परिवर्तन तथा असाधारण चुनौतियों के समय सभी के लिए कार्य का बेहतर भविष्य कैसे प्राप्त किया जाए। इसी संदर्भ में, परिवर्तन की चुनौतियों की अनुक्रिया में देश–विशिष्ट प्राथमिकताओं एवं कार्यनीतियों को विकसित करने तथा सभी के लिए उत्कृष्ट एवं टिकाऊ श्रम की संभावनाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपरोक्त रिपोर्ट में चिह्नित किए गए मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए यह परामर्श आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने किया। उन्होंने श्रम एवं रोजगार नीतियों के सुदृढ़कीरण में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ आईएलओ के सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने अनौपचारिक सैक्टर से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने तथा पीएमआरपीवाई, पीएमजेजेबीवाई आदि जैसी विभिन्न स्कीमों को शुरु करने की सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा परामर्श के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

सुश्री अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने परामर्श के विचार–विमर्श का मार्ग प्रशस्त किया। सुश्री शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने परामर्श में खुली चर्चा की शुरुआत की। अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सरकार श्रम बाजार में नए प्रवेशकों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह आईआर–4.0 के संदर्भ में खासकर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्वचालन कार्य एवं कार्य संबंधों को तेजी से प्रभावित कर रहा है। इस परामर्श में एक पैनल चर्चा भी शामिल थी जिसकी अध्यक्षता सुश्री डगमर वाल्टर, निदेशक आईएलओ डीडब्लयुटी फॉर साउथ एशिया एंड कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया ने की और पैनलिस्ट इस प्रकार थेः श्री राजीव दूबे, आईएलओ के शासी निकाय के सदस्य; श्री विरजेश उपाध्याय, महासचिव, बीएमएस; श्रीमती सुनीता सांघी, वरिष्ठ सलाहकार, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय; श्री आर. वेंकट रत्नम, प्रधान सचिव, पंजाब सरकार; श्री माइकल डायस, सचिव, नियोक्ता संगठन; सुश्री रितुपर्णा चक्रवर्ती, कार्यकारी उपाध्यक्ष, टीम लीज; श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इस परामर्श में सरकारी अधिकारियों, आईएलओ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, ट्रेड यनियनों, नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों ने भाग लिया।

यह कार्यक्रम डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, जिन्होंने इस कार्यक्रम का समन्वय किया, के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुआ।

—f"k lc/k vkj xkeh.k Je dn

बदलते कृषि संबंधों एवं इनके ग्रामीण श्रमिकों पर प्रभाव का समाधान करने एवं इनकी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद्र की सथापना की गई। कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजार की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए यह महसूस किया गया कि कृषि की स्थिति का पता लगाने एवं इसका अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करने के लिए ज्यादा विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, ताकि ग्रामीण श्रमिकों के विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनूकूल नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ढाई दशकों से अधिक का अनुभव भी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद्र के सृजन का यह एक प्रमुख तर्काधार है।

केंद्र के अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित मुद्दों पर केंद्रित हैं:

- वैश्वीकरण और ग्रामीण श्रम पर उसका प्रभाव;
- ग्रामीण श्रम बाजारों की बदलती संरचना की मैक्रो प्रवृत्तियां एवं पद्धतियां;
- संगठनात्मक कार्यनीतियों का प्रलेखन, मूल्यांकन और प्रचार–प्रसार;
- सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण श्रम;
- विभिन्न कृषि व्यवसायों का अध्ययन।

उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों के अलावा अनुसंधान, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के लिए अनेक विशिष्ट विषयों का भी विनिर्धारण किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं :

- भू–धारण और भू–उपयोग पद्धति में परिवर्तन।
- कृषि विकास में ऋण व अन्य निविष्ट सुविधाएं।
- बदलती कृषि पद्धतियां तथा रोजगार संबंध।
- ग्रामीण श्रमिकों की लामबंदी के विभिन्न प्रकारों की प्रभावकारिता।
- आर्थिक कार्यकलापों के लिए श्रमिकों को संगठित करने हेतु क्रियानिष्ठ अनुसंधान शुरु करना।
- ग्रामीण गैर–कृषि रोजगार क्षेत्र की क्षमता का निर्धारण करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी, रोजगार और गरीबी की प्रवृत्तियों की जांच करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में कार्य संबंधी सामाजिक सुरक्षा तंत्रों की जांच करना।
- सामान्य रूप से ग्रामीण श्रमिकों और विशेष रूप से कृषि श्रमिकों के विभिन्न घटकों पर वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का प्रभाव; वैश्वीकरण के मद्देनजर कृषि संबंधों एवं परिवर्तनों की जांच करना; वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण पर फोकस करते हुए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा करना।

- ग्रामीण श्रमिकों, उत्पादकता और संपदा के वितरण पर भूमि सुधारों का प्रभाव।
- ग्रामीण श्रमिकों के विभिन्न क्षेत्रों के जीवन स्तर की गुणवत्ता पर संरचनात्मक परिवर्तनों का प्रभाव।
- सामान्य रूप से ग्रामीण श्रमिकों और विशेष रूप से कृषि श्रमिकों के विकास के लिए, सरकारी संगठनों से भिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं की स्थानीय पहलों का अध्ययन।
- राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों पर सरकारी नीतियों के प्रभाव।
- आय सृजन विकास कार्यक्रमों और योजनाओं की सामाजिक और आर्थिक संगतता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन।
- विभिन्न ग्रामीण व्यवसायों, विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के निष्पादन और कार्यान्वयन में लैंगिक असमानता का प्रभाव।
- विभिन्न ट्रेड यूनियनों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए कार्य करने वाले एनजीओ के सहयोग से ग्रीमण/कृषि श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं पर सहयोगात्मक अनुसंधान शुरु करना।

ijh dj yh xbl ifj;ktuk,¡

1- df"k ldV rFkk lkekU;r% xkeh.k Jfed ,o fo'k"kr% efgyk df"k Jfed

mn~n';

- देश में वर्तमान कृषि स्थिति को समझना, उसकी समीक्षा एवं विश्लेषण करना;
- सामान्यतः ग्रामीण श्रमिकों एवं विशेषतः महिला कृषि श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति की जाँच करना;
- विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याण कार्यक्रमों एवं ग्रामीण/कृषि श्रमिकों की स्थितियों की योजनाओं तक ग्रामीण कामगारों की पहुंच तथा उन पर इन कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना;
- ग्रामीण कामगारों की शिक्षा एवं कौशल आधार का अध्ययन करना;
- अपनी खुद की समस्याओं एवं इन समस्याओं के समाधान के बारे में ग्रामीण श्रमिकों की राय एवं व्यवहार के पैटर्न की जाँच करना;
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं का पता लगाना; और
- अध्ययन के आधार पर ग्रामीण श्रमिकों एवं महिला कृषि श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए दृष्टिकोण एवं कार्यनीतियों के सुझाव देना।

ifj.kke

- इस रिपोर्ट में मुख्यतः कृषि संकट और कृषि क्षेत्र के विकास में इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

- दूसरा, कार्यनीतिक आगे की राह के साथ कृषि क्षेत्र के विकास के लिए इसमें व्यापक सुझाव दिए गए हैं।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2016 में शुरु, तथा मई 2018 में पूरा किया गया।

(ifj;ktuk fun'kd: Mk- iue ,l- pkgku] Hkrio ofj"B Qyk½

2- xkeh.k vk|kfxdhdj.k rFkk xkeh.k {k=k e Lojktxkj d fodYi

mnn';

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इस बात की जांच करना था कि विभिन्न कारकों के संयोजन से कैसे ग्रामीण उद्योगों के विभिन्न सैक्टरों में रोजगार चाहने वाली आबादी के लिए रोजगार को बढ़ाया जा सकता है।

इस अध्ययन के कुछ विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार थे:

- ग्रामीण औद्योगिकीकरण के मौजूदा स्तर का अध्ययन करना तथा चयनित क्षेत्रों में संभावनाओं की जांच करना;
- चयनित क्षेत्रों में स्व–रोजगार के मौजूदा स्तर तथा इसकी संभावनाओं का अध्ययन करना;
- रोजगार सृजन वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रयासों एवं अवसरों की पहचान करना;
- ग्रामीण औद्योगिकीकरण के कुछ सफल मामलों का अध्ययन करना; और
- ग्रामीण औद्योगिकीकरण तथा स्व–रोजगार अवसरों को बढ़ाने हेतु नीतिगत उपायों की संस्तुति करना।

ifj.kke

- इस अध्ययन में मुख्यतः भारत में ग्रामीण औद्योगिकीकरण के प्रयासों और इसकी सीमाओं का विश्लेषण किया गया।
- दूसरा, सूक्ष्म स्तर पर ग्रामीण औद्योगिकीकरण से संबंधित समस्याओं और मुद्दों की पहचान की गयी।
- इस अध्ययन में ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर फोकस किया गया तथा इसके लिए कार्यनीति का सुझाव दिया गया है।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को मई 2018 में शुरु, तथा मार्च 2019 में पूरा किया गया।

(ifj;ktuk fun'kd: Mk- iue ,l- pkgku] Hkrio ofj"B Qyk½

jk"Vªh; cky Je lalk/ku dsUæ ¼,uvkjlhlh,y½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करने हेतु उत्कष्टता के केंद्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के कार्य में सरकार,, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एनजीओ, कामगार संगठनों, और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। यह केंद्र बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के कार्य में कानून–निर्माताओं, नीति–निर्माताओं, योजनाकारों तथा परियोजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्यों का समर्थन करता है। केंद्र विभिन्न सरमारी विभागों, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, समाज कार्य एवं सामाजिक विज्ञान के छात्रों, सीएसआर कार्यपालकों सहित विकास सैक्टर एवं कारपोरेट सैक्टर के कार्मिकों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों, आरडब्ल्युए के पदाधिकारियों, एनएसएस, एनवाईके और अन्य युवा समूहों, पंचायती राज संस्थाओं तथा बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन की दिशा में कार्य करने वाले अन्य सामाजिक भागीदारों की क्षमताओं का विकसित करने का प्रयास करता रहा है।

एलआरसीसीएल की व्यापक गतिविधियों में शामिल हैः अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रभाव आकलन, मूल्यांकन, निष्पादन आकलन, प्रशिक्षण मैन्युअल/मॉड्यूल/पैकेज विकसित करना, पाठ्यचर्या विकास, पक्ष–समर्थन, तकनीकी सहायता/सलाहकार सेवाएं/परामर्श, दस्तावेजीकरण, प्रकाशन, प्रसार, नेटवर्किंग, विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करते हुए अभिसरण को बढ़ावा देना तथा आबादी के विभिन्न समूहों के मध्य जागरूकता का सृजन करना जिससे जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सके। इन कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करना है।

vuqla/kku

अनुसंधान, एनआरसीसीएल के कार्यकलापों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। अनुसंधान परियोजनाओं के केंद्र में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैः

1. बाल श्रम के विभिन्न रूपों, बाल श्रम के निश्चयात्मक पहलुओं, निर्धारकों एवं निवारकों का पता लगाने के लिए, किए गए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा करना।
2. बाल श्रम के स्थायीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों पर सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।
3. उन भौगोलिक क्षेत्रों, जहां पर बाल श्रम का संकेंद्रण है तथा अर्थव्यवस्था के चुने हुए सैक्टरों, खासकर उन व्यवसायों और प्रक्रियाओं, जो बच्चों के लिए खतरनाक हैं एवं कानून द्वारा निषिद्ध हैं, में बच्चों के नियोजन पर बेंचमार्क सूचना का सृजन करना।

4. बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कार्यनीतियां बनाना।

5. सफल अनुभव का प्रलेखन करके बाल श्रमिकों को काम से मुक्त करवाने की अवसर लागतों को स्पष्ट करना।

इन सूक्ष्म–स्तरीय अध्ययनों में जिन पहलुओं का अध्ययन किया गया है, उनमें समस्या की मात्रा, श्रमिक शोषण के लिए बच्चों की तस्करी, बाल श्रमिकों की कमजोरियां एवं असुरक्षिताएं, बाल संरक्षण तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य, विधायी रूपरेखा और कानूनों का प्रवर्तन, सरकारी तथा गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, जीवन तथा कार्य दशाएं, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम आदि शामिल हैं। एनआरसीसीएल ने कई अनुसंधान अध्ययनों और प्रमुख मूल्यांकन अध्ययनों को पूरा कर लिया है।

iwjh dh xbZ ifj;kstuk,a

1- jk"Vªh; cky Je ifj;kstuk ds çHkkoh dk;kZUo;u ds fy, ftyk&Lrjh; fgr/kkjdksa dk laonhdj.k djus ,oa mudh {kerk c<kus gsrq pfUnk ftyksa esa cPpksa ds jkstxkj dk {ks=okj fo'ys"k.k

mís';

- साहित्य की व्यापक समीक्षा करके तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अधिनियम के तहत संशोधित कानूनी प्रावधानों पर नियमों को तैयार करने के लिए देश भर में विभिन्न सामाजिक भागीदारों से नियमित आधार पर लिए गए विचारों, दृष्टिकोणों, सुझावों और टिप्पणियों का सार निकालते हुए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के रूप में संशोधित बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, के तहत नियमों के निर्धारण की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- कार्यक्रम प्रबंधकों, एनसीएलपी के परियोजना निदेशकों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना, संशोधन अधिनियम एवं इसके प्रावधानों पर श्रम प्रवर्तन तंत्र को जागरूकता प्रदान करना तथा मसौदा नियमों पर बहु–सामाजिक भागीदारों के राष्ट्रीय स्तर के परामर्श में योगदान करना। इसका उद्देश्य एनसीएलपी योजना के तहत बच्चों एवं किशोर श्रमिकों के सर्वेक्षण के लिए डाटा संग्रहण साधनों को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना भी था।

ifj.kkE

यह परियोजना निम्नलिखित विभिन्न तरीकों से कार्यदल में योगदान करती है: बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उपायों के सुझाव देना; बाल श्रम की

रोकथाम के लिए अन्य कार्यनीतियां; तस्करी कर लाए गए एवं अंतर्राज्यीय प्रवासी बच्चों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की संस्तुति करना; बाल श्रम की समस्या पर जागरूकता एवं संवेदीकरण को बढ़ाते हुए जिला–राज्य स्तरीय हितधारकों का क्षमता को सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्तुति करना; तथा अधिक समन्वित दृष्टिकोण के द्वारा बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए आवश्यक कौशलों एवं ज्ञान से लैस करना। इस परियोजना ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत नियमों के मसौदे तैयार करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य–स्तरीय परामर्शों में जानकारी प्रदान की तथा नियमों के जागरूकता सृजन में बहु–हितधारकों को भी जानकारी प्रदान की।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को नवम्बर 2016 में शुरु, तथा मई 2018 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- gsyu vkj- lsdj] ofj"B QSyks½

2- cky Je dkuuksa vkSj dk;Z; fu;eksa dh vf/klwpuk esa la'kks/ku ds vk/kkj ij çf'k{k.k iSdst dk fodkl ¼Qst&1½

mn~ns';

- आठ उच्च बाल श्रमिक संकेंद्रण वाले राज्यों में कामकाजी बच्चों की संख्या में कमी लाने हेतु आधार तैयार करना।
- बाल श्रम की रोकथाम और अनुक्रिया में अधिक अभिसरित तरीके से कार्य करने हेतु राज्य और जिला–स्तरीय कार्यकर्ताओं को सुदृढ़ बनाना।
- यह सुनिश्चित करना कि बाल श्रम की रोकथाम और अनुक्रिया के लिए राज्य और जिला–स्तरीय कार्यकर्ताओं के पास वर्धित ज्ञान और कौशल हैं।
- इस परियोजना में बाल श्रम एवं शिक्षा की डेस्क समीक्षा शामिल थी।

ifj.kke

जिला और राज्य–स्तरीय कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर बताया गया कि उनकी उनकी भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां क्या हैं; सामाजिक संरक्षण स्कीमों की जानकारी के साथ बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया कैसे की जाए; तथा स्कीमों की सेवाओं एवं हितलाभों तक पहुंच बनाने की प्रक्रिया क्या है।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

परियोजना को मई 2018 में शुरु, एवं मार्च 2019 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- gsyu vkj- lsdj] ofj"B QSyks½

3- cky Je dkuuks esa l'kks/kuks rFkk vrjk"Vh; vfHkle;ks ds vuqleFkZu ds vk/kkj ij cky Je dh jksdFkke vkSj iuokZl ij jkT; ,o ftyk&Lrjh; cg&fgr/kkjdks dh {kerk dk fuekZ.k ¼Qst&1½

mn~ns';

- विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से एक प्रशिक्षण मॉड्यूल और एक पुस्तिका विकसित करना।
- बाल श्रम का मुकाबला करने हेतु इनके अनुप्रयोग और उपयोग के लिए अधिगम को बनाए रखने में सक्षम बनाना।

ifj.kke

संलेखों, नमूना मामला अध्ययनों और सत्र–विशिष्ट प्रशिक्षण सामग्री के साथ व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल, लक्ष्य–विशिष्ट पुस्तिकाओं को तैयार करने के लिए मौजूदा मैन्युअल एवं पैकेजों की समीक्षा की जा रही है। प्रशिक्षण सामग्री में बाल श्रम की परिस्थिति, प्रकार, निर्धारक, निवारक, परिणाम; बाल श्रम के मिथक; पुनर्वास दृष्टिकोण तथा काल श्रम का समाधान करने में आने वाली चुनौतियां; बाल श्रम को प्रभावित करने वाली सरकारी विकासात्मक स्कीमें तथा हितलाभों को पाने के साधन आदि पर पुस्तिकाएं शामिल हैं। अधिगम के हस्तांतरण और ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से सुविधा प्रदान की जा रही है। विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए पुस्तिकाएं तैयार की गयी हैं जिनमें उनकी भूमिका एवं जिम्मदारी को बताया गया है। साथ ही, इनमें बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए उनकी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के तरीकों, प्रक्रियाओं एवं तकनीकों का भी वर्णन किया गया है।

v/;;u dk 'kq# ,o iwjk djus dh frfFk

परियोजना को मई 2018 में शुरु, एवं मार्च 2019 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- gsyu vkj- lsdj] ofj"B Qsyks½

tkjh ifj;kstuk,a

1- çf'k{k.k ekWM;wy ,oa çf'k{k.k eSU;qvy cukuk rFkk ftyk&fof'k"V ;kstuk fodflr djds cky Je ds f[kykQ dkjZokbZ;ksa ds vfHklj.k ds fy, çlkfjr djukA

mn~ns';

- चुनिंदा उच्च बाल श्रमिक संकेंद्रण वाले राज्यों के 24 जिलों में कामकाजी बच्चों की संख्या में कमी लाने हेतु आधार तैयार करना।

- बाल श्रम की रोकथाम और अनुक्रिया में अधिक अभिसरित तरीके से कार्य करने हेतु राज्य और जिला–स्तरीय कार्यकर्ताओं को सुदृढ़ बनाना तथा यह सुनिश्चित करना कि बाल श्रम की रोकथाम और अनुक्रिया के लिए राज्य और जिला–स्तरीय कार्यकर्ताओं के पास वर्धित ज्ञान और कौशल हैं।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को नवम्बर 2018 में शुरु किया गया, एवं इसे अगस्त 2019 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk fun'kd½ Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk½

2- Hkkjr e vkifrZ J`[kykvk e cky Je dk lek/kku dju dh igy% {k=okj Qkdl dk ekufp=.k

mn~n';

- ऐसे उपचारी उपायों का पता लगाना जो कार्य से बच्चों के पुनर्वास वाली परियोजनाओं का समर्थन करके किए जा सकते हैं।
- व्यवसाय प्रथाओं के माध्यम से तथा आपूर्तिकर्ताओं के व्यवसाय अभ्यास को प्रभावित करने के लिए अन्य पार्टी पर इसकी शक्ति का उपयोग करके आपूर्ति श्रृंखलाओं में काम में बच्चों के प्रवेश को रोकने के लिए व्यापारियों की जिम्मेदारियों का पता लगाना।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को सितम्बर 2018 में शुरु किया गया, एवं इसे मई 2019 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk fun'kd½ Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk½

3- cky Je dkuwuk e l'kk/kuk rFkk vrjkZ"Vh; vfHkle;k d vuleFkZu d vk/kkj ij cky Je dh jkdFkke vkj iuokZl ij jkT; ,o ftyk&Lrjh; cg&fgr/kkjdk dh {kerk dk fuekZ.k ¼Qt&2½

mn~n';

- हॉट स्पॉट शहरों तथा 08 उच्च बाल श्रमिक संकेंद्रण वाले राज्यों के 24 जिलों में विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से विकसित मॉड्यूल और पुस्तिका का उपयोग करके बहु–हितधाकरों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- बाल श्रम का मुकाबला करने हेतु इनके अनुप्रयोग और उपयोग के लिए अधिगम को बनाए रखने में सक्षम बनाना। अधिगम के हस्तांतरण और ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने के लिए

व्यवस्थित तरीके से सुविधा प्रदान की जाएगी। बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए उनकी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के तरीकों, प्रक्रियाओं एवं तकनीकों का भी वर्णन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्षमता का विकास किया जाएगा।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को मार्च 2018 में शुरु किया गया, एवं इसे मार्च 2020 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;ktuk fun'kd% Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk½

Áe[k dk;l'kkyk,@lfeukj

- cky Je dk lek/kku dju vkj cky lj{k.k lfuf'pr dju ij Áf'k{k.k dk;l'kkyk

जम्मू और कश्मीर में बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए 29–31 अक्टूबर 2018 के दौरान जम्मू में 'बाल श्रम का समाधान करने और बाल संरक्षण सुनिश्चित करना' पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला जम्मू और कश्मीर राज्य में बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए आयोजित की गई। इसमें बाल श्रम एवं संबंधित मुद्दों पर काम करने वाले बहु–हितधारकों एवं सामाजिक भागीदारों के 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में समूह चर्चा की अध्यक्षता करते हुए डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो

- cky Je&eDr Hkkjr cuku d fy, ftyk ,o mi ftYkk Lrjk ij ohoh th,u,yvkbl d gLr{ki

'जिला स्तर पर अभिसरित योजना के माध्यम से बाल श्रम की रोकथाम और अनुक्रिया' पर एक अंतर्राज्यीय सम्मेलन का आयोजन 09 फरवरी 2019 को दशरथ माँझी श्रम संस्थान, पटना, बिहार में किया गया। इस सम्मेलन में आईएलओ, फ्रीडक फ्रंट, यूनिसेफ, एक्शन एड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों; राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग; राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग; महाराष्ट्र; पुलिस विश्वविद्यालय,

राजस्थान जैसे राज्य–स्तरीय संगठनों/आयोगों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों; राजस्थान सरकार के लाईन विभागों जैसे कि पुलिस विभाग, बाल अधिकार विभाग के अधिकारियों; बिहार सरकार के उप प्रभागीय मजिस्ट्रेटों, खंड विकास अधिकारियों, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों; पटना, नालंदा, नवादा, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्णिया, मधुबनी, पूर्वी चंपारण जिलों के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों; भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों; नालंदा जिले के हिल्सा विकास खंड, नवादा के अकबरपुर विकास खंड, पटना के बख्तियारपुर विकास खंड, भोजपुर जिले के जगदलपुर विकास खंड, मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी विकास खंड, सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर विकास खंड के खंड विकास अधिकारियों, सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा दूरदर्शन, न्यूज 18 चैनल सहित प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थेः श्रमिक शोषण के लिए तस्करी कर लाए गए बच्चों की पहचान, बचाव, और छुटकारा से संबंधित चुनौतियों पर फोकस करना; बिहार और राजस्थान के बीच अंतर्राज्यीय समन्वय के संबंधित अवसरों पर चर्चा करना; तथा अभिसरित योजना विकसित करने और अंतर्राज्यीय समन्वय सुनिश्चित करने के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना। इस सम्मेलन के उद्देश्यों में निम्न मुद्दों पर भी चर्चा करना थाः i) अत्याचार और हिंसा को रोकने के कानूनी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन; ii) किशोर न्याय अधिनियम में कानूनी प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के द्वारा बाल श्रम, तस्करी व हिंसा का समाधान करना; बाल श्रम की रोकथाम के लिए बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम की भूमिका को एक साधन के तौर पर लेना तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा स्कूल जाता है और सीखता है; बाल अधिकारों को बढ़ावा देना, हिंसा से बच्चों का संरक्षण तथा बिहार (स्रोत) एवं राजस्थान (गंतव्य) राज्यों में बाल श्रम की रोकथाम पर फोकस करते हुए 'असुरक्षित प्रवास' के मुद्दे का समाधान करना।

jkstxkj lac/k vkSj fofu;eu dsUnz

रोजगार संबंध और इनके विनियमन का मुद्दा श्रम के क्षेत्र में हमेशा से एक प्रमुख वाद–विवाद करने योग्य एवं आकर्षक मुद्दा रहा है। रोजगार संबंधों में खासकर 1991 से तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने इस मुद्दे को यथोचित प्राथमिकता देते हुए इन परिवर्तनों और अन्य संबद्ध मामलों का अध्ययन करने हेतु काफी पहले, वर्ष 2001 में एक विशिष्ट केंद्र, नामतः रोजगार संबंध एवं विनियमन केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र का उद्देश्य बदलते रोजगार संबंधों का अवबोधन विकसित करना है ताकि उचित कानूनी विनियमन ढांचे का नियमन करने तथा उपयुक्त सामाजिक संरक्षण उपाय विकसित करने में मदद मिल सके। केंद्र की अनुसंधान गतिविधियों में मुख्यतः निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है: ट्रेड यूनियनें तथा उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनकी भूमिका; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में उभरते रोजगार संबंध; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधों के विनियमन में मौजूदा कानूनी ढांचे की सीमा; न्यायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन तथा न्यूनतम मजदूरी का विनियमन आदि। केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) में शिक्षाविद और ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं।

iwjh dh xbZ ifj;kstuk

1- fuf'pr&vof/k jkstxkj dk fofu;eu% ,d varjkZ"Vªh; ifjçs{;

mn~ns';

- निश्चत–अवधि संविदा प्रथा के प्रमुख विशेष गुणों एवं विशेषताओं की पहचान करना।
- चयनित देशों में निश्चित–अवधि संविदा रोजगार के विभिन्न पहलुओं के विनियमन, खास तौर से निश्चित–अवधि संविदा रोजगार संबंधी मौजूदा विनियमन से संबंधित मौजूदा नीतियों एवं प्रथाओं की पहचान करना।
- निश्चित–अवधि रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न सामाजिक भागीदारों के विचारों और धारणाओं को एकत्रित करना।
- भारत के लिए एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा तैयार करने की दृष्टि से इन विनियामक नीतियों एवं प्रथाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
- निश्चित–अवधि रोजगार से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए विनियामक ढांचे के सुझाव देना।

ifj.kke

यह अनुसंधान परियोजना पूरी कर ली गई है और इसे वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान अनुसंधान अध्ययन श्रृखला सं. 133/2019 के तौर पर प्रकाशित (जनवरी 2019 में प्रकाशित) किया जा चुका है। इस अध्ययन के निष्कर्षों एवं संस्तुतियों (जो विभिन्न देशों में निश्चित–अवधि रोजगार के विनियमन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विनियामक उपायों के गहराई से एवं विस्तृत विश्लेषण और विभिन्न हितधारकों के विचारों एवं धारणाओं के विश्लेषण पर आधारित थे) से औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1948 में निहित निश्चित–अवधि रोजगार से संबंधित हाल ही में अंतर्स्थापित विनियामक प्रावधानों के सुदृढ़ीकरण में मदद मिलेगी।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2017 में शुरु, एवं दिसम्बर 2018 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% MkW- lat; mik/;k;] ofj"B Qsyks½

,dhd`r Je bfrgkl vuqla/kku dk;Øe ¼vkbZ,y,pvkjih½

,dhd`r Je bfrgkl vuqla/kku dk;Øe% ifjp;

- वीवीजीएनएलआई में आईएलएचआरपी की स्थापना 24 जुलाई 1998 को एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स (एआईएलएच) के सहयोग से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर की गयी। इस एमओयू का नवीकरण हर पाँच वर्ष में किया जाता है, पिछली बार यह नवीकरण 2015 में किया गया है।
- इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना तथा संगठित एवं असंगठित, दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित रिकॉर्ड का परिरक्षण करना है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान का समसामयिक नीति–निर्माण के साथ एकीकरण करना भी है।

dk;Øe dh lajpuk

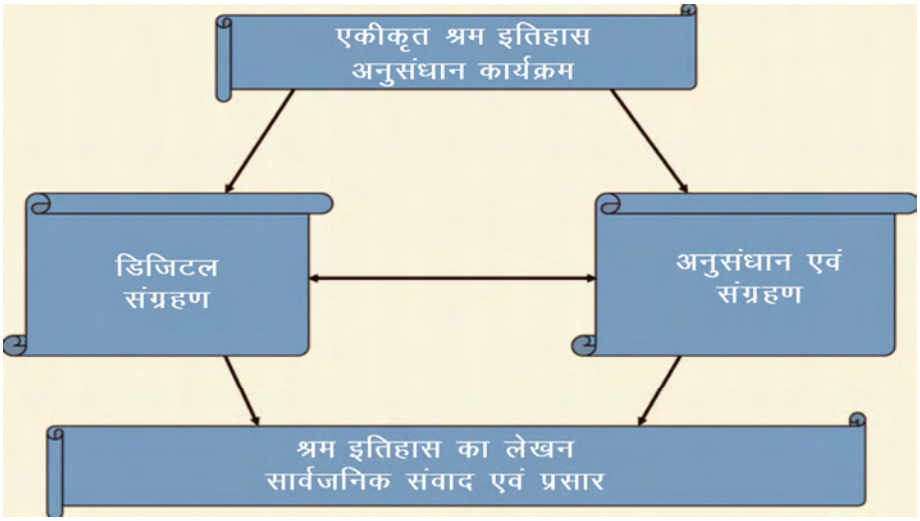

Hkkjrh; Jfedk dk fMftVy vfHkys[kkxkj dh fo'ks"krk,¡

- पूर्णतया डिजिटल संरचना
- एकीकृत मल्टीमीडिया भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली
- सवंर्धित उपयोगकर्ता पहुंच
- ऐतिहासिक एवं समसामयिक रिकॉर्ड का एकीकरण
- असंगठित सैक्टर के श्रमिकों के रिकॉर्ड पर फोकस

ijh dh xbl ifj;kstuk,a

1. भारतीय श्रम अभिलेखागार की उन्नत वेबसाइट का शुभारंभ

mnns';

भारतीय श्रम के डिजिटल अभिलेखागार को उन्नत बनाना तथा इसका परिचालन डी स्पेस प्लेटफॉर्म पर करना।

lkfj.kke

भारतीय श्रम के उन्नत डिजिटल अभिलेखागार का परिचालन डी स्पेस प्लेटफॉर्म पर शुरु कर दिया गया है। कुछ प्रमुख निम्नलिखित संग्रहों को अपलोड किया गया है और ये ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

1. विभिन्न श्रम आयोग (पेजों की संख्या – 17,453)
2. भारतीय मजदूर संघ (पेजों की संख्या – 12,304)
3. आईएलओ इंडिया मासिक रिपोर्टें (1929–1969) (पेजों की संख्या – 40,000)
4. आउटसोर्सिंग के प्रभाव पर विशेष जोर के साथ कोयला कामगारों के मौखिक इतिहास का संग्रह (पेजों की संख्या – 545)
5. बनारस के बुनकरों का संग्रह (पेजों की संख्या – 191)
6. भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग में श्रमिक (पेजों की संख्या – 504)
7. सेवा – अहमदाबाद शहर के बीड़ी कामगार (पेजों की संख्या – 202)
8. इंदौर नगर कपड़ा श्रमिकों का इतिहास (पेजों की संख्या – 147)
9. छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पर संग्रह (पेजों की संख्या – 11,542)
10. अखिल भारतीय रेलकर्मी महासंघ (पेजों की संख्या – 7,450)
11. भारतीय खेत मजदूर यूनियन महासंघ – फेज 1 (पेजों की संख्या – 720)
12. भोजपुरी प्रवासी श्रमिकों की संस्कृति और भिखारी ठाकुर का साहित्य (पेजों की संख्या – 1,023)

डी स्पेस प्लेटफॉर्म में पहले के ग्रीनस्टोन प्लेटफॉर्म से कई अधिक फायदे हैं।

- मापनीयताः यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिलेखागार में मीडिया के विभिन्न प्रकारों यथा ऑडियो, वीडियो एवं दस्तावेज का काफी डाटा है।
- भारत में उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्याः वर्तमान में डी स्पेस में प्रमुख सरकारी/सांस्थानिक कोष उपलब्ध हैं जिनमें प्रमुख है भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार का पोर्टल। इससे व्यापक पहुंच के साथ–साथ डेवलपर्स का समुदाय सुनिश्चित करता है।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2018 में शुरु, एवं फरवरी 2019 में पूरा किया गया।

¼ifj;ktuk fun'kd % Mk- ,l- d- 'kf'kdekj] ofj"B Qyk½

2- etnjh uhfr% bfrgkl rFkk ledkyhu ?kVukØe

इस परियोजना को भारत में मजदूरी नीति तैयार करने से संबंधित इतिहास एवं कुछ समकालीन घटनाक्रमों की जांच करने के उद्देश्य से शुरु किया गया। ऐतिहासिक पेपर में बंबई/मुंबई शहर में श्रम संबंधों के दीर्घ इतिहास को देखा गया तथा समकालीन पेपर ने संगठित एवं असंगठित, दोनों सैक्टरों के कामगारों के लिए मजूदरी संरक्षण सुनिष्चित करने के लिए हाल ही में केरल सरकार द्वारा शुरु की गई मजूदरी संरक्षण प्रणाली की जाँच की।

ifj.kke

इस परियोजना के तहत दो अनुसंधान पेपर पूरे किए गए हैं।

¼i½ etnjh dk ç'u rFkk vkifuofs'kd Hkkjr e mUuhloh 'krkCnh d mÙkjk/k e vk|kfxd lc/kk e ifjoru

यह पेपर बंबई/मुबई शहर में श्रम संबंधों के दीर्घ इतिहास का पर्यवेक्षण करता है तथा यह उजागर करता है कि औपनिवेशिक भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक संबंधों में परिवर्तन के लिए मजूदरी भुगतान प्रणाली में परिवर्तन कैसे मौलिक थे। यह पेपर दर्शाता है कि परिवर्तन की गतिशीलता को उस समय के व्यापक वैश्विक प्रक्रियाओं और सामाजिक आक्षेपों के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से परिभाषित किया गया था। यह पेपर उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से नियमों एवं राज्य हस्तक्षेप के तरीकों में विभिन्न परिवर्तनों का पता लगा कर इस अध्ययन को ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। मजदूरी का प्रश्न, जैसा उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उभरा, मजदूरी के स्तरों के बारे में नहीं था, वह मुख्य मुद्दा जिस पर कामगार लामबंद हुए, मानक विनियमन प्रक्रिया की मांग थी। भुगतान के समय, मानक मानदंडों की मांग के लेकर टकराव उन कार्यों, जिन्होंने कामगारों पर नियोक्ताओं के नियंत्रण के प्रकारों को चुनौती दी, के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक बन गए।

यह अनुसंधान पेपर डॉ. आदित्य सरकार, प्रवक्ता, इतिहास विभाग वारविक विश्वविद्यालय, यूनाईटेड किंगडम द्वारा तैयार किया गया।

¼ii½ U;wure etnjh ç.kkfy;k dh çHkkodkfjrk dk c<kus dh fn'kk e% djy dh etnjh lj{k.k ç.kkyh

मजदूरी असमानता, लैंगिक आधार पर मजदूरी में अंतर तथा अनौपचारिकता जैसी प्रचलित एवं स्थायी प्रवृतियों का मुकाबला करने के लिए प्रभावी न्यूनतम मजदूरी प्रणालियों को निर्णायक माना जाता है।

यह भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि अच्छी तरह से काम करने वाली न्यूनतम मजदूरी प्रणाली अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति को बढ़ा सकती है और इस प्रकार विकास के घरेलू स्रोतों को प्रोत्साहित कर सकती है। तदनुसार, अनेक देशों में नई एवं नवाचारी नीतियां तैयार की जा रही हैं तथा न्यूनतम मजदूरी प्रणालियों की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए मौजूदा नीतियों को पुनर्निमित किया जा रहा है। इस पेपर में भारत में केरल राज्य द्वारा हाल ही शुरु की गयी नीतिगत पहल, जिसका उद्देश्य अनौपचारिक सैक्टर के कार्यकलापों में लगे कामगारों सहित सभी कामगारों के मजदूरी संरक्षण सुनिश्चित करना है, पर फोकस किया गया है। केरल की मजूदरी संरक्षण प्रणाली मजूदरी नीतियों के विधानों में आवश्यक सांस्थानिक परिवर्तन लाने के अलावा मजदूरी लेनदेन तथा न्यूनतम मजदूरी कानून संबंधी निरीक्षण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग करती है।

यह अनुसंधान पेपर डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा डॉ. विनोज अब्राहम, एसोसिएट प्रोफेसर, विकास अध्ययन केंद्र, केरल ने तैयार किया।

उपरोक्त दोनों पेपर लेबर एंड डेवलपमेंट के दिसम्बर 2018 के अंक में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

Ikfj;ktuk dk 'k# ,o iijk djui dh frfFk

परियोजना को जून 2018 में शुरु, एवं नवम्बर 2018 में पूरा किया गया।

¼ifj;ktuk fun'kd½ Mk- ,l- d- 'kf'kdekj] ofj"B Qyk½

3- 1940 l vkt rd dh vof/k d vk|kfxd lc/kk dk bfrgkl

mnn';

मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) समय के साथ सभी स्तरों, व्यक्तिगत स्थापना/उद्योग/क्षेत्र पर उपलब्ध सामूहिक समझौतों के संकलन एवं विष्लेषण पर फोकस करते हुए औद्योगिक संबंध प्रणाली की बदलती सांस्थानिक प्रथाओं का मानचित्रण करना; (ii) समय के साथ सभी स्तरों, श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के निर्णयों का संकलन एवं विश्लेषण करना; (iii) विभिन्न स्तरों पर औद्योगिक टकराव का मानचित्रण करना; (iv) प्रौद्योगिकी परिवर्तन के तरीके तथा सामूहिक समझौतों में उभरे मुद्दों तथा नियोक्ताओं एवं कामगारों की सौदेबाजी कार्यनीतियों का विश्लेषण करना।

ifj.kkEk

इस परियोजना के तहत आईएलएचआरपी ने निम्नलिखित का संकलन किया हैः

- 1980 एवं 1990 के दशकों की अवधि के दौरान ट्रेड यूनियन महांसघों एवं नियोक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख सामूहिक समझौते–कुल संख्या 40, इनका डिजिटलीकरण चल रहा है।

- हमने अपने मौजूदा संकलनों के साथ इस सामग्री को क्यूरेट किया है (ट्रेड यूनियनें, डब्ल्युईटी/सांस्थानिक अभिलेख)

मुख्यतः अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस के अभिलेखों तथा तीन अन्य संकलनों के आधार पर दिल्ली क्षेत्र पर फोकस करता हुआ एक विशेष संकलन पूरा कर लिया गया है।

Ikfj;kstuk dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

परियोजना को मई 2018 में शुरु, एवं अक्टूबर 2018 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk leUo;d% Mk- ,l- d- 'kf'kdqekj] ofj"B Qsyks½

4- çkS|ksfxdh ,oa Jfed% ,d ,sfrgkfld ifjçs{;

mn~ns';

वीवीजीएनएलआई में मार्च 2018 में 'विगत के आईने में कार्य का भविष्य' विषय पर आयोजित 'श्रमिक इतिहास पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' की अनुवर्ती कार्रवाई में आईएलएचआरपी ने निम्नलिखित उद्देश्यो के साथ एक अनुसंधान एवं संग्रहण परियोजना, प्रौद्योगिकी एवं श्रमिक, शुरु की: (i) विगत में प्रौद्योगिक परिवर्तनों एवं हितधारकों की अनुक्रिया से संबंधित अभिलेखों का संग्रहण करना। इसमें विगत में स्वचालन के मुद्दे पर प्रकाशित अभिलेखों और आईएलओ जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अभिलेखागारों पर फोकस किया गया; (ii) अंतर्राष्ट्रीय विचार–विमर्शों के आधार पर प्रौद्योगिकी तथा कार्य का भविष्य के विषय पर साहित्य की समीक्षा करना; (iii) 'प्रौद्योगिकी तथा कार्य का भविष्य' के मुद्दे पर एक संदर्भ ग्रंथ सूची और विचार–विमर्श पेपर तैयार करना।

ifj.kke

कार्य की दुनिया को बदलने में प्रौद्योगिकी के महत्व को पूरे विश्व के विद्वानों एवं नीति निर्माताओं ने स्वीकार किया है। हालांकि अधिकांश विचार–विमर्शों में विकसित देशों में कार्य एवं रोजगार पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर फोकस किया गया, इसका विकासशील देशों के लिए विशेष महत्व है। इन विचार–विमर्शों के तत्काल संदर्भ 'चौथी औद्योगिक क्रांति' के प्रभावों तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के रोजगारों का तेजी से स्वचालन पर हैं।

एक ओर औपनिवेशिक शासन में प्रौद्योगिकी से प्रेरित 'गैर–औद्योगिकीकरण' तथा जिस तरीके से यह नौकरयों की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करता है, भारत के विकास प्रक्षेप पथ पर इसके संभावित विघटनकारी प्रभाव को देखते हुए भारत के लिए प्रौद्योगिकी एवं कार्य की दुनिया पर इसके प्रभाव का प्रश्न खास तौर पर महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा विश्व आर्थिक मंच ने इन प्रश्नों पर दुनिया को प्रमुख तरीके से सचेत किया है; अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्य के भविष्य के प्रश्न पर शताब्दी समीक्षा की तथा विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति शब्द को गढ़ा।

इस परियोजना के तहत प्रमुख संग्रहणों में ये शामिल हैं:

1. आईएलओ इंडिया ऑफिस की मासिक रिपार्टों, आईएलओ अभिलेखागार जेनेवा तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस जैसे भारतीय श्रम अभिलेखागारों के प्रमुख संग्रहणों के अभिलेख।
2. क्यूरेट किए गए विशेष संग्रह जिन्हें भारतीय श्रम अभिलेखागार की वेबसाइट में प्रकाशन के लिए डिजिटल संग्रह में परिवर्तित किया जा रहा है।
3. 'प्रौद्योगिकी तथा कार्य का भविष्य' पर संदर्भ ग्रंथ सूची और विचार–विमर्श पेपर।

यह कार्य डॉ. प्रभु महापात्र, एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरिअंस द्वारा किया गया।

Ikfj;ktuk dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

परियोजना अध्ययन को मई 2018 में शुरु, एवं अक्टूबर 2018 में पूरा किया गया।

¼ifj;ktuk leUo;d% Mk- ,l- d- 'kf'kdekj] ofj"B Qyk½

5- Hkkjrh; Jfed çoklu% ,d ,frgkfld ifjç{;

यह अनुसंधान एवं संग्रहण परियोजना प्रवासन अनुसंधान में वीवीजीएनएलआई और एआईएलएच की शक्ति को बढ़ाता है। भारतीय श्रमिक प्रवासन लंबे समय से है तथा राज्य हस्तक्षेप का इतिहास 1834 से है जब औपनिवेशिक सरकार ने सुगर कॉलोनियों में गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवासन को विनियमित करना शुरु किया। वर्ष 1840 और 1940 की अवधि के दौरान कम से कम 30 मिलियन प्रवासी काम करने हेतु विभिन्न औपनिवेशिक देशों में गए और इतनी बड़ी संख्या के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत देश बन गया। स्वतंत्रता के बाद और विशेष तौर पर 1973 की तेल मूल्य क्रांति के बाद खाडी के देशों के आसपास केंद्रित प्रवासन में नया उछाल देखा गया। आज इन देशों में भारतीय प्रवासी सबसे ज्यादा संख्या में हैं। इसे अलावा, उच्च कौशलयुक्त प्रवासियों ने 1970 से अमेरिका और यूरोप में जाना शुरु किया और इसका भी भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, 'एनआरआई' की एक नई श्रेणी का उद्‌भव हुआ। महत्वपूर्णतः, आज पूरी दुनिया में भारतीय कामगारों द्वारा धन–प्रेषण सबसे अधिक (लगभग 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष) है।

इस अनुसंधान एवं संग्रहण परियोजना में महत्वपूर्ण नीतिगत निरंतरताओं तथा औपनिवेशिक एवं समकालीन अवधियों में हुए परिवर्तनों पर फोकस किया गया। इस परियोजना का उद्‌देश्य प्रमुख सरकारी अभिलेखों और समुद्रपार श्रकि प्रवास पर केंद्रित जांच आयोगों का संग्रहण करना भी था।

ifj.kkE

भारतीय श्रमिक प्रवासन से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख आयोगों एवं समितियों के दस्तवेजों का संग्रहण एवं डिजिटलीकरण किया गया है।

- भारतीय प्रवासन पर पिच्चर एवं ग्रियर्सन की प्रमुख रिपोर्टें (1883)

- सैंडर्सन समिति रिपोर्ट 1912
- मैकनील एवं चिमन लाल रिपोर्ट 1916
- फिजी पी सी. एफ. एंड्यूज रिपोर्ट 1916
- भारतीय प्रवासियों पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट
- उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के संचालन एवं दीर्घवधि प्रासंगिकता तथा आप्रवासियों के प्रोटेक्टर जनरल के कार्यालय के कार्यचालन के अध्ययन के लिए गठित समिति की रिपोर्ट

ifj;ktuk dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

परियोजना को अगस्त 2018 में शुरु, एवं फरवरी 2019 में पूरा किया गया।

¼ifj;ktuk leUo;d% Mk- ,l- d- 'kf'kdekj] ofj"B Qyk½

6- dkexkjk dh ftnxh dk ekufp=.k ¼ekf[kd bfrgkl½

इस अनुसंधान एवं संग्रहण परियोजना का उद्देश्य मुख्यतः अनौपचारिक सैक्टर पर फोकस करते हुए एआईएलएच अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की गई कामगारों के जीवन अनुभवों के मौखिक कथनों की अनुसंधान एवं संग्रहण परियोजना का उसका विस्तार करना था। वैश्विक श्रम इतिहास नेटवर्क के अन्य साझेदारों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान पहल के एक भाग के रूप में इस परियोजना के तहत कामगरों के कथनों का व्यापक संग्रह सीधे भारतीय श्रम अभिलेखागार को फीड करेगा।

ifj.kke

इस परियोजना के तहत वर्ष 2018–19 के दौरान दो कार्यकलाप किए गए।

1. दिल्ली क्षेत्र के विभिन्न कार्यस्थलों में लगभग 30 कामगारों का जीवन इतिहास साक्षात्कार लिए गए। लगभग 60 घंटे के साक्षात्कार समय वाले ये साक्षात्कार डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में हैं।
2. कामगारों एवं ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के साक्षात्कारों के 400 घंटों का डिजिटलीकरणः पूर्व में लिए गए ये साक्षात्कार एनालोग प्रारूप के वीडियो टेप में थे तथा इनके शोधन के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के विशेष उपयोग और तकनीकी कौशल की आवश्यकता पड़ी। इनके अलावा, इन साक्षत्कारों के टेप, जैव–रेखाचित्र और सारांश पिछले वर्ष किए गए। इनका का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है तथा वेबसाइट के चालू होने पर अपलोड किए जाने हेतु व्यापक मेटाडाटा लिखा जा रहा है।

ifj;ktuk dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

परियोजना को सितम्बर 2018 में शुरु, एवं मार्च 2019 में पूरा किया गया।

¼ifj;ktuk leUo;d% Mk- ,l- d- 'kf'kdekj] ofj"B Qyk½

लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र

लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र की स्थापना का उद्देश्य कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। पूरे विश्व में अनेक देशों की विकासात्मक नीतियों के केंद्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण रहे हैं। भुखमरी एवं गरीबी के उन्मूलन में तथा वास्तव में सतत विकास को पाने में वर्ष 2015 के सतत विकास के लक्ष्यों में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता की केंद्रीयता को स्वीकार किया गया है। वैश्विक श्रम बाजारों में श्रम बल सहभागिता दरों एवं बेरोजगारी दरों में लैंगिक आधार पर अंतर लगातार बने हुए हैं। श्रम बाजार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षिक एवं नीतिगत, दोनों स्तरों पर ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

श्रम बाजार लैंगिक अंतर विकासशील देशों में अधिक हैं, तथा व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक पैटर्नों के द्वारा अक्सर ये और बढ़ जाते हैं क्योंकि महिलाओं के अधिकतर काम सैक्टरों के सीमित दायरे में केंद्रित होते हैं तथा ये कमजोर एवं असुरक्षित होते हैं। ये कामगार अधिकांशतः अनौपचारिक रोजगार यथा घरेलू कामगार, स्व–नियोजित, अनियत कामगार, उजरती दर कामगार, गृह–आधारित कामगार, तथा कम कौशल, कम आय एवं कम उत्पादकता वाले प्रवासी कामगार होते हैं। इसके अलावा, लैंगिक आधार पर वेतन एवं मजदूरी में अंतर एक गंभीर मुद्दा है जिसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को अभी भी पुरुषों के योगदान के मुकाबले कम करके आंका जाता है तथा तोड़–मरोड़ पेश किया जाता है। उपलब्ध आंकड़े पक्षपातपूर्ण हैं तथा ये देश की अर्थव्यवस्था एवं इसके मानव संसाधनों की प्रकृति की विकृत धारणा को बनाए रखने में योगदान करते हैं, तथा अनुचित विचारों, नीतियों एवं कार्यक्रमों की वजह से पुरुषों एवं महिलाओं के बीच असमानता के दुश्चक्र को स्थिरता प्रदान करते हैं। श्रम बाजार में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को देखते हुए सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को चिह्नित करने के लिए पूर्ण उत्पादक रोजगार और सामाजिक समावेश के नये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

समावेशी विकास एवं पर्याप्त समानता, नीतियों के बारे में जागरूकता प्राप्त करने के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सशक्तिकरण लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र के कुछ मुख्य कार्यकलाप होंगे। इस रूपरेखा के तहत केंद्र की गतिविधियों में संस्थान की स्थिति को कार्य की दुनिया में लिंग के विभिन्न आयामों पर अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पक्षसमर्थन के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बनाने की संकल्पना की गयी है।

ijh dh xbl ifj;kstuk,¡

1- df"k {k= e ;ok jktxkj dh lHkkouk,% ennn vkj pukfr;k

mnns';

- भारत में विभिन्न आयु–वर्गों में कृषि में भागीदारी की सीमा और प्रकृति को समझना।
- कृषि के साथ उनके जुड़ाव के संबंध में उनकी शिक्षा और कौशल–स्तर, उनके परिसंपत्ति अधिकार और सामाजिक समूह वर्गीकरण का आकलन करना।
- युवाओं के कृषि से दूर होने के कारणों की पहचान करना।
- भूमि और अन्य उत्पादक संपत्तियों तक पहुंच के संबंध में कृषि में युवा महिलाओं की स्थिति का आकलन करना।
- समग्र रोजगार क्षमता और विभिन्न कृषि विस्तार सेवाओं के बारे में प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रभाव का आकलन करना।
- कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं की जांच करना और ग्रामीण युवाओं के बीच कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत परिप्रेक्ष्य से उनका विश्लेषण करना।

ifj.kkEk

इस अध्ययन ने युवाओं की शिक्षा, कौशल स्तर, प्रौद्योगिकी तक पहुंच आदि के संदर्भ में उनकी कृषि में स्थिति को उजागर करने में योगदान दिया है। इस अध्ययन ने अनेक ऐसी चिंताओं, जैसे कि पूरे वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में नियमित रोजगारपरकता; अनुकूल उत्पादन; कारगर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र तथा कृषि के विकास के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच; कृषि एवं गैर–कृषि, दोनों कार्यकलापों में महिलाओं की भागीदारी की पहचान और सुदृढ़ीकरण; कृषि क्षेत्र में बने रहने के लिए युवाओं का प्रोत्साहित करने के लिए बाद में नीतिगत विमर्श की आवश्यकता, की पहचान की है जो कृषि की प्रगति में योगदान करने में युवाओं को प्रभावित करती हैं। इस अध्ययन ने युवाओं के लिए उत्कृष्ट रोजगार सृजन के अधिक नवाचारी उपायों का पता लगान में सरकार के वर्तमान प्रयासों के लिए नीतिगत इनपुट के संदर्भ, विशेषकर कृषि क्षेत्र में युवाओं की अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के डिजाइन सूचित करना, में योगदान देने का प्रयास किया है।

v/;;u dk 'kq# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को फरवरी 2018 में शुरु, एवं जुलाई 2018 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- ,yhuk lkerjk;] Qyks½

2- ?kjy dkexkj% jkstxkj lc/k rFkk U;ure oru fu/kkj.k dh tfVyrk

mn~n';%

- अंशकालिक एवं पूर्णकालिक रोजगार में लगे घरेलू कामगारों की रोजगार की शर्तें एवं काम की दशाएं (घरेलू रोतगार में व्यापक अर्थ रोजगार संबंध)
- ऐसे कामगारों की लामबंदी और भेद्यता की सीमा (ऐसे कामगारों की पहचान भी)
- घरेलू कामगारों के लैंगिक आयाम
- मुआवजे के तरीके (न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में समस्याएं)
- न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण तथा फलस्वरूप घर को कार्यस्थल एवं घर के मालिक को नियोक्ता मानने की समस्या
- घरेलू कामगारों के कल्याण बोर्ड की व्यवहार्यता

ifj.kke

- दो शहरों में घरेलू कामगारों की कार्य एवं जीवन दशाओं की जांच करना।
- समानताओं एवं विविधताओं की व्याख्या करना।
- ऐसे आधार का निर्माण करना जिससे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा सके।

v/;;u dk 'k# ,o iwjk dju dh frfFk

अध्ययन को जनवरी 2017 में शुरु, एवं मार्च 2019 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- fdx'kqd lj dkj] Qsyk½

3- de etnjh vkj yfxd Hkn Hkko% vle vkj if'pe caxky e ckxku dkexkjk dk ekeyk

mn~n';%

इस अध्ययन में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया:

- वे श्रम बाजार संस्थान कौन–से हैं जो पूर्वोत्तर भारत में बागान कामगारों के लिए इस तरह की कम मजदूरी और खासकर महिला कामगारों के लिए मुआवजे में भेदभाव के लिए जिम्मेदार हैं।
- इन संस्थानों (संगठनों और गतिविधियों) के कार्य क्या हैं जो वर्षों से कम मजदूरी और लैंगिक भेदभाव की निरंतरता को बनाए हुए हैं।

- मजदूरी, कार्यदशाओं और चाय उद्योग में उत्पादन के संबंधों के मामले में ऐसे खंडित श्रम बाजारों के नतीजे क्या हैं?

ifj.kke

- पश्चिम बंगाल में बागान कामगारो की दैनिक मजदूरी की दरें दक्षिण भारत के चाय बागानों के कामगारों की दैनिक मजदूरी दरों के साथ–साथ कृषि क्षेत्र की न्यूनतम मजूदरी की तुलना में काफी कम हैं।
- पश्चिम बंगाल में मौजूद कतिपय श्रम बाजार संस्थान ऐसे निराशाजनक और गैर समावेशी श्रम बाजार परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं।
- प्राथमिक स्तर से परे शिक्षा का अभाव, क्षेत्रों का सापेक्ष पिछड़ापन, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की लगभग नगण्य उपस्थिति, औद्योगिक वस्तुओं के लिए बागान कामगारों की मांग में कमी कुछ ऐसे औद्योगिक कारक हैं जो पश्चिम बंगाल में बागान क्षेत्रों के समावेशी विकास में कुल कमी के लिए जिम्मेदार हैं।
- पश्चिम बंगाल में मौजूद कतिपय श्रम बाजार संस्थान ऐसे निराशाजनक और गैर समावेशी श्रम बाजार परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। पुरुष कामगारों के लिए काम न करने वाली पत्नी और माता–पिता आश्रित हैं। महिला कामगारों के लिए काम न करने वाले पति और उनमे माता–पिता को आश्रित नहीं माना जाता है। चूंकि कुल मुआवजा नकद एवं गैर–नकद घटकों का योग होता है, महिला कामगारों के लिए कम गैर–नकद घटक का तात्पर्य है कि अन्य चीजें स्थिर रहती हैं, महिला कामगारों के लिए मुआवजा पुरुष कामगारों की तुलना में कम है। यह समान कार्य के लिए समान मजूदरी के सिद्धांत और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की भावना का उल्लंघन करता है।
- इस अध्ययन से उभरने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत अनिवार्यताएं हैंः कुल न्यूनतम मजूदरी अधिसूचना प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर बागान मजूदरी का पुनः प्रवर्तन करना एवं लैंगिक भेदभाव पहलू का हटाना तथा राज्य को इस क्षेत्र के साथ–साथ उद्योग का समग्र विकास सुनिश्चित करने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है, इससे अधिक जुड़ाव प्रभाव पड़ेगा।

v/;;u dk 'k# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को जुलाई 2017 में शुरु, एवं मार्च 2019 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- fdax'kqd ljdkj] Qsyks½

4- leku ikfjJfed vf/kfu;e] 1976% vf/kfu;e ds dk;kZUo;u esa lkdjkRed igy ,oa pqukSfr;ksa dh igpku djuk ¼Qst&I½

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 पर अध्ययन करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वीवीजीएनएलआई से अनुरोध किया। इस संबंध में एक प्रस्ताव लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र के अनुसंधान सलाहकार

समूह समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह सुझाव दिया गया कि दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण करने हेतु सैक्टरों यथा कृषि, निर्माण, इलैक्ट्रॉनिक, विनिर्माण, सौंदर्य उद्योग (स्वास्थ्य एवं कल्याण), होटल उद्योग, शिक्षा, प्राईवेट परिवहन तथा मीडिया की पहचान की जाए।

mnn';

- अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों एवं बाधाओं जैसे कि अधिनियम के बारे में जागरूकता का अभाव, खराब प्रवर्तन के कारणा आदि की पहचान करना।
- प्रस्तावित मजदूरी संहिता विधेयक, 2017 में मौजूदा समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुच्छेद 5 को शामिल न किए जाने के प्रभाव, क्या यह सी–111 {भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय), अभिसमय, 1958} के अनुच्छेद 2 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
- ऐसे कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना जहां अध्ययन करने तथा कार्यपालिका एवं विधायिका को ध्यान देने की आवश्यकता है।
- प्रस्तावति संहिता, जिसमें मौजूदा समान पारिश्रमिक अधिनियम भी शामिल है, के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रधान नियोक्ता को जिम्मेदार बनाना।

ifj.kke

- सभी हितधारकों के संवेदीकरण के लिए नियमित तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- उपरोक्त क्षेत्र में 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए' संस्थान को एक पद्धति विकसति करनी चाहिए। आगे चलकर ये प्रशिक्षित प्रशिक्षक संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में नियोक्ताओं, कामगारों एवं ट्रेड यूनियनों को कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- उन विश्वविद्यालयों, जहां पर जेंडर विभाग है, से भी ऐसे कार्यक्रम विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में आयोजित करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को जनवरी 2019 में शुरु, एवं मार्च 2019 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- 'kf'k cky] Qsyk½

5- vkbZVh@vkbZVhbZ,l m|ksx esa çlwfr çlqfo/kk ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2017 dk çHkko

mnn';%

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रभावों का विश्लेषण करना तथा कानूनी अनुपालन के मामले के रूप में मातृत्व संरक्षण का समाधान करना।

ifj.kke

- मॉड्यूलों का विकास तथा नियोक्ताओं, मानव संसाधन कार्मिकों, श्रम तंत्र के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं और एनजीओ/ट्रेड यूनियनों/अधिवक्ताओं जैसे दबाव समूहों के लिए प्रशिक्षण।
- मातृत्व से संबंधित संशोधित कानून की प्रमुख विशेषताओं के बारे में रेडियो विज्ञापन एवं टीवी विज्ञापन विकसित करने की आवश्यकता।
- उन नियोक्ताओं, जो मातृत्व अवकाश के बाद माताओं को नियोजित करते हैं, तथा उन नियोक्ताओं, जो 35 प्रतिशत महिला कर्मचरी नियोजित करते हैं व कानून का अनुपालन करते हैं, के लिए रियायत या प्रोत्साहन राशि का प्रावधान करने के संबंध में संबंधित मंत्रालयों से विचार–विमर्श करना।
- अधिसूचना और मातृत्व अवकाश वाली महिलाओं को 14 सप्ताह के वेतन के 50 प्रतिशत के भुगतान के सरकार के निर्णय को तेजी से लागू करना।
- शिशु–गृह (क्रेच) की समीपता, सुविधाओं एवं समय के लिए नियमों और अधिसूचनाओं की तत्काल आवश्यकता।
- मंत्रालय द्वारा नीतिगत स्तर पर कम से कम 04 सप्ताह के पितृत्व अवकाश के प्रावधान पर विचार किया जाना चाहिए।
- वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तथा कर्मचारियों को प्रदान किए गए मातृत्व हितलाभों से संबंधित विवरण अपनी वेबसाइट एवं कंपनी की रिपोर्टों में डालने हेतु नियोक्तओं के लिए अधिसूचना।
- श्रम अधिकारियों की उन शक्तियों, जिनका उपयोग प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने और उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले संगठनों के निरीक्षणों एवं दौरों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, का कानूनी अध्ययन।
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के कार्यान्यवन पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने के लिए मंत्रालय को एक ऑनलाइन पोर्टल पर विचार करना चाहिए।
- प्रयासों को हितधारकों तक पहुंचाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ अभिसरित प्रयास।
- संशोधित कानून और इसके कार्यान्वयन पर एक विस्तृत सैक्टर–वार अनुसंधान अध्ययन।
- स्थापना के प्रकार तथा रोजगार की प्रकृति के निरपेक्ष महिला कर्मचारियों के सर्वव्यापी प्रयोग के लिए कानून में संशोधन।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को जून 2018 में शुरु, एवं मार्च 2019 में पूरा किया गया।

¼ifj;ktuk fun'kd% Mk- 'kf'k ckyk] Qyk½

Tkkjh vul/kku ifj;ktuk

1- leku ikfjJfed vf/kfu;e] 1976 d dk;kUo;u ij vul/kku v/;;u

mnn';

- समान वेतन को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय पहलों की समीक्षा करना।
- विभिन्न सैक्टरों में समान पारिश्रमिक अधिनियम के कार्यान्वयन को मापना।
- सांस्कृतिक मानदंडों, सामान्य, तकनीकी शिक्षा के संबंध में कर्मचारियों/कामगारों की पदोन्नति/करियर प्रगति अवसरों को सहसंबद्ध करना।
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक सौदेबाजी तथा मजूदरी अंतर के बीच संबंधों का पता लगाना।
- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 5 के अनुसार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम अभिसमय 100 के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को जनवरी 2019 में शुरु किया गया, तथा इसे अगस्त 2019 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;ktuk fun'kd% Mk- 'kf'k ckyk] Qyk½

çe[k dk;'kkyk,@lfeukj

- vrjk"Vh; efgyk fnol d volj ij ij dk;'kkyk & fyx] vçnÙk dk; vkj n[kHkky% lrr fodkl y{;k ¼,lMht½ dk çkIr dju dh fn'kk e

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन (आईसीआरडब्ल्यु) के सहयोग से 07–08 मार्च 2019 के दौरान वीवीजीएनएलआई परिसर में *लिंग, अप्रदत्त कार्य और देखभाल: सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में* एक दो–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार थे: (i) भारत में लिंग, अप्रदत्त कार्य और देखभाल से संबंधित प्रमुख सरोकारों को समझना;

(ii) महिलाओं के अप्रदत्त कार्य और देखभाल का समाधान करने वाले वैश्विक, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय अनुभवों में से अच्छी प्रथाओं को साझा करने हेतु मंच उपलब्ध करना; (iii) श्रम, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल आदि सैक्टरों में महिलाओं के उप्रदत्त कार्य एवं देखभाल का समाधान करने पर अनुसंधान एवं नीतिगत एजेंडा के लिए एक ढांचा विकसित करना। डॉ.एच.श्रीनिवास,महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने कार्यशाला के प्रतिभागियों एवं प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए एक विशेष व्याख्यान दिया। सुश्री शुभलक्ष्मी नंदी, उप क्षेत्रीय निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन (आईसीआरडब्ल्यु)–एशिया, ने कार्यशाला के लिए संदर्भ निर्धारित किया। मुख्य संबोधन डॉ. रत्ना सुदर्शन, ट्रस्टी एवं भूतपूर्व निदेशक, भारतीय सामाजिक अध्ययन संस्थान ट्रस्ट (आईएसएसटी) द्वारा दिया गया। इस कार्यशाला में एक विशेष व्याख्यान श्री रोहित कुमार, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिया। समापन भाषण सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने दिया। धन्यवाद प्रस्ताव डॉ. एलीना सामतंराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई, जिन्होंने कार्यशाला का समन्वय भी किया, ने दिया। इस कार्यशाला में शिक्षाविदों, व्यावसायिकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों, सिवलि सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों ने भाग लिया।

उद्घाटन सत्र में: सुश्री शुभलक्ष्मी नंदी, उप क्षेत्रीय निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन (आईसीआरडब्ल्यु)–एशिया; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई; डॉ. रत्ना सुदर्शन, ट्रस्टी और डॉ. एलीना सामतंराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई

- leku ikfjJfed vf/kfu;e] 1976% vf/kfu;e d s dk;kZUo;u e s ldkjkRed igy ,o pqukSfr;k s dh igpku djuk ij dk;Z'kkyk

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 27 मार्च 2019 को समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976: अधिनियम के कार्यान्वयन में सकारात्मक पहल एवं चुनौतियों की पहचान करना पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों एवं बाधाओं की पहचान करना था। कार्यशाला के गणमान्य सदस्यों ने ऐसे कमजोर क्षेत्रों, जहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तथा ऐसे तरीकों, जिनसे समान पारिश्रमिक अधिनियम के उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है, की भी पहचान की। इस कार्यशाला में विभिन्न

हितधारकों (शिक्षाविदों, श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियनों) से 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में निर्दिष्ट विचार–विमर्षों के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों को विस्तृत विचार–विमर्शों के लिए लिया गया।

क) अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों एवं बाधाओं जैसे कि अधिनियम के बारे मे जागरूकता का अभाव, खराब प्रवर्तन के कारणा आदि की पहचान करना।

ख) प्रस्तावित मजदूरी संहिता विधेयक, 2017 में मौजूदा समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुच्छेद 5 को शामिल न किए जाने के प्रभाव, क्या यह सी–111 {भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय), अभिसमय, 1958} के अनुच्छेद 2 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

ग) ऐसे कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना जहां अध्ययन करने तथा कार्यपालिका एवं विधायिका को ध्यान देने की आवश्यकता है।

घ) प्रस्तावित संहिता, जिसमें मौजूदा समान पारिश्रमिक अधिनियम भी शामिल है, के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रधान नियोक्ता को जिम्मेदार बनाना।

dk;'kkyk d iufyLVk ,o çfrHkkfx;k }kjk dh xbZ lLrqfr;k

*सभी हितधारकों (सरकारी अधिकारियों, नियोक्ताओं, कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, एनजीओ आदि) के मध्य उभरते मुद्दों पर जागरूकता के सृजन के लिए निम्नलिखित संस्तुतियां की गईं:

1) सभी हितधारकों के संवेदीकरण के लिए नियमित तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

2) उपरोक्त क्षेत्र में 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए' संस्थान को एक पद्धति विकसित करनी चाहिए। आगे चलकर ये प्रशिक्षित प्रशिक्षक संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में नियोक्ताओं, कामगारों एवं ट्रेड यूनियनों को कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

3) उन विश्वविद्यालयों, जहां पर जेंडर विभाग है, से भी ऐसे कार्यक्रम विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में आयोजित करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

*दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है:

क) कृषि
ख) निर्माण

ग) इलैक्ट्रॉनिक, विनिर्माण
घ) सौंदर्य उद्योग (स्वास्थ्य एवं कल्याण)
ङ) होटल उद्योग
च) शिक्षा
छ) प्राईवेट परिवहन
ज) मीडिया उद्योग

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई; डॉ. शशि बाला, फेलो एवं कार्यशाला समन्वयक तथा कार्यशाला के प्रतिभागीगण

iokŸkj dn

उत्तर–पूर्व क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9 प्रतिशत है और यहां की आबादी देश की कुल आबादी का 3.8 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। यह क्षेत्र पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल एवं म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 08 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक–राजनैतिक कारणों की वजह से एनईआर देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है। कम उत्पादकता एवं बाजार तक कम पहुंच के साथ यहां पर अवसंरचना एवं शासन भी ठीक नहीं हैं।

एनईआर में कार्यबल भारत के कुल कार्यबल का 3.6 प्रतिशत है (2011–12)। एनईआर में श्रम परिदृश्य कई कारणों (भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक) की वजह से देश के अन्य भागों की तुलना में अलग है। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की दर कम है एवं आधुनिक सेवा क्षेत्र का यहां सीमित विस्तार हुआ है। यहां पर कृषि कार्य (झूमिंग जैसी विचित्र प्रणालियों की उपस्थिति के कारण) भी भिन्न हैं। श्रम बाजार प्रतिभागिता में सांस्कृतिक लोकाचार भी अलग है, जो अन्य बातों के साथ लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों में श्रम बल की विशिष्ट बनावट को दर्शाते हैं। फिर भी प्रवास एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो आबादी के आंतरिक प्रवास (क्षेत्र के अंदर एवं बाहर) के मामले के साथ–साथ श्रमिकों का राष्ट्र के अन्य भागों से अंतः प्रवेश के मामले में, विभिन्न सामाजिक–राजनैतिक विचारों के कारण और पेचीदा हो गया है।

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति–उन्मुखी अनुसंधान करने, कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करने तथा श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिए 2009 में एक नये केंद्र, पूर्वोत्तर केंद्र (सीएनई) की स्थापना की।

dn d ie[k vul/kku fo"k;%

- रोजगार एवं बेरोजगारी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां
- लिंग एवं रोजगार
- प्रवास एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य एवं श्रम
- आजीविका नीतियां
- क्षेत्रक विश्लेषण
- कौशल–अंतर अध्ययन

- औद्योगिक संबंध एवं विनियमन
- श्रमिकों एवं कामगारों के आंदोलन का समाजशास्त्र

dn d çe[k çf'k{k.k fo"k;

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्षित समूहों में श्रम अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के महिला कामगार एवं प्रतिनिधि, एनजीओ/सिविल सोसायटी, विश्वविद्यालय के छात्र एवं अनुसंधानकर्ता हैं। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैं:

- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- श्रम कानूनों की मौलिकता
- महिला कामगारों से संबंधित श्रम मुद्दों एवं कानूनों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा
- असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन
- श्रम अध्ययन में अनुसंधान विधियां
- श्रम और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र

çe[k dk;'kkyk,@lfeukj

- पर्वतीय क्षेत्र में सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा पर कार्यशाला

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल ने 'पर्वतीय क्षेत्र में सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा' पर एक पाँच–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 17–21 दिसम्बर 2018 के दौरान कॉन्फ्रेंस हॉल, यूजीसी–एचआरडीसी, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल में किया। इसका उद्घाटन प्रो. अजय सिंह रावत, प्रख्यात पर्यावरण इतिहासकार ने किया। इस कार्यशाला का लक्ष्य प्रतिभागियों को सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों से परिचित कराना तथा सूक्ष्म–स्तरीय आजीविका कार्यक्रम शुरु करने के लिए तकनीक एवं कार्यनीतियां विकसित करना था। इसके उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को सामाजिक संरक्षण की संकल्पना से परिचित कराना, प्रतिभागियों को सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों तथा आम तौर पर देश में एवं विशेष तौर पर राज्य में सूक्ष्म–स्तरीय अनुभवों से परिचित कराना, सामाजिक संरक्षण एवं स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थागत तंत्रों की भूमिका को समझना, तथा इस क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका संरक्षण कार्यक्रमों को शुरु करने के लिए सरकार, ट्रेड यूनियनों एवं सामुदायिक नेताओं की भूमिका

पर विचार–विमर्श करना। इस कार्यशाला में ट्रेड यूनियनों, एनजीओ तथा शोध अध्येताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पाठ्यक्रम निदेशक प्रो. डी. एस. बिष्ट, कुमाऊं विश्वविद्यालय तथा डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, वीवीजीएनएलआई थे।

'पर्वतीय क्षेत्र में सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा' पर कार्यशाला के प्रतिभागीगण

- **iwoksZÙkj Hkkjr esa Je ,oa jkstxkj ij dk;Z'kkyk**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ एंड पॉलिसी रिसर्च और वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पूर्वोत्तर केंद्र ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ एंड पॉलिसी रिसर्च में 08 मार्च 2019 को संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे: कार्य के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का पता लगाना; पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में युवाओं, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, प्रवासन, कौशल, उद्यमिता आदि से संबंधित मुद्दों को समझना; प्रतिभागियों को आम तौर पर भारत में और विशेष तौर पर पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में हालिया पहलों एवं घटनाक्रमों से परिचित कराना; तथा श्रम एवं रोजगार को शोध विषय के तौर पर लेने हेतु प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना। इस कार्यशाला में 50 एम.ए. के छात्रों, शोध अध्येताओं और शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय प्रो. अमरजीत सिंह, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो ने किया।

- **iwokZsÙkj Hkkjr esa Je ,oa jkstxkj ij dk;Z'kkyk**

पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार पर कार्यशाला के प्रतिभागी समन्वयकों से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के स्पेशल सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पूर्वोत्तर केंद्र ने जेएनयू, नई दिल्ली के स्पेशल सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 19 मार्च 2019 को संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे: कार्य के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का पता लगाना; पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में युवाओं, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, प्रवासन, कौशल, उद्यमिता आदि से संबंधित मुद्दों को समझना; प्रतिभागियों को आम तौर पर भारत में और विशेष तौर पर पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में हालिया पहलों एवं घटनाक्रमों से परिचित कराना; तथा श्रम एवं रोजगार को शोध विषय के तौर पर लेने हेतु प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना। इस कार्यशाला में 50 एम.ए. के छात्रों, शोध अध्येताओं और शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. बिजॉयकुमार सिंह, जेएनयू और डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो ने किया।

Je ,o LokLF; v/;;u dn

स्वास्थ्य प्रणालियों की वह मात्रा, जो विभिन्न सामाजिक समूहों की जरूरतों को पूरा करती है, दुनियाभर में चिंता का विषय है। यह चिंता उन देशों में और भी अधिक है जो तेजी से आर्थिक विकास एवं संस्थागत बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य लाभों के साथ–साथ स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में समानान्तर निष्पक्षता उपलब्ध करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य प्रावधानों और कार्य की दुनिया के साथ इसकी अंतर–संबद्धता के प्रमुख मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। यह विशेषीकृत केंद्र, एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में कामगारों के सामने उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। केंद्र के प्रमुख अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

dn d e[; vu l/kku {k=

- रोजगार एवं उभरते स्वास्थ्य जोखिमों के नये रूप तथा रुग्णता के पैटर्न।
- श्रम बाजार रूपान्तरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसकी चुनौतियां।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एवं स्वास्थ्य व्यवहार: जाति, वर्ग, धर्म एवं लिंग के आधार पर इंटरफेस।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली और इसके प्रभाव।
- स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सामाजिक बीमा की भूमिका।

i jh dh xb ifj;k tuk

1- fyx] dk;l ,o LokLF; & fnYyh ,ulhvkj e vukipkfjd fofuek.k e dk;l lxBu] lkekftd lj{kk ,o lj{kk çko/kkuk dk ,d v/;;u

यह अध्ययन दिल्ली के समान एवं असमान औद्योगिक क्षेत्रों में फैले अनौपचारिक विनिर्माण सैक्टर में किया गया। इस अध्ययन में कार्यस्थल के मानकों तथा कामगारों के स्वास्थ्य, संरक्षा और कल्याण पर इनके प्रभाव को समझने की कोशिश की गई। इस अध्ययन में विशेष रूप से कार्य संगठन के संदर्भ में लैंगिक गतिशीलता को समझने तथा गृह–आधारित इकाइयों में महिला कामगारों पर अनौपचारिक विनिर्माण के प्रभाव का आकलन करने की भी कोशिश की गई।

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार थे:

- दिल्ली में अनौपचारिक विनिर्माण इकाइयों के कार्य संगठन एवं संचालन का समझना

- अनौपचारिक विनिर्माण इकाइयों के विनियमन से संबंधित नीतिगत ढाँचे को समझना तथा इसका विश्लेषण करना
- अनौपचारिक विनिर्माण इकाइयों में कार्यरत कामगारों के प्रोफाइल को समझना
- कार्यस्थल के मानकों तथा कामगारों के स्वास्थ्य, संरक्षा और कल्याण पर इनके प्रभाव के बारे अनौपचारिक विनिर्माण के प्रभावों को समझना
- उनकी सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार एवं लिग आधारित चिंताओं से संबंधित प्रमुख सरोकारों का समाधान करना
- विभिन्न हितधारकों के परिप्रेक्ष्य को समझना

ifj.kke

यह अध्ययन में विनिर्माण परिदृश्य में संगठित एवं असंगठित विनिर्माण इकाइयों की भारी उपस्थिति को उजागर करता है। इन इकाइयों में अधिकांश कामगार या तो अनियत कामगार हैं या फिर संविदा कामगार। वे खराब स्वास्थ्य एवं संरक्षा मानकों सहित असुरक्षा के विभिन्न प्रकारों का सामना करते हैं। प्राथमिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों और सभी संबंधित हितधारकों के साथ किए गए विस्तृत विचार–विमर्श के आधार पर इस अध्ययन में अनौपचारिक विनिर्माण इकाइयों में नियोजित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारों में सुधार के लिए अभिनव एवं व्यावहारिक उपायो ंके सुझाव दिए गए हैं। इसमें यह तर्क दिया गया है कि प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा संहिता में सुझाए गए बुनियादी सामाजिक सुरक्षा उपायों के सार्वभौमीकरण से अनौपचारिक विनिर्माण इकाइयों में नियोजित कामगारों के कल्याण में सुधार में काफी मदद मिल सकती है। इसमें यह भी बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के कार्यान्वयन से श्रमिकों की स्थिति में परिवर्तन, अनौपचारिक से औपचारिक, होगा।

v/;;u dk ’k# ,oa ijk djus dh frfFk

अध्ययन को सितम्बर 2017 में शुरु, एवं मई 2018 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- :ek ?kks"k] Qyk½

tyok;q ifjorZu rFkk Je dsUnz

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक वैश्विक सरोकार है और भारत में जहां लोगों की बहुत बड़ी संख्या कृषि पर निर्भर है और उनकी आजीविका का मुख्य साधन अनौपचारिक क्षेत्र है, वहां जलवायु परिवर्तन का प्रभाव काफी विकट है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने और इसका संबंध कार्य की दुनिया से स्थापित करने के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने वर्ष 2010 में एक नए अनुसंधान केंद्र *जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र* की स्थापना की है। इस अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर नीति–उन्मुख अनुसंधान करना और इसका संबंध श्रम तथा आजीविका से स्थापित करना है। केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

dsUnz ds eq[; vuqla/kku {ks=

- जलवायु परिवर्तन, श्रम और आजीविका के बीच अन्तः संबंधों को समझना।
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार चुनौतियां तथा ग्रीन जॉब में संक्रमण।
- आजीविका अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तनशीलता के शमन की रणनीतियों, और मैक्रो, मेसो तथा माइक्रो स्तर पर हो रहे परिवर्तन का मूल्यांकन।
- जलवायु परिवर्तन और प्रवासन पर इसका प्रभाव।
- प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों तथा जनसाधारण पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

विशिष्ट अनुसंधानीय मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऐसे असुरक्षित श्रमिकों की जीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जो निर्वाह योग्य खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन सेक्टर, समुद्र तटीय मछली पालन/नमक/खेती लगे हैं तथा जो स्थानीय जंगलों पर निर्भर अनुसूचित जनजातियां से हैं।
- उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने, नौकरी खोने पर संरक्षण देने तथा जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए माइक्रो नीतियों को नई दिशा देने में नियोजकों तथा ट्रेड यूनियनों की भूमिका।
- खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का सूखे, बाढ़ तथा अति–अनिश्चित मानसून के कारण कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में कमी के साथ संबंधन के द्वारा प्रभाव।
- आजीविका सुरक्षा के बचाव के लिए और जलवायु परिवर्तन को अंगीकृत करने में मनरेगा की भूमिका।
- जलवायु परिवर्तन और लिंगीय मुद्दे।
- जलवायु परिवर्तन एवं तेज होती प्रवास प्रक्रिया पर इसका प्रभाव।
- जलवायु परिवर्तन की स्थानीय अवधारणाओं, स्थानीय नियंत्रणकारी क्षमताओं तथा मौजूदा अंगीकरण रणनीतियों को समझना।
- विभिन्न पणधारियों के लिए जलवायु परिवर्तन विज्ञान, इसके संभाव्य प्रभाव और विभिन्न अंगीकरण एवं प्रवास रणनीतियों के संबंध में क्षमता निर्माण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

vUrjk"Vªh; uVoÉdx dn

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय संस्थान ऐसे मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ प्रोफेशनल सहयोग स्थापित करने के प्रति समर्पित है, जो श्रम तथा इससे संबद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने विभिन्न अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ करने के लिए पिछले कई वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान (आईआईएलएस) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किये हैं। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में संस्थान ने कुछ नई पहलें की हैं, जिनसे न केवल आईएलओ, यूएनडीपी और यूनिसेफ जैसे संगठनों के साथ सहयोग को बल मिला है बल्कि जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी), कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई), अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी), ट्यूरिन, श्रीलंका श्रम एवं रोजगार संस्थान, यूएन वीमेन, आईजीके वर्क एंड ह्यूमन लाइफसाइकिल इन ग्लोबल हिस्ट्री, हम्बोत यूनिवर्सिटी, जर्मनी तथा सेंटर फॉर मॉडर्न स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, जर्मनी जैसे संस्थानों के साथ नए एवं दीर्घकालीन संबंधों का निर्माण हुआ है। सहयोग के प्रमुख विषयों में बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, लिंगीय मुद्दे, कौशल विकास, श्रम इतिहास, उत्तम कार्य तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की आईटीईसी/एससीएपी स्कीम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। वर्ष 2018–19 के दौरान संस्थान ने श्रम में लिंगीय मुद्दे, नेतृत्व विकास, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध, विकास एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रबंधन, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियाँ तथा स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा जैसे मुख्य प्रतिपाद्य विषयों पर सात अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन के मध्य व्यावसायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पांच वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2012 में हस्ताक्षर किये गये तथा उसके बाद इसे अक्टूबर 2018 तक बढ़ाया गया। इस एमओयू का उद्देश्य सभी के लिए उत्तम कार्य के संवर्धन के लिए दोनों संस्थानों के बीच प्रशिक्षण गतिविधियों में सहयोग बढ़ाना है।

इस एमओयू के एक हिस्से के तौर पर संस्थान ने आईटीसी–आईएलओ के सहयोग से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए:

(i) अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों के लिए 23–27 अप्रैल 2018 के दौरान ताज महल होटल, नई दिल्ली में eY; J[kykvk d ek/;e l futh {k= dk fodkl पर एक पाठ्यक्रम। इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान सरकार के 15 अधिकारियों ने भाग लिया।

(ii) अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों के लिए 25–29 जून 2018 के दौरान ताज महल होटल, नई दिल्ली में ukt|d ifjfLFkfr;k e fodkl d fy, urRo पर एक पाठ्यक्रम। इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान सरकार के 20 अधिकारियों ने भाग लिया।

(iii) ^çHkkoh etnjh uhfr;k r|;kj ,o dk;kfUor djuk^ पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन 20–22 अगस्त 2018 के दौरान होटल ताज मानसिंह, नई दिल्ली में किया गया। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजूदरी नीतियों को तैयार एवं कार्यान्वित करने में योगदान करने हेतु प्रतिभागियों की क्षमता का संवर्धन करना था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक ने किया तथा सुश्री डग्मर वाल्टर, निदेशक, आईएलओ डीडब्ल्युसीटी, भारतीय कार्यालय ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। डॉ. शेर वरिक, कार्यक्रम प्रबंधक, आईटीसी ट्यूरिन ने पाठ्यक्रम का परिचय एवं सिंहावलोकन दिया। इस कार्यक्रम में एशिया–प्रशांत क्षेत्र के नौ देशों (मलयेशिया, वियतनाम, म्यांमार, मंगोलिया, श्री लंका, नेपाल, फिलीपींस, ब्रुनेई, दारूसलाम, भारत) के श्रम मंत्रालयों, नियोक्ता एव कागमार संगठनों के 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन के बीच हुए समझौता ज्ञापन को पाँच वर्ष की अवधि के लिए, 28 नवम्बर 2018 से 27 नवम्बर 2023 तक, बढ़ा दिया गया है।

एमओयू का आदान–प्रदान करते हुए डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और श्री यांगो लिउ, निदेशक, आईएलओ–आईटीसी

वीवीजीएनएलआई और आईटीसी (आईएलओ) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद संस्थान ने 11–15 मार्च 2019 के दौरान *नाजुक परिस्थितियों में रोजगार संवर्धन के लिए नेतृत्व* पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान के सरकारी अधिकारियों, कामगार संगठनों एवं नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों और वीवीजीएनएलआई और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों सहित कुल 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वीवीजीएनएलआई, चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में आयोजित ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में गठित Je vu|l/kku lLFkkuk dk fcDl uVod का भी एक सहभागी है। इस नेटवर्क के व्यावसायिक कार्यकलापों के एक भाग के तौर पर संस्थान वर्तमान में ;|ok jktxkj ij vu|l/kku v/;;u कर रहा है। इस अनुसंधान, जिसके मई 2019 तक पूरा होने की उम्मीद है, को ब्रिक्स नेटवर्क के अन्य भागीदार संस्थानों द्वारा किए जा रहे समान प्रकृति के अनुसंधान अध्ययनों के साथ 2019 में ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा तथा इन पर चर्चा की जाएगी।

वीवीजीएनएलआई ने आईटीसी और श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के अन्य संस्थानों के सहयोग से 04–29 मार्च 2019 के दौरान युवाओं के लिए बेहतर Je cktkj ifj.kkek dk c<kok nu ij cM iekku ij vkuykbu vkiu dkl का आयोजन किया। यह ऑनलाइन कोर्स ऐसी कार्रवाई–उन्मुख नीतियों और कार्यक्रमों, जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं से अनुभवजन्य अंतर्दृष्टि लेते हुए साक्ष्य आधारित नीतियों और कार्यक्रमों में उत्कृष्ट श्रम का बढ़ावा देते हैं, को तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने में प्रतिभागियों की क्षमता का विकास करने के लिए आयोजित किया गया। इस कोर्स में मुख्यतः इन पहलुओं पर फोकस किया गयाः वैश्विक आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय रुझान; श्रम बाजार की परिभाषाएं एवं संकेतक; पूरे विश्व में और ब्रिक्स देशों में युवा रोजगार के रुझान; राजकोषीय नीतियों सहित व्यापक आर्थिक नीतियां; शैक्षिक एवं कौशल कार्यक्रम; सक्रिय श्रम बाजार नीतियां; तथा युवा उद्यमिता संवर्धन। यह रिपोर्ट करना बड़े संतोष की बात है कि वीवीजीएनएलआई द्वारा किए गए व्यापक प्रचार के कारण इस कोर्स के लिए नामांकित प्रतिभागियों में अधिकतर भारतीय प्रतिभागी थे।

fo'ks"k dk;Øe@nkSjs

- संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित दो समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए:

¼i½ jk"Vªh; xzkeh.k fodkl ,oa iapk;rh jkt laLFkku] gSnjkckn ds lkFk ,evks;w ij gLrk{kj

ग्रामीण श्रमिकों पर फोकस के साथ श्रम एवं विकास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यकलाप संयुक्त रूप से करने हेतु वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के साथ 09 अप्रैल 2018 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

संस्थान ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर), हैदराबाद के उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडी) के सहयोग से 10–12 दिसम्बर 2018 के दौरान आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के ग्रामीण विकास अधिकरियों के लिए श्रम कानूनों पर अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: (i) मानवाधिकारों और विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संवैधानिक ढांचे एवं श्रम कानूनों पर विचार–विमर्श करना; (ii) श्रम कानून सुधार पहलों का व्यापक संदर्भ प्रदान करना; (iii) विभिन्न श्रम संहिताओं के मसौदों के मुख्य अंशों का साझा करना और विभिन्न सुधारात्मक उपायों की राह में आने वाली चुनौतियों पर विचार–विमर्श करना। इस कार्यक्रम में 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, (एनआईआरडी एंड पीआर तथा डॉ. संजय उपाध्याय, फेलो, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किया।

¼ii½ n’kjFk ek¡>h Je ,o vk;ktuk v/;;u lLFkku] iVuk d lkFk ,evk;w ij gLrk{kj

श्रम एवं रोजगार के मुद्दों से संबंधित सहयोगात्मक प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं शैक्षिक कार्यकलाप करने हेतु संस्थान ने दशरथ माँझी श्रम एवं आयोजना अध्ययन संस्थान, पटना के साथ 22 नवम्बर 2018 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई तथा श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने किए।

- LoPNrk i[kokM+k – संस्थान ने डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की अध्यक्षता में 01–15 मई 2018 के दौरान *स्वच्छता पखवाड़ा* का आयोजन किया। पूरे परिसर को नौ पॉकेटों/क्षेत्रों में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक कर्मचारी की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पॉकेट/क्षेत्र के लिए एक समिति गठित की गई थी और तदनुसार एक कार्य योजना तैयार की गई थी। प्रत्येक पॉकेट की मॉनिटरिंग संस्थान के संकाय सदस्यों और अधिकारियों द्वारा की गई। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलाप इस प्रकार हैं: स्वच्छता शपथ, श्रम दान, स्वच्छ और हरित परिसर पर चित्रकारी प्रतियोगिता, वृक्षारोपण आदि। संस्थान के समस्त कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा में प्रतिभागिता की। सर्वोत्तम पॉकेटों को पुरस्कारों के वितरण के साथ पखवाड़ा संपन्न हुआ।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान संस्थान के कर्मचरियों के साथ शपथ लेते हुए

- संस्थान ने 21 जून 2018 को "varjkZ"Vªh; ;kx fnol" मनाया। इसमें संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों के साथ–साथ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में योग के महत्व पर बल दिया तथा सभी लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने तथा प्रतिदिन इसका अभ्यास करने की सलाह दी।

21 जून 2018 को वीवीजीएनएलआई में 'योग दिवस' समारोह

- LFkkiuk fnol lekjksg–वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के 44वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन 02 जुलाई 2018 को बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉ. पूनम एस. चौहान, वरिष्ठ फेलो ने संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास सहित उपस्थित सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं स्टाफ का समारोह में स्वागत करते हुए महानिदेशक से जनसमूह को संबोधित करने का आग्रह किया। महानिदेशक ने सभी को अपनी शुभकामनाएँ पेश करते हुए संस्थान की विकास यात्रा के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि संस्थान अपनी क्षमता एवं अवसंरचना के मामले में पहले से काफी ज्यादा परिपक्व एवं विकसित हुआ है तथा हमें स्पष्ट लक्ष्य तय करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता–प्राप्त संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात समारोह के सुचारु आयोजन के लिए डॉ. पूनम एस. चौहान ने श्री अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो से मंच संचालन करने का आग्रह किया। श्री अमिताभ खुंटिआ ने बहुत ही आकर्षक तरीके से सभी कार्यक्रमों के साथ–साथ उनमें प्रतिभागिता करने वाले स्टाफ के बारे में बताया। इस समारोह को राष्ट्रीय स्वरूप देते हुए इसमें स्टाफ को अपनी मातृभाषा में अपनी प्रस्तुति देने की स्वतंत्रता दी गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागतम वृंदगान 'मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम' से की गई तथा इसका समापन समूह गान के साथ हुआ। इनके अलावा कर्नाटकी संगीत, भोजपुरी संगीत, ओड़िया, मणिपुरी, गढ़वाली, कुमाऊँनी एवं हिंदी गानों, कविता पाठ के अलावा दो हास्य–नाटिकाओं एवं 'महिला सशक्तिकरण' पर एक लघु नाटक का मंचन किया गया। संस्थान के लगभग एक–तिहाई स्टाफ ने विभिन्न

कार्यक्रमों में भाग लेकर समारोह के सफल आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- महानिदेशक ने समारोह के शानदार मंचन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी तथा सभी से इसी उत्साह के साथ आगे भी कार्य करने का अनुरोध किया। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो एवं श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा किया गया। धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए डॉ. एलीना सामंतराय ने संस्थान के महानिदेशक, प्रतिभागियों एवं समारोह में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।
- संस्थान ने पहली बार 07–10 जनवरी 2019 के दौरान vlxfBr dkexkjk d fy, eFkkMh ekMy ij {kerk fuekZ.k dk;Øe का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) मथाड़ी मॉडल पर प्रतिभागियो के परिप्रेक्ष्य का निर्माण, इसके इतिहास एवं उद्भव, इसकी विभिन्न विशेषताओं और कार्यप्रणाली, स्कीमों, कामगारों के सशक्तिकरण के लिए इसका महत्व, तथा इसकी सीमाओं सहित गहरा ज्ञान प्रदान करना; (ii) प्रतिभागियों को श्रम एवं रोजगार से संबंधित विभिन्न मुद्दों से परिचित कराना; (iii) श्रम कानूनों एवं श्रम कानूनों में हुए हालिया परिवर्तनों के बारे में जानकारी होना; तथा (iv) प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए कौशल प्रदान करना। इस कार्यक्रम में 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का समन्वय Mk- eukt tkVo, एसोसिएट फेलो ने किया।

- vrjk"Vh; çfrfuf/keMy dk nkjk

श्री सातोशी ससाकी, उप निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने 17 जनवरी 2019 को संस्थान का दौरा किया और वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान एवं आईएलओ के सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण कोरिया (केओआईसीए) के प्रतिनिधिमंडल के साथ आईएलओ– केओआईसीए सहयोगात्मक ढांचा परियोजना पर विचार–विमर्श करने हेतु 12 फरवरी 2019 को वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा में एक बैठक की।

çf'k{k.k vkj f'k{kk ¼2018&19½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन को भावी साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवृत्ति के परिवर्तन, कुशलता के विकास तथा ज्ञान की दृष्टि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैं:

- केंद्र, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति।

वर्ष 2018–19 के दौरान संस्थान ने 146 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 4460 कार्मिकों ने भाग लिया।

Je ç'kklu dk;ZØe

इन कार्यक्रमों को केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण, प्रवर्तन,

अर्धन्यायिक कार्य, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। ऐसे 11 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 232 सहभागियों ने भाग लिया।

vk|kfxd lc/k dk;Øe

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार-विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों, मानव संसाधन अधिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं को सहभागिता प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। ऐसे 18 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 342 सहभागियों ने भाग लिया।

{kerk fuek.k dk;Øe

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों के संगठनकर्ताओं और श्रमिकों के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे 51 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 1733 सहभागियों ने भाग लिया।

cky Je dk;Øe

ये कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनसीएलपी अधिकारी, समाज कार्य के विद्यार्थी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। ऐसे 04 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 176 सहभागियों ने भाग लिया।

vUrjk"Vh; çf'k{k.k dk;Øe

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्ध है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विषयों जैसे कि लिंगीय मुद्दे, श्रम प्रशासन एवं रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां, स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा पर 09 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें कुल मिलाकर 246 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया।

iokŸkj jkT;k d fy, çf'k{k.k dk;Øe

संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य पणधारियों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित

कार्यक्रमों पर जोर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने उपरोक्त विषयों पर 14 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 543 कार्मिकों ने भाग लिया।

vuqla/kku fof/k dk;ZØe

इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के युवा अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ–साथ सरकारी संगठनों में वृत्तिकों की श्रम अनुसंधान एवं नीति में रुचि बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे 06 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 137 सहभागियों ने भाग लिया।

lg;kxkRed çf'k{k.k dk;ZØe

संस्थान ने समान उद्देश्य वाले संस्थानों तथा राज्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान मुबंई; एनसीडीएस, भुवनेश्वर; महात्मा गाँधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात; राज्य श्रम संस्थान, पश्चिम बंगाल; एसएलआई ओडिशा; कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल; गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु; दशरथ माँझी श्रम संस्थान; जेएमआई, नई दिल्ली; नेहू, शिलॉन्ग के सहयोग से असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां, श्रमिक मुद्दे, बाल श्रमिकों का बचाव एवं पुनर्वास आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कुल मिलाकर ऐसे 22 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 753 सहभागियों ने भाग लिया।

vkUrfjd dk;ZØe

संस्थान ने विभिन्न आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम हैं। संस्थान ने भारतीय रिजर्व बैंक, कैनरा बैंक, भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय (सी), उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कुल मिलाकर 11 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। कुल मिलाकर 298 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की।

vçSy 2018&ekpZ 2019 ds nkSjku vk;ksftr çf'k{k.k dk;ZØe

Øe la-	dk;ZØe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
Je ç'kklu dk;ZØe ¼,y,ih½				
1.	अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी – भूमिका और कार्य, 23 – 26 अप्रैल 2018	04	26	संजय उपाध्याय
2.	आईआरपीएस परिवीक्षाथियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 – 17 अप्रैल 2018	02	04	संजय उपाध्याय
3.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन 11 – 15 जून 2018	05	22	संजय उपाध्याय
4.	महिलाओं समानता एवं सशक्तिकरण से संबंधित कानून, 02 – 06 जुलाई 2018	05	19	शशि बाला
5.	गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की दिशा में: चुनौतियां एवं विकल्प 20–23 अगस्त 2018	04	16	एस. के. शशिकुमार
6.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर श्रम कानून (ईएसआईसी) 27 – 31 अगस्त 2018	05	29	रूमा घोष
7.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन 04 – 08 दिसम्बर 2018	05	15	संजय उपाध्याय
8.	गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की दिशा में: चुनौतियां एवं विकल्प 07 – 10 जनवरी 2019	04	30	एस. के. शशिकुमार
9.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन 28 जनवरी – 01 फरवरी 2019	05	37	संजय उपाध्याय
10.	कानूनों के प्रवर्तन में महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 – 15 फरवरी 2019	05	27	शशि बाला
11.	केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के अधिकारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण, 25 फरवरी – 17 मई 2019	35	07	संजय उपाध्याय
	;ksx & 11	79	232	

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)				
12.	ट्रेड यूनियन नेताओं का सषक्तिकरण 14 – 19 मई 2018	06	09	पूनम एस. चौहान
13.	प्रभावी नेतृत्व विकसित करने के लिए व्यवहार कौशल, 04 – 08 जून 2018	05	17	पूनम एस. चौहान
14.	ट्रेड यूनियन नेताओं के सषक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 – 27 जून 2018	03	12	पूनम एस. चौहान
15.	कार्य का प्रभावी प्रबंधनः व्यवहारवादी दृष्टिकोण, 23 – 26 जुलाई 2018	04	18	पूनम एस. चौहान
16.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 27 – 29 अगस्त 2018	03	34	संजय उपाध्याय
17.	कार्य कुशलता में सुधार करना 05 – 07 सितम्बर 2018	03	21	पूनम एस. चौहान
18.	ट्रेड यूनियन नेताओं का सशक्तिकरण 24 – 26 सितम्बर 2018	03	21	पूनम एस. चौहान
19.	एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण 24 – 26 सितम्बर 2018	03	19	रूमा घोष
20.	एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संबंध एवं ट्रेड यूनियनवाद 22 – 24 अक्टूबर 2018	03	17	एस. के. शशिकुमार
21.	महिला अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 29 – 31 अक्टूबर 2018	03	14	धन्या एम. बी.
22.	ट्रेड यूनियन नेताओं का सशक्तिकरण 12 – 17 नवम्बर 2018	06	29	पूनम एस. चौहान
23.	प्रभावी नेतृत्व विकसित करने के लिए व्यवहार कौशल 17 – 21 दिसम्बर 2018	05	21	पूनम एस. चौहान
24.	कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना 17 – 21 दिसम्बर 2018	05	09	अमिताभ खुंटिआ

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	çfrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
25.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कर रोकथाम में क्षमता को बढ़ाना 14 – 18 जनवरी 2019	05	06	शशि बाला
26.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 18 – 22 फरवरी 2019	05	33	संजय उपाध्याय
27.	मानव संसाधानों का प्रभावी प्रबंधन 11 – 15 फरवरी 2019	05	12	अमिताभ खुंटिआ
28.	संविदा श्रमिक प्रबंधन 12 – 14 मार्च 2019	03	39	शशि बाला
29.	आईआरपीएस परिवीक्षाथियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 – 22 मार्च 2019	05	11	संजय उपाध्याय
	;kx & 18	75	342	
{kerk fuekZ.k dk;Øe ¼lhchih½				
30.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 09–13 अप्रैल 2018	05	29	पूनम एस. चौहान
31.	ग्रामीण महिला संगठनकर्ताओं का सशक्तिकरण, 09–13 अप्रैल 2018	05	28	शशि बाला
32.	परिवहन कामगारों के नेतृत्व कौशल बढ़ाना, 16 – 20 अप्रैल 2018	05	31	पूनम एस. चौहान
33.	नेतृत्व विकास कार्यक्रमः मीडिया सैक्टर 16 – 20 अप्रैल 2018	05	29	अमिताभ खुंटिआ
34.	असंगठित सैक्टर के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा 23 – 27 अप्रैल 2018	05	23	पूनम एस. चौहान
35.	भवन एवं निर्माण सैक्टर में हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 21 – 25 मई 2018	05	43	संजय उपाध्याय
36.	श्रम बाजार और रोजगार नीतियां 14 – 18 मई 2018	05	07	अनूप सतपथी

Øe la-	dk;ZØe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
37.	लिंग, श्रम कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते परिप्रेक्ष्य 01 – 04 मई 2018	04	21	एलीना सामंतराय
38.	तेलंगाना के ट्रेड यूनियन नेताओं के नेतृत्व कौशल बढ़ाना 07 – 11 मई 2018	05	41	पूनम एस. चौहान
39.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रषिक्षण कार्यक्रम, 11 – 15 जून 2018	05	44	पूनम एस. चौहान
40.	लिंग और सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 25 – 29 जून 2018	05	19	शशि बाला
41.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक 18 – 22 जून 2018	05	19	रूमा घोष
42.	सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा, 25 – 29 जून 2018	05	19	धन्या एम. बी.
43.	अनौपचारिकता से औपचारिकता में संक्रमण, 18 – 22 जून 2018	05	35	अनूप सतपथी
44.	जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग 16 – 20 जुलाई 2018	05	36	शशि बाला
45.	युवा नियोजनीयता कौशलों की क्षमता को बढ़ाना, 16 – 29 जुलाई 2018	05	31	धन्या एम. बी.
46.	लिंग, कार्य और स्वास्थ्य 23 – 27 जुलाई 2018	05	30	रूमा घोष
47.	प्रवासन एवं विकासः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य 30 जुलाई – 03 अगस्त 2018	05	21	एस. के. शशिकुमार
48.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 – 17 अगस्त 2018	05	41	पूनम एस. चौहान

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	çfrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
49.	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियां विकसित करना 06 – 10 अगस्त 2018	05	21	शशि बाला
50.	मत्स्य और कृषि कामगारों के नेतृत्व कौशल बढ़ाना 27 – 31 अगस्त 2018	05	25	पूनम एस. चौहान
51.	श्रम एवं वैश्वीकरण पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 13 – 17 अगस्त 2018	05	45	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
52.	कौशल एवं उद्यमिता विकास 27 – 31 अगस्त 2018	05	29	अनूप सतपथी
53.	महिला संगठनकर्ताओं के नेतृत्व कौशल विकसित करना 10 – 14 सितम्बर 2018	05	52	धन्या एम. बी.
54.	ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 01 – 05 अक्टूबर 2018	05	53	पूनम एस. चौहान
55.	लिंग, गरीबी और रोजगार 22 – 26 अक्टूबर 2018	05	24	शशि बाला
56.	सक्रिय श्रम बाजार नीतियों का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन 29 अक्टूबर – 02 नवम्बर 2018	05	15	अनूप सतपथी
57.	जेंडर रेस्पॉन्सिव प्लांनिंग, बजटिंग एवं ऑडिंग पर अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम, 24 – 26 अक्टूबर 2018	03	23	शशि बाला
58.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 15 – 19 अक्टूबर 2018	05	52	एलीना सामंतराय मनोज जाटव
59.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 – 30 नवम्बर 2018	05	36	पूनम एस. चौहान

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
60.	घरेलू कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 12–16 नवम्बर 2018	05	38	शशि बाला
61.	बीड़ी कामगारों के के नेतृत्व कौशल सुदृढ़ करना, 19–23 नवम्बर 2018	05	32	पूनम एस. चौहान
62.	केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं के नेतृत्व कौशल बढ़ाना 19–23 नवम्बर 2018	05	25	रम्य रंजन पटेल
63.	पर्वतीय क्षेत्र में आजीविका और सामाजिक संरक्षण का प्रबंधन 03 – 07 दिसम्बर 2018	05	22	अमिताभ खुंटिआ
64.	बीएमएस के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 10 – 14 दिसम्बर 2018	05	32	एलीना सामंतराय
65.	श्रमिक मुद्दे और श्रम कानून 24 – 28 दिसम्बर 2018	05	55	मनोज जाटव
66.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 24 – 28 दिसम्बर 2018	05	42	रम्य रंजन पटेल
67.	सामाजिक सुरक्षा पर अभिविन्यास कार्यक्रम (एमआईएलएस), 07 – 12 दिसम्बर 2018	01	20	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
68.	सामाजिक सुरक्षा और केंद्र सरकार तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की विकासात्मक स्कीमों पर संवेदीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम 25 – 28 दिसम्बर 2018	04	198	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
69.	पर्वतीय क्षेत्र में आजीविका और सामाजिक संरक्षण का प्रबंधन, 17–21 दिसम्बर 2018	05	40	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	çfrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
70.	युवाओं की नियोजनीयता एवं उद्यमिता के लिए कौशल विकास 28 जनवरी – 01 फरवरी 2019	05	47	अमिताभ खुंटिआ
71.	श्रम में लैंगिक मुद्दे 21 – 25 जनवरी 2018	05	35	एलीना सामंतराय
72.	ग्रामीण संगठनकर्ताओं का सशक्तिकरण 21 – 25 जनवरी 2018	05	44	रम्य रंजन पटेल
73.	श्रमिक मुद्दे एवं श्रम कानून 14 – 18 जनवरी 2018	05	17	मनोज जाटव
74.	असंगठित कामगारों के लिए मथाड़ी मॉडल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 07 – 10 जनवरी 2018	04	34	मनोज जाटव
75.	तेलंगाना राज्य के ट्रेड यूनियन नेताओं के नेतृत्व विकास कार्यक्रम 04 –08 फरवरी 2019	05	23	मनोज जाटव
76.	बीड़ी कामगारों के के नेतृत्व कौशल सुदृढ़ करना 11 – 15 मार्च 2019	05	16	रम्य रंजन पटेल
77.	श्रमिक मुद्दे और असंगठित सैक्टर के कामगारों के लिए श्रम कानून 06 – 08 मार्च 2019	03	18	मनोज जाटव
78.	ग्रामीण महिला संगठनकर्ताओं का सशक्तिकरण 06 – 08 मार्च 2019	03	13	रम्य रंजन पटेल
79.	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, 25 – 27 मार्च 2019	03	30	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
80.	श्रम में लैंगिक मुद्दे 28 – 30 मार्च 2019	03	30	शशि बाला
	;kx & 51	238	1733	

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
Ckky Je dk;Øe ¼lh,yih½				
81.	एनसीएलपी के माध्यम से अनुभवों को साझा करने पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 07 – 10 अगस्त 2018	04	41	हेलन आर. सेकर
82.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाा के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 27 सितम्बर 2018	01	08	हेलन आर. सेकर
83.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाा के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 28 सितम्बर 2018	01	22	हेलन आर. सेकर
84.	जम्मू और कश्मीर राज्य में बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए प्रयासों एवं सेवाओं का अभिसरण 29 – 31 अक्टूबर 2018	03	105	हेलन आर. सेकर
	;ksx & 04	09	176	
vuqla/kku i)fr dk;Øe ¼vkj,eih½				
85.	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां 14 – 25 मई 2018	12	32	अमिताभ खुंटिआ
86.	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां 17 – 28 सितम्बर 2018	12	29	अनूप सतपथी
87.	श्रम पर ऐतिहासिक अनुसंधान में पद्धतियां, 10 – 14 सितम्बर 2018	05	17	एस. के. शशिकुमार
88.	श्रम बाजार विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यशाला, 10 – 14 दिसम्बर 2018	05	15	एस. के. शशिकुमार
89.	श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियां 07 – 18 जनवरी 2019	12	25	रूमा घोष
90.	श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियां, 18 फरवरी – 01 मार्च 2019	12	19	एलीना सामंतराय
	;ksx & 06	58	137	

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	çfrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
mÿkj&ioh jkT;k d fy, dk;Øe ¼,ub ih½				
91.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 09 – 13 अप्रैल 2018	05	42	संजय उपाध्याय
92.	श्रम में लैंगिक मुद्दे 23 – 27 अप्रैल 2018	05	22	शशि बाला
93.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 21 – 25 मई 2018	05	23	पूनम एस. चौहान
94.	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा, 07 – 11 मई 2018	05	32	धन्या एम. बी.
95.	लिंग, कार्य और सामाजिक संरक्षण 04 – 08 जून 2018	05	32	शशि बाला
96.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 23 – 27 जून 2018	05	36	संजय उपाध्याय
97.	सामाजिक संरक्षण के साधन के तौर पर विकास योजनाएं 09 – 13 जुलाई 2018	05	23	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
98.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 20 – 24 अगस्त 2018	05	40	शशि बाला
99.	कौशल विकास के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना, 27–31 अगस्त 2018	05	48	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
100	श्रम में लैंगिक मुद्दे 08 – 12 अक्टूबर 2018	05	52	शशि बाला
101	श्रमिक मुद्दों तथा महिला कामगारों से संबंधित कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण, 08–12 अक्टूबर 2018	05	53	धन्या एम. बी.
102	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सामाजिक संरक्षण और आजीविका 21 – 25 जनवरी 2018	05	61	धन्या एम. बी.
103	ग्रामीण संगठनकर्ताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 04 – 08 फरवरी 2018	05	35	रम्य रंजन पटेल

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	çfrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe funs'kd
104	पूर्वोत्तर राज्यों के असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा 11 – 15 फरवरी 2018	05	44	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
	;kx & 14	70	543	
vrjk"Vh; çf'k{k.k dk;Øe ¼vkbVhih½				
105	नाजुक राज्यों में मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र का विकास, अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों के लिए, नई दिल्ली 24 – 27 अप्रैल 2018	05	16	एलीना सामंतराय
106	नाजुक राज्यों में विकास के लिए नेतृत्व पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों के लिए, नई दिल्ली, 25 – 29 जून 2018	05	20	एलीना सामंतराय
107	अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक तथा कार्यस्थल में लैंगिक समानता का संवर्धन 06 – 24 अगस्त 2018	19	26	एलीना सामंतराय
108	कौशल विकास एवं रोजगार सृजन 10 – 28 सितम्बर 2018	18	25	अमिताभ खुंटिआ
109	नेतृत्व कौशल बढ़ाना 08 – 26 अक्टूबर 2018	19	38	शशि बाला
110	एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम और रोजगार संबंध 12 – 30 नवम्बर 2018	19	34	एस. के. शशिकुमार
111	कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दे 03 – 21 दिसम्बर 2018	19	32	शशि बाला
112	कामगारों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संरक्षण 04 – 22 फरवरी 2019	19	28	रूमा घोष
113	नाजुक राज्यों में रोजगार संवर्धन के लिए नेतृत्व, होटल ताज मानसिंह, नई दिल्ली, 11 – 15 जून 2018	05	27	एलीना सामंतराय
	;kx & 09	128	246	

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	çfrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
vkUrfjd dk;Øe				
114	कैनरा बैंक के अधिकारियों के लिए कार्य कुशलता में सुधार 02 – 04 मई 2018	03	42	पूनम एस. चौहान
115	आरबीआई के अधिकारियों (श्रेणी III) के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 26 – 30 नवम्बर 2018	05	29	पूनम एस. चौहान
116	आरबीआई के अधिकारियों (श्रेणी IV) के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 03 – 07 दिसम्बर 2018	05	30	पूनम एस. चौहान
117	आरबीआई के अधिकारियों (श्रेणी III) के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 10 – 14 दिसम्बर 2018	05	28	पूनम एस. चौहान
118	आरबीआई के अधिकारियों (श्रेणी IV) के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 17 – 21 दिसम्बर 2018	05	25	पूनम एस. चौहान
119	नाल्को के अधिकारियों के लिए कार्यालय प्रबंधन, 27 – 29 दिसम्बर 2018	03	18	पूनम एस. चौहान
120	आरबीआई के अधिकारियों (श्रेणी III) के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 07 – 11 जनवरी 2019	05	29	शशि बाला
121	आरबीआई के अधिकारियों (श्रेणी IV) के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 14 – 18 जनवरी 2019	05	27	शशि बाला

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
122	आरबीआई के अधिकारियों (श्रेणी प्प्) के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 28 जनवरी – 01 फरवरी 2019	05	28	शशि बाला
123	नाल्को के अधिकारियों के लिए कार्यालय प्रबंधन, 14 – 16 जनवरी 2019	03	12	शशि बाला
124	आरबीआई के अधिकारियों (श्रेणी प्ट) के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 04 – 08 फरवरी 2019	05	30	शशि बाला
	;ksx & 11	49	298	
lg;ksxkRed çf'k{k.k dk;Øe ¼lhVhih½				
125	लिंग, कार्य और सामाजिक सरंक्षण, एसएलआई ओडिशा 10 – 12 जुलाई 2018	03	31	अमिताभ खुंटिआ
126	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, बिहार सरकार, पटना, 25 – 27 जुलाई 2018	03	45	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
127	तटीय क्षेत्रों में आजीविका और सामाजिक संरक्षण का प्रबंधन (एमआईएलएस), 23 – 27 जुलाई 2018	05	30	अमिताभ खुंटिआ
128	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व, (एमआईएलएस, मुंबई) 07 – 09 अगस्त 2018	03	50	संजय उपाध्याय
129	श्रमिक एवं विकासात्मक मुद्दों पर अभिविन्यास कार्यक्रम (एनसीडीएस) 09 – 13 अक्टूबर 2018	05	35	अमिताभ खुंटिआ
130	भारत में श्रम सुधारः परिप्रेक्ष्य एवं चुनौतियां (एमजीएलआई) 22 – 24 अक्टूबर 2018	03	45	संजय उपाध्याय
131	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां (एमजीएलआई, मुंबई) 24 – 28 दिसम्बर 2018	05	30	रूमा घोष

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	çfrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
132	आंध्र प्रदेश के ग्रामीण विकास अधिकारियों के लिए श्रम कानूनों पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 10–12 दिसम्बर 2018	03	30	संजय उपाध्याय
133	पर्वतीय क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण का प्रबंधन (कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल) 17 – 21 दिसम्बर 2018	05	40	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
134	भारत में श्रमिक मुद्दे एवं नीतियां 31 दिसम्बर – 04 जनवरी 2019	05	45	शशि बाला
135	श्रम अनुसंधान में मात्रात्मक एवं गुणात्मक पद्धतियां (एमजीएलआई) 31 दिसम्बर – 04 जनवरी 2019	05	26	शशि बाला
136	सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (केआईएलई) 21 – 23 जनवरी 2019	03	30	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
137	लिंग पर उभरते परिप्रेक्ष्यों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएलआई, ओडिशा) 15 – 17 जनवरी 2019	03	30	एलीना सामंतराय
138	नेतृत्व कौशल विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएलआई, ओडिशा) 15 – 17 जनवरी 2019	03	34	रम्य रंजन पटेल
139	ग्रामीण भारत में श्रम के समावेशन पर अनसुंधान कार्यप्रणाली पाठ्यक्रम (गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु) 07 – 11 जनवरी 2019	05	27	शशि बाला
140	'अभिसरण योजनाओं' को लागू करने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, दशरथ माँझी श्रम संस्थान, पटना, बिहार, 06 – 08 फरवरी 2019	02	41	हेलन आर. सेकर
141	लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाना (जेएमआई, नई दिल्ली) 25 फरवरी – 01 मार्च 2019	05	30	शशि बाला

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	çfrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
142	बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन, एसएलआई, ओडिशा 12 – 14 मार्च 2019	03	30	हेलन आर. सेकर
143	लिंग, कार्य और सामाजिक संरक्षण, एसएलआई, ओडिशा 12 – 14 मार्च 2019	03	25	एलीना सामंतराय
144	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एसएलआई, ओडिशा 12 – 14 मार्च 2019	03	34	मनोज जाटव
145	सामाजिक संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएलआई, पश्चिम बंगाल) 25 – 27 मार्च 2019	03	30	मनोज जाटव
146	पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियोजनीयता एवं उद्यमिताउ हेतु महिलाओं का कौशल विकास, नेहू, शिलॉन्ग, 25 – 28 मार्च 2019	04	35	अमिताभ खुंटिआ
	;ksx & 22	82	753	
	dqy ;ksx & 146	788	4460	

vçSy 2018 ls ekpZ 2019 ds nkSjku vk;ksftr fd, x, çf'k{k.k dk;Øe

Øe l-	dk;Øe dk uke	dk;Øeksa dh l[;k	dk;Øe ds fnuksa dh l-	lgHkkfx;ksa dh l[;k
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)	11	79	232
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम(आईआरपी)	18	75	342
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)	51	238	1733
4.	अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी)	06	58	137
5.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपी)	09	128	246
6.	बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी)	04	09	176
7.	आंतरिक कार्यक्रम (इनहाउस)	11	49	298
8.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम (एनईपी)	14	70	543
9.	सहयोगात्मक कार्यक्रम (सीपी)	22	82	753
	tksM+	146	788	4460

,u- vkj- M Je lpuk llk/ku dn

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय-सह-प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने प्रयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

1- Hkkfrd lEink

iLrd% अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान पुस्तकालय में 174 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र. पत्रिकाएं खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र–पत्रिकाओं की संख्या 65]270 तक पहुंच गई।

i=&if=dk,% पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान 178 व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और अखबारों का मुद्रित और इलैक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में, नियमित रूप से अंशदान किया।

2- lok,

वेब–आधारित पुस्तकालय सेवाओं को शुरु करने के लिए '^,yvkbch,lokbl,l 10 bltch^^ खरीदकर पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उन्नयन किया गया है। पुस्तकालय निरंतर रूप से अपने उपभोक्ताओं के लिए निम्न सेवाएं बनाए रखता है:

- सूचना का चयनात्मक प्रचार–प्रसार (एसडीआई)
- वर्तमान जागरूकता सेवा
- ग्रन्थ विज्ञान सेवा
- आन–लाइन सेवा
- पत्रिकाओं का लेख सूचीकरण
- समाचार पत्रों के लेखों के कतरन
- माइक्रो फिच सर्च और प्रिंटिंग
- रिप्रोग्राफिक सेवा
- सीडी-रोम सर्च
- दृश्यश्रव्य सेवा

- वर्तमान विषय–वस्तु सेवा
- आर्टिकल अलर्ट सेवा
- लेंडिंग सेवा
- इंटर–लाइब्रेरी लोन सेवा

3- mRikn

पुस्तकालय प्रयोगकर्त्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है:

- vkof/kd lkfgR; dh ekxZn'kZdk% तिमाही अंतःसंस्थान प्रकाशन, जो 175 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- djUV tkx:drk cqysfVu% तिमाही अंतः संस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- vkfVZdy vyVZ% यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।
- vkfVZdy vyVZ% यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।
- orZeku fo"k;&oLrq lsok% यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय–वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- vkfVZdy vyVZ lsok–साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- bZ&U;wt isij drju lsok&यह श्रम एवं संबंधित विषयों संबंधी सभी प्रमुख खबरों की स्कैन कॉपी की साप्ताहिक सेवा है।

4- fof'k"Vhd`r lalk/ku dsUnz dk j[kj[kko

पुस्तकालय भवन में निम्नलिखित तीन विशिष्टीकृत संसाधन केंद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता है:

- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र
- एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय संसाधन केंद्र

jkt Hkk"kk uhfr dk dk;kUo;u

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी उपबंधों तथा विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए "हिन्दी सेल" का गठन किया गया।

jkt kHk"kk dk;kUo;u lfefr

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 13.06.2018, 18.09.2018, 28.12.2019 और 22.03.2019 को नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्तवपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

fgUnh dk;l'kkyk

संस्थान ने, अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिन्दी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कीं। ये कार्यशालाएं 31.05.2018, 28.08.2018, 15.11.2018 और 13.03.2019 को आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

इसके अतिरिक्त, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए संस्थान द्वारा 21 दिसम्बर 2018 को राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 24 सदस्य कार्यालयों के 57 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

frekgh fjikVZ

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च 2018, 30 जून 2018, 30 सितम्बर 2018 और 31 दिसम्बर 2018 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों को नियमित आधार पर राजभाषा विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

fgUnh i[kokM+k

संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा 14 सितम्बर 2018 से 01 अक्टूबर 2018 तक आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें निबंध एवं पत्र लेखन, सुलेख एवं श्रुतलेख, टिप्पण एवं आलेखन, हिन्दी टंकण एवं वर्ग पहेली, त्वरित भाषण प्रतियोगिता, हिंदी काव्य पाठ और राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या

में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। हिंदी पखवाड़ा के दौरान संस्थान के कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक चित्रकारी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। चित्रकारी प्रतियोगिता में तीन श्रेणियां रखी गयी थीं, अर्थात कक्षा 1–5 में पढ़ने वाले बच्चे, कक्षा 6–8 में पढ़ने वाले बच्चे एवं कक्षा 9–12 में पढ़ने वाले बच्चे, और प्रत्येक श्रेणी में दो पुरस्कार रखे गये थे। 01.10.2018 को समापन सत्र को संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने पुरस्कार वितरित किए।

jkt Hkk"kk dk c<+kok nus gsrq iqjLdkj

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की गृह पत्रिका 'श्रम संगम' को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना (गृह पत्रिका) के तहत वर्ष 2017–18 के लिए 'क' क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार हिन्दी दिवस 2018 के अवसर पर दिनाँक 14 सितंबर 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु जी द्वारा प्रदान किया गया।
- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा को वर्ष 2017–18 के दौरान राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा द्वारा दिनाँक 31.01.2019 को गेल (इंडिया) लिमिटेड, गेल जुबली टावर, सैक्टर–1 नौएडा में आयोजित नराकास, नौएडा की 37वीं बैठक में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्वावधान में दिनाँक 10.12.2018 को गेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सैक्टर–16ए, नौएडा में आयोजित आशु–संभाषण प्रतियोगिता में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नराकास, नौएडा की 37वीं बैठक में उक्त प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई पुरस्कार ग्रहण करते हुए

çdk'ku

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार–प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, अनियमित प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

tuZy@i=&if=dk,¡

ycj ,.M MoyieSV

लेबर एण्ड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर जोर देने के साथ श्रम एवं संबंधित क्षेत्रों में उच्च अकादमिक स्तर के लेख और विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में अनुसंधान नोट एवं पुस्तक समीक्षा प्रकाशित किए जाते हैं। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

vokMZ~l MkbtsLV

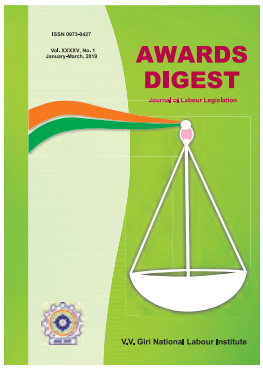

अवाड्र्स डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

Je fo/kku

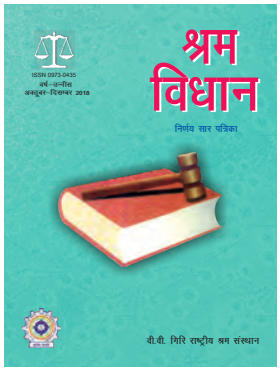

श्रम विधान एक तिमाही हिन्दी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम

कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

bn/kuq"k

संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही फैकल्टी और अधिकारियों की शैक्षिक गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला जाता है।

pkbYM gksi

चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए निकाला जा रहा है।

Je laxe

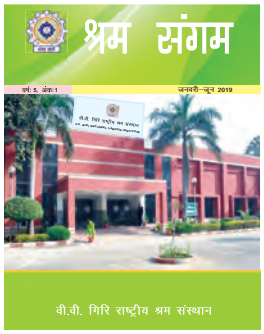

श्रम संगम एक छमाही राजभाषा पत्रिका है जिसका प्रकाशन हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर कर्मचारियों को उन्मुख करने तथा इसके प्रसार में उनकी सृजनशीलता का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें कर्मचारियों द्वारा रचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलकूद आदि से संबंधित ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक लेखों और महापुरुषों/साहित्यकारों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

,u-,y-vkbZ- vuqla/kku v/;;u Jà[kyk

संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 138 अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। 2018–19 में प्रकाशित अनुसंधान अध्ययन में निम्न शामिल हैं:

130/2018 क्वालिटी एंप्लॉयमेंट जेनरेशन इन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज (एमएसई) इन इंडियाः स्ट्रेटिजीज एंड वे फॉरवर्ड – डॉ. धन्या एम. बी.

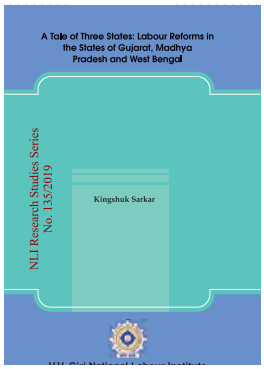

131/2018 प्रोस्पेक्ट्स फॉर यूथ एंप्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरः इश्यूज एंड चैलेंजिज – डॉ. एलीना सामंतराय

132/2018 इम्पैक्ट ऑफ दि मैटर्निटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) एक्ट, 2017 इन दि आईटी/आईटीईएस इंडस्ट्री – डॉ. शशि बाला

133/2018 रेग्युलेशन ऑफ फिक्स्ड टर्म एंप्लॉमेंटः एन इंटर–कंट्री पर्सपेक्टिव–डॉ. संजय उपाध्याय

134/2018 फेमिली लेबर इन स्मॉल होल्डिंग प्लांटेशन सैक्टरः अ स्टडी विद स्पेशल फोकस ऑन वीमेन एंड चिल्ड्रेन इन सलेक्टेड एरियाज़ ऑफ साउथ इंडिया – डॉ. किंगशुक सरकार एंड डॉ. रिंजू रसाइली

135/2018 अ टेल ऑफ थ्री स्टेट्सः लेबर रिफॉर्म्स इन दि स्टेट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल–डॉ. किंगशुक सरकार

136/2018 लो वेजिज़ एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशनः दि केस ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स इन वेस्ट बंगाल – डॉ. किंगशुक सरकार

137/2018 कॉम्प्लेक्सिटी इन दि डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम वेजिज फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स इन इंडिया – डॉ. किंगशुक सरकार

138/2018 अनपेड वर्क एंड टाईम यूज पैटर्न्स ऑफ वीमेन वर्कर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडियाः स्पेशल रेफरेंस टु त्रिपुरा – डॉ. एलीना सामंतराय

Okhoh th,u,yvkbZ ikWfylh ilifDVo t

वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिवज़ में सरकार के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों और श्रम एवं रोजगार पर इनके प्रभाव तथा उन कार्यनीतियों/नीतिगत पहलों, जिन्हें भविष्य में श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में अपनाया जा सकता है, पर फोकस किया जाता है।

vf/kd tkudkjh rFkk C;kSjs ds fy, d`i;k laidZ djs%
Ádk'ku ¼Hkkjh½
oh- oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku]
सैक्टर 24, नौएडा–201301
टेलीफोन : 0120–2411533/34/35
ई–मेलः publications.vvgnli@gov.in

i{k leFkZu vkSj çlkj

वंचित लोगों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करने हेतु शुरु किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों के विस्तार को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक सूचना का पक्ष समर्थन और प्रसार करने को प्रमुख कार्यनीति समझा जाता है। ऐसे पक्ष समर्थन एवं प्रसार कार्यकलापों का हिस्सा बनने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय एवं संगठन समय–समय पर वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से अनुरोध करते हैं।

नवीनतम अभिनव सरकारी योजनाओं और लोगों के कल्याण को बढ़ाने हेतु किए गए सरकारी हस्तक्षेपों पर जानकारी का प्रसार करने के लिए संस्थान ने वर्ष 2018–19 के दौरान दो बड़े पक्ष समर्थन एवं प्रसार कार्यकलापों, एक जम्मू में तथा दूसरा बलिया, उत्तर प्रदेश, में भाग लिया। इस तरह के कार्यकलापों में भाग लेते हुए संस्थान मुख्य रूप से अपने प्रशिक्षण एवं अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों से संबंधित जानकारी का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करता है तथा श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे कि रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम, बाल श्रम, लिंग एवं कार्य, ग्रामीण एवं कृषि श्रमिक आदि पर तकनीकी जानकारी भी प्रदान करता है। संस्थान इस तरह के आयोजनों में अपने सभी प्रकाशनों को भी प्रदर्शित करता है।

- jkbt+ bu tEew ,.M d'ehj

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने टीएआरएमईएच ईवेंट्स द्वारा 01–03 नवम्बर 2018 के दौरान भगवती नगर यात्री निवास, जम्मू में आयोजित ''राइज़ इन जम्मू एंड कश्मीर'' में प्रतिभागिता की। संस्थान के सभी कार्यकलापों यथा अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, प्रकाशन के साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख पहलों को प्रदर्शित किया गया। Okh- oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku ds LVkWy dks lcls vPNk LVkWy ¼lwpuk ,oa çLrqfrdj.k½ rFkk çFke mi fotsrk ¼f}rh; lcls vPNk LVkWy½ iqjLdkj çkIr gq,A iqjLdkjksa dk p;u vkxarqdksa ls çkIr QhMcSd ds vk/kkj ij fd;k x;kA विभिन्न स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के लगभग 15,000 छात्रों तथा शिक्षकों/प्रोफेसरों तथा आम जनता ने इस कार्यक्रम में विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया। इस कार्यक्रम में 45 विभिन्न सरकारी मंत्रालयों एवं संगठनों जैसे कि भारतीय

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसरो, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, राष्ट्रीय रॉक यांत्रिकी संस्थान, जी. बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग, सेल, एनएसडीसी, वाणिज्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री शमशेर सिंह मन्हास, माननीय सांसद (राज्य सभा) ने किया, उन्होंने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ वीवीजीएनएलआई स्टॉल का दौरा किया तथा प्रयासों की सराहना की। इस कार्यक्रम में वीवीजीएनएलआई से डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो, श्री राजेश कर्ण तथा वीवीजीएनएलआई के पूर्व प्रतिभागी सुश्री माल्विका उपाध्याय एवं सुश्री वहीदा रहमान ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के निदेशक श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई थे।

- Ckfy;k] mÙkj çn'k e lonhdj.k ,o tkx:drk dk;Øe

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण, शिक्षण एवं अनुसंधान कार्यकलापों की सूचना का प्रतिभागियों तक प्रसार करने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 22–31 दिसंबर 2018 के दौरान बलिया (उ. प्र.) में आयोजित स्वदेशी मेला, 2018 में भाग लिया। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा और सामान्य तौर पर केंद्र सरकार एवं करियर परामर्श सहित विशेष तौर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की विकास योजनाओं तथा बाल श्रम एवं लैंगिक मुद्दे जैसे विषयों पर तीन संवेदीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 22–31 दिसंबर 2018 के दौरान संस्थान के स्टॉल पर 1000 से अधिक व्यक्ति पधारे। 378 प्रतिभागियों, जिनमें युवा, ट्रेड यूनियनों के सदस्य, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, छात्र तथा माता–पिता शामिल थे, को संस्थान एवं इसके कार्यकलापों के बारे में व्यक्तिगत तौर पर बताया गया। अनेक गणमान्य व्यक्ति जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, विधायक, राज्य सरकार के अधिकारी, मीडिया, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि तथा शिक्षाविद शामिल थे, संस्थान के स्टॉल पर पधारे।

सभी प्रतिभागियों को बताया गया कि कैसे संस्थान ने अपनी स्थापना के समय से ही अपने अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रकाशन के माध्यम से उन सभी लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया है जो संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम से संबंधित मुद्दों से सरोकार रखते हैं। इस बात पर भी

जोर दिया गया कि ऐसे प्रयासों के केंद्र में श्रम के सभी पहलुओं के बारे में अकादमिक अंतर्दृष्टि तथा समझ का अंतरण नीति–निर्माण, कानून एवं संबंधित कार्रवाई के लिए करना है। बहुत सारे युवाओं को नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल के बारे में बताया गया तथा नामांकन प्रक्रिया में उनकी सहायता की गई। संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान एनसीएस पोर्टल में नामांकित चार युवाओं को नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। एक बाल श्रमिक, गोलू जो अनाथ है, चाय की दुकान पर काम कर रहा था और अपने दादा–दादी, जो काम करने में असमर्थ हैं, का पालन–पोषण कर रहा था, को बाल श्रम से बचाने का भी प्रयास किया गया। उसके परिवार को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए बलिया के जिलाधिकारी को एक आवेदन दिया गया। इस कार्यक्रम के समन्वयक एवं अन्य सदस्यों में Mk vkrk thr {kf=e;e, एसोसिएट फेलो; Mk- jE; jatu iVy, एसोसिएट फेलो; Jh ,l- d- oekZ, स.पु. एवं सू. अधिकारी तथा Jh jkts'k dekj d.k, आशुलिपिक ग्रेड–II शामिल थे।

बलिया, उत्तर प्रदेश में आयोजित संवेदीकरण और जागरूकता कार्यक्रम के दौरान संस्थान के स्टॉल पर आने वाले आगंतुक

laLFkku dh bZ&xousZal ,oa fMftVy volajpuk dk mUu;u

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) तथा डिजिटल इंडिया की अवसंरचना को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार साथ समन्वय में संस्थान ने अपने ई–गवर्नेंस तथा डिजिटल अवसंरचना का अगले स्तर तक उन्नयन करने के लिए कई कदम उठाये हैं। इस संबंध में उठाये गये प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

1- **bZ&vkfQl ç.kkyh dk lapkyu ,oa LFkk;hdj.k%** कार्यकारी कुशलता में सुधार तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए संस्थान ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन शुरु करके 'कम कागज प्रयोगकर्ता कार्यालय' बनने की ओर उन्मुख हुआ। एनआईसी के सहयोग से प्रयोगकर्ताओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके इस प्रणाली का स्थायीकरण किया गया तथा इसे टिकाऊ बनाया गया। ऐसा करने से संकाय सदस्यों, अधिकारियों तथा स्टाफ में स्वामित्व की भावना का संचार हुआ तथा अपने दैनिक कार्यों को इस प्रणाली में करने हेतु उनका विश्वास बढ़ा। ई–ऑफिस प्रणाली के अलावा, संस्थान ने ई–ऑफिस प्रणाली के तहत डाक के इलैक्ट्रोनिक प्रबंधन एवं ई–मेल को डायरीकृत करने के लिए भी स्वचालित केंद्रीय रजिस्ट्री यूनिट (सीआरयू) को सफलतापूर्वक स्थायीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, ई–ऑफिस प्रणाली में ई–सर्विस बुक मॉड्यूल शुरु करने के लिए संस्थान को मंत्रालय से अनुमति मिल गई है और संस्थान ने वैयक्तिक प्रबंधन सुचना प्रणाली (पीआईएमएस) में अंतरण एवं एकीकरण के लिए अपेक्षित कर्मचारी मास्टर डाटा (ईएमडी) एनआईसी एवं मंत्रालय के आईटी प्रकोष्ठ को भेज दिया है।

2- **ubZ osclkbV dk 'kqHkkjaHk ,oa lqn<+hdj.k%** संस्थान ने नई द्विभाषी वेबसाइट http://www.vvgnli.gov.in/ का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट विशिष्ट है, इसमें कई नई सुविधाएं हैं और यह उपयोगकर्ताओं के बेहद अनुकूल है। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज में नये फीचर्स जोड़े गये हैं जिनमें विशेषकर महापरिषद एवं कार्यपरिषद के अध्यक्षों के परिचयपत्र हैं, सुरक्षा फीचर्स को मजबूत किया गया है तथा कैप्शन की गई तस्वीरों एवं दृश्यों को अपलोड करके संस्थान के कार्यकलापों के व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है।

3- **ifjlj esa okbZ&QkbZ ,oa fuxjkuh ç.kkyh dk 'kqHkkjaHk%** राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, अतिथि विद्वानों एवं स्टाफ को परिसर में चौबीसों घंटे व्यापक वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा परिसर के अंदर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए संस्थान ने वाई–फाई एवं निगरानी परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, सहज एवं निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय एरिया नेटवर्क (लैन), वायरलेस लैन, एडेप्टर, नेटवर्क केंद्र एवं निगरानी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन के साथ संस्थान ने कार्यपरिषद (ईसी) द्वारा दिए गए आदेश को पूरा कर लिया है।

deZpkfj;ksa dh la[;k
¼31-03-2019 dk½

Lkewg	Lohd`r la[;k	inLFk
महानिदेशक	1	1
संकाय सदस्य	15	12
समूह क	5	3
समूह ख	13	10
समूह ग	26	9
समूह घ	25	19
;ksx	**85**	**54**

QdYVh

संस्थान की फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित हैः

lLFkku dh QdYVh

	एच. श्रीनिवास, एम.एससी., पीजीडीएम (एमडीआई), पीएच.डी., आईआरपीएस	महानिदेशक
1.	एस. के. शशिकुमार, एम.ए. पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
2.	हेलन आर. सेकर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
3.	संजय उपाध्याय, एल.एल.एम., पीएच.डी	वरिष्ठ फेलो
4.	रूमा घोष, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	फेलो
5.	अनूप के. सतपथी, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
6.	शशि बाला, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
7.	एलीना सामंतराय, एम.फिल., पीएच.डी	फेलो
8.	प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो
9.	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी	एसोसिएट फेलो
10.	एम. बी. धन्या, एम.ए, पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
11.	आर. आर. पटेल, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
12.	मनोज जाटव, एम.ए., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो

vf/kdkjh

1.	हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए., एफसीएमए	प्रशासन अधिकारी
2.	वी. के. शर्मा, बी.ए.	सहायक प्रशासन अधिकारी
3.	शैलेश कुमार, बी. कॉम	लेखा अधिकारी

LVkQ

Lkeg [k

1.	एस. के. वर्मा	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
2.	कैलाश सी. बुड़ाकोटी	पर्यवेक्षक
3.	मदन लाल	व. वै. सहायक
4.	बी. एस. रावत	व. हिंदी अनुवादक
5.	ए. के. श्रीवास्तव	पर्यवेक्षक
6.	मोनिका गुप्ता	आशुलिपिक ग्रेड–I
7.	पिंकी कालड़ा	आशुलिपिक ग्रेड–I
8.	सुधा वोहरा	आशुलिपिक ग्रेड–I
9.	गीता अरोड़ा	आशुलिपिक ग्रेड–I
10.	सुधा गणेश	आशुलिपिक ग्रेड–I

Lkeg x

1.	एस. पी. तिवाड़ी	सहायक ग्रेड–I
2.	विजय कुमार	सहायक ग्रेड–I
3.	सुरेन्द्र कुमार	सहायक ग्रेड–I
4.	जे. पी. शर्मा	सहायक ग्रेड–I
5.	राजेश कुमार कर्ण	आशुलिपिक ग्रेड–II
6.	वलसम्मा बी. नायर	आशुलिपिक ग्रेड–II
7.	राम किशन	आशुलिपिक ग्रेड–II
8.	नरेश कुमार	सहायक ग्रेड–II
9.	रंजना भारद्वाज	सहायक ग्रेड–II

ys[kk ijh{kk fjiksVZ

vkSj

ys[kkijhf{kr okf"kZd ys[kk

2018&2019

31 ekp 2019 dk lekIr o"k d fy, oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk d y[kk d lc/k e Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kk ijh{kd dh iFkd ys[kkijh{kk fjikV d lc/k e oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku dk tokc

Øe l[;k	ys[kkijh{kk isjk	lLFkku dk tokc
¼d½	lkekU;	
	अनुसूची–6 अचल परिसंपत्तियां को सीएबी के लिए निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक का चित्रण नहीं हो पाया है।	संस्थान अचल संपत्तियों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए संचित मूल्यह्रास पद्धति का अनुसरण कर रहा है तथा मूल्यह्रास को आय और व्यय विवरण में अलग से दिखाया गया है। इस तथ्य का उल्लेख अनुसची 18 (ख) 6–लेखों पर टिप्पणियां में किया गया है। इसलिए इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
¼[k½	lgk;rk vuqnku संस्थान ने ₹1059.00 लाख का सहायता–अनुदान प्राप्त किया तथा ₹480.00 लाख की आय आंतरिक स्रोतों से अर्जित की। इसमें ₹ 82.00 लाख का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि ₹1621.00 लाख हुई। संस्थान ने ₹1579.00 लाख का उपयोग किया तथा ₹42.00 लाख का अंत शेष रहा।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

संस्थान के उपरोक्त स्पष्टीकरणों को देखते हुए उठायी गयी आपत्तियों को छोड़ देने का अनुरोध है क्योंकि इनमें निधियों का दुर्विनियोजन नहीं है।

vuqc/k

Øe l-	fVIi.kh	Tkokc
1.	vkrfjd y[kkijh{kk ç.kkyh dh i;kIrrk संस्थान का अपना लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है। हालांकि वर्ष 2018–19 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा की गयी है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
2	vkrfjd fu;=.k ç.kkyh dh i;kIrrk जाँच किए गए क्षेत्र परीक्षण में कोई ध्यान देने योग्य बात नहीं पाई गई जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता को इंगित करती है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
3.	vpy ifjlaifÙk;ksa dk çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh अचल परिसंपत्तियों का वर्ष 2018–19 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
4.	oLrq&lwph dk çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh वस्तु–सूची का वर्ष 2018–19 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
5.	lkafof/kd ns;rkvksa dk Hkqxrku esa fu;ferrk संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

31 ekp 2019 dk lekIr o"k d fy, oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk d y[kk ij Hkkjr d fu;=d ,o egky[kk&ijh{kd dh iFkd y[kijh{kk fjikV

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (संस्थान) के संलग्न तुलन–पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। यह लेखा–परीक्षा 2022–23 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य–निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, भारत में आमतौर पर अपनाये गये लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की, एक परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल हैं। लेखापरीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा उचित तथ्यों पर आधारित है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं;

ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रपत्र पर बनाये गये हैं;

iii. हमारी राय में, जहां तक ऐसी लेखाबहियों की हमारी जांच से पता चलता है, और जैसे कि संस्थान के संगम ज्ञापन तथा नियम और विनियम के अनुच्छेद XVI के तहत आवश्यक हैं, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अपने लेखों की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

iv. हम आगे सूचित करते हैं कि:

¼d½ lkekU;

अनुसूची–6 अचल परिसंपत्तियां को सीएबी के लिए निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक का चित्रण नहीं हो पाया है।

¼[k½ lgk;rk vunku

संस्थान ने ₹1059.00 लाख का सहायता–अनुदान प्राप्त किया तथा ₹480.00 लाख की आय आंतरिक स्रोतों से अर्जित की। इसमें ₹82.00 लाख का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि ₹1621.00 लाख हुई। संस्थान ने ₹1579.00 लाख का उपयोग किया तथा ₹42.00 लाख का अंत शेष रहा।

¼Xk½ çc/ku i=% ऐसी कमियां, जिन्हें लेखा–परीक्षा रिपोर्ट मे शामिल नहीं किया गया है, को उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संज्ञान में लाया गया है।

v. पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखे, लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

अ. जहां तक यह 31 मार्च 2019 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के कार्य के तुलन–पत्र से संबंधित है; और

ब. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'घाटे' के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

Hkkjr dk fu;a=d ,oa egkys[kk-ijh{kd dh vksj ls

g-@

çca/ku ys[kkijh{kk funs'kd (lsUVªy)

LFkku: y[kuÅ
fnukad :

vuc/k

1- vkUrfjd y[kk ijh{kk dh i;kIrrk

संस्थान का अपना लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है। हालांकि वर्ष 2018–19 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा की गयी है।

2- vkUrfjd fu;=.k ç.kkyh dh i;kIrrk

जाँच किए गए क्षेत्र परीक्षण में कोई ध्यान देने योग्य बात नहीं पाई गई जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता को इंगित करती है।

3- vpy ifjlEifŸk;k d çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh

अचल परिसंपत्तियों का वर्ष 2018–19 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

4- oLrq-lph d çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh

वस्तु–सूची का वर्ष 2018–19 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

5- lkfof/kd n;rkvk d Hkxrku e fu;ferrk

संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।

g-@

mi fun'kd (lh b)

d".k dqekj pukuh ,M ,lkfl,V~l
सनदी लेखाकार
5/1, क्लाइव रो, तृतीय तल, कमरा सं. 78, कोलकाता – 700001
दूरभाशः 033–22302096/22309315

सेवा में,
महानिदेशक,
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

vkrfjd y[kkijh{kk fjikVZ ¼foÙk o"kZ 2018&19½

हमने 31 मार्च 2019 को यथास्थिति वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संलग्न तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है।

foÙkh; fooj.kksa gsrq çca/ku dh ftEesnkjh

इन वित्तीय विवरणों, जो वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन की सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरणों के संगत हों और निष्पादन की सही एवं उचित तस्वीर पेश करते हों तथा सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि, को तैयार करना, लागू करना एवं उसका अनुरक्षण करना है।

y[kkijh{kdksa dh ftEesnkjh

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विविरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, राषियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों का परीक्षण आधार पर जांच करना और वित्तीय विवरणों में प्रकटनें शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा इन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के सबंध में उचित आधार प्रदान करती है।

gekjh jk;

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं।

क) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2019 को यथास्थिति वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के कार्य के तुलन पत्र से संबंधित है और,

ख) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2019 को यथास्थिति संस्थान की आय से अधिक खर्चों के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है और,

ग) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा भुगतान के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से संबंधित हैं।

हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं।

हमारी राय में इन बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि संस्थान ने कानूनी रूप से जरूरी लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई हैं।

हमारी राय में इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

d".k dqekj pukuh
साझेदार कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स

lunh y[kkdkj
एफआरएन 322232 ई
सदस्यता सं. 056045
ubZ fnYyh] 15 tqu 2019

oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uks,Mk
31 ekpZ 2019 dk ;FkkfLFkfr rqyui=

nk;rk,a	vuq-	31-03-2019 dks vuqlkj vkdMs	31-03-2018 dks vuqlkj vkdMs
पूँजीगत निधि	1	99,639,969.38	105,483,322.51
विकास निधि	2	127,511,967.14	118,972,038.14
आरक्षित एवं अधिशेष	3	0.00	11,836,769.67
उद्दिष्ट निधि	4	67,313,080.67	71,618,471.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5	68,403,741.47	66,168,987.00
;ksx		**362,868,758.66**	**374,079,588.32**
ifjlaifÙk;ka			
अचल परिसंपत्तियाँ (निबल ब्लॉक)	6	114,502,525.00	129,543,432.00
निवेश: उद्दिष्ट निधि	7	135,331,860.37	126,381,061.37
चालू परिसंपत्तियाँ: ऋण एवं अग्रिम	8	113,034,373.29	118,155,094.95
;ksx		**362,868,758.66**	**374,079,588.32**

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;ka]
vkdfLed nk;rk,sa ,oa ys[kksa dh fVIif.k;ka 18
le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lca/k esa gLrk{kfjr
dr"k d".k dqekj pukuh ,.M ,lksfl,V~l
lunh ys[kkdkj ¼,Qvkj,u 322232 bZ½

g-@	g-@	g-@	g-@
d".k dqekj pukuh	'kSy's'k dqekj	g"kZ flag jkor	Mk- ,p- Jhfuokl
साझेदार (सद. सं. 056045)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	महानिदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनाँक: 15/06/2019

oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk
31 ekp 2019 dk lekIr o"k d fy, vk; ,o 0;; y[kk

C;kj	vu-	31-03-2019 d vulkj vkdM	31-03-2018 d vulkj vkdM
आय			
सहायता अनुदान	9	99893927.00	94,800,975.00
फीस एवं अंशदान	10	24102778.10	22,764,859.00
अर्जित ब्याज	11	2282866.00	1,902,727.95
अन्य आय	12	21690187.50	18,156,610.89
पूर्व अवधि आय	13	0.00	25,576.00
tkM ¼d½		**147969758.60**	**137,650,748.84**
0;;			
स्थापना व्यय	14	65437867.00	67,324,515.50
प्रशासनिक व्यय	15	27611886.73	28,814,630.90
पूर्व अवधि व्यय	16	109662.00	-
योजनागत अनुदान एवं सहायिकियों पर व्यय	17	50596517.00	50,000,651.50
tkM ¼[k½		**143,755,932.73**	**146,139,797.90**
मूल्यह्रास से पूर्व व्यय से अधिक आय (क–ख)		4,213,825.87	(8,489,049.06)
घटायें:			
मूल्यह्रास	6	14,108,696.00	14,210,525.00
शेष, जिसे घाटे के कारण पूंजी निधि में ले जाया गया		**(9,894,870.13)**	**(22,699,574.06)**

egRoi.k y[kk uhfr;k]
vkdfLed n;rk, ,o y[kk dh fVIif.k;k 18

le rkjh[k dh gekjh fjikV d lc/k e
gLrk{kfjr

d r% d".k dekj pukuh ,M ,lkfl,V l
lunh y[kkdkj ¼,Qvkj,u 322232 b½

g-@
d".k dekj pukuh
साझेदार (सद. सं. 056045)
स्थान: नई दिल्ली
दिनाँक: 15/06/2019

g-@
'kyS'k dekj
लेखा अधिकारी

g-@
g"k flg jkor
प्रशासन अधिकारी

g-@
Mk- ,p- Jhfuokl
महानिदेशक

oh- oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku] uks,Mk

31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ dh çkfIr;ka ,oa Hkqxrku ys[kk

fiNyk o"kZ 31-03-2018	çkfIr;ka	jkf'k ¼#i;s½ 31-03-2019	fiNyk o"kZ 31-03-2018	Hkqxrku	jkf'k ¼#i;s½ 31-03-2019
	vkfn 'ks"k			O;;	
27,202.95	हस्तगत रोकड	31,796.95	57,862,946.00	स्थापना व्यय	61,155,323.00
	cSd esa 'ks"k		28,093,595.43	प्रशासनिक व्यय	26,009,439.73
16,804,201.77	चालू खाता	19,600,137.88	54,621,191.50	योजनागत अनुदान का उपयोग	53,349,866.00
4,257,764.44	बचत खाता परियोजना	4,427,746.44		पूर्व अवधि व्यय	16,665,795.00
302,071.05	बचत खाता – आईओबी	313,748.55			
85,850.27	बचत खाता–कॉर्पोरेशन बैंक	91,434.27	9,874,500.00	vpy ifjlaifÙk;k¡	1,436,266.00
102,080,493.44	खाते में जमा–विकास निधि	118,972,038.14			
5,192,193.82	ग्रेच्युटी खाता–1130025	5,430,784.26	-	विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यय	4,245,152.50
4,828,839.38	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	4,897,279.38	1,901,381.00	अन्य एजेंसियां – व्यय	7,138,769.00
52,738.00	हस्तगत डाकटिकट	28,245.00			
2,955,794.75	ईएमडी एवं जमा प्रतिभूति	4,027,790.66			
20,279,782	कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025	12,587,976.03	92,844.00	LVkQ dks vfxze	373,184.00
	आइजीएल में जमा प्रतिभूति	-			
	çkIr vuqnku		625,980.00	विभागीय अग्रिम	1,386,500.00
115,400,000.00	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	105,900,000.00			
1,222,397.00	अन्य एजेंसियों से	1,787,375.00		vU; Hkqxrku	
-	अन्य परियोजनाओं से प्राप्तियाँ	2,243,583.00	334,650.00	जमा प्रतिभूति की वापसी	502,763.00
	çkIr C;kt				
8,299,919.50	विकास निधि	8,539,929.00		vUr 'ks"k	
-	उद्दिष्ट निधि	-			
6,131.00	वाहन अग्रिम	4,103.00	31,796.95	gLrxr jksdM+	3,891.95
1,896,596.95	बचत खाता	2,278,763.00		cSd esa 'ks"k	
169,982.00	ब्याजः परियोजना लेखा	159,832.00	19,600,137.88	चालू खाता	8,055,356.74
19,760,251.00	Qhl@vi'knku	28,287,901.74	313,748.55	बचत खाता – आईओबी	324,813.55
18,156,610.89	vU; vk;	16,611,316.00	91,434.27	बचत खाता – कार्पोरेशन बैंक	97,019.27
25,576.00	iqoZ vof/k vk;	-	5,430,784.26	ग्रेच्युटी खाता–1130025	13,103,240.76
552,404.00	विभागीय अग्रिम	1,360,023.00	4,897,279.38	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	10,164,499.38
	अग्रिमों की वसूली		28,245.00	हस्तगत डाक टिकट	34,801.00
339,664.00	स्टाफ से	354,546.00	118,972,038.14	जमाः विकास निधि	127,511,967.14
	अन्य प्राप्तियाँ		4,427,746.44	बचत खाता – परियोजना	2,585,955.44
-	आयकर वापसी	-	4,027,790.66	ईएमडी और जमा प्रतिभूति . 1150006	3,706,645.81
			12,587,976.03	कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025	43,027.03
1,119,601.00	प्राप्त जमा प्रतिभूति	-	-	आइजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073
323,816,065.49	tksM+	**337,936,349.30**	**323,816,065.49**	tksM+	**337,936,349.30**

*पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;ka

vkdfLed nsf;rk,a ,oa ys[kks dh fVIif.k;ka 18

le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lac/k esa gLrk{kfjr

d`rs d".k dqekj pkSuh ,.M ,lksfl,V~l

lunh ys[kkdkj ¼,Qvkj,u 322232 bZ½

g-@	g-@	g-@	g-@
d".k dqekj pkSuh	'kSys'k dqekj	g"kZ flag jkor	MkW- ,p- Jhfuokl
साझेदार (सद. सं. 056045)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली

दिनाँकः 15/06/2019

oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je lLFkku] uks,Mk
31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ ds fy, ys[kk dh vuqlwfp;k

vuqlwph 1 & iwath fuf/k

(# esa jkf'k)

		31-03-2019 ds vuqlkj vkadMs		31-03-2018 ds vuqlkj vkadMs
वर्ष के आरम्भ में शेष		105,483,322.51		106,333,315.77
जोड़ें: विकास निधि में अंतरण		-		(8,591,625.20)
जोड़ें: पूंजी निधि में अंशदान				
योजनागत अनुदानों से आय से अधिक व्यय	4,051,517.00		30,441,206.00	
			-	
		4,051,517.00	-	30,441,206.00
आय से अधिक व्यय		(9,894,870.13)		(22,699,574.06)
tksM		**99,639,969.38**		**105,483,322.51**

vuqlwph 2 & fodkl fuf/k

वर्ष के आरम्भ में शेष		118,972,038.14		102,080,493.44
जोड़ें: मूल्यह्रास आरक्षित निधि		-		8,591,625.20
जोड़ें: बचत खाते पर ब्याज		8,539,929.00		8,299,919.50
tksM		**127,511,967.14**		**118,972,038.14**

vuqlwph 3 & vkjf{kr ,oa vf/k'ks"k
ifjØkeh fuf/k

¼d½ ifjØkeh ,pch, fuf/k			
वर्ष के आरम्भ में शेष	-		6,468,640.93
जोड़ें: बैंक (एसबी, एफडीआर) से प्राप्त ब्याज	-		328,865.00
जोड़ें: एचबीए पर स्टाफ से प्राप्त ब्याज	-		61,594.00
tksM ¼d½	**-**		**6,859,099.93**

	31-03-2019 dh vuqlkj vkdMs	31-03-2018 dh vuqlkj vkdMs
¼[k½ ifjØkeh dI;Vj fuf/k		
वर्ष के आरम्भ में शेष	-	527,095.30
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	-	18,515.00
जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज	-	4,313.00
जोड़ें: स्टाफ से वसूला गया ब्याज		(12,000.00)
जोड़ें: पिछले वर्ष समायोजित		12,000.00
tkM ¼[k½	**-**	**549,923.30**

¼x½ ifj;kstuk fuf/k

वर्ष के आरम्भ में शेष	-	4,257,764.44
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	-	
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	-	169,982.00
घटायें: वर्ष के दौरान हुए व्यय, यदि कोई हो	-	-
tkM ¼x½	**-**	**4,427,746.44**
tkM ¼d [k Xk½	**-**	**11,836,769.67**

vuqlwph 4 & mnfn"V fuf/k

d- ifjØkeh ,pch, fuf/k		
वर्ष के आरम्भ में शेष	6,859,099.93	-
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	345,160.00	-
जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज	44,757.00	-
tkM ¼d½	**7,249,016.93**	**-**

[k-ifjØkeh dI;Vj fuf/k		
वर्ष के आरम्भ में शेष	549,923.30	-
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	18,020.00	-
जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज	2,933.00	-
tkM ¼[k½	**570,876.30**	**-**

x- ifj;kstuk fuf/k		
वर्ष के आरम्भ में शेष	4,427,746.44	-
जोड़ें: बैंक के दौरान प्राप्त	2,243,583.00	-
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	159,832.00	-
घटायें: वर्ष के दौरान हुए व्यय, यदि कोई हो	(4,245,206.00)	-
tkM ¼x½	**2,585,955.44**	**-**

	31-03-2019 d vu|lkj vkdM	31-03-2018 d vu|lkj vkdM
?k- py jgk dk;Z		
वर्ष के आरम्भ में शेष	71,618,471.00	86,860,652.00
जोड़ें: ढांचागत कार्य के लिए योजनागत अनुदान (आगे ले जाया गया)	4,569,807.00	5,324,525.00
घटाएं: मंत्रालय को लौटाया गया सहायता अनुदान	(16,665,795.00)	
जोड़ें: (घटाएं) वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीगत) की राशि		
घटाएं: वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीगत) की राशि	(2,615,251.00)	(20,566,706.00)
tkM ¼x½	**56,907,232.00**	**71,618,471.00**
tkM ¼d [k Xk ?k½	**67,313,080.67**	**71,618,471.00**

vu|lph 5 & pky n;rk, ,o çko/kku

d & pky n;rk,		
ईएमडी और जमा प्रतिभूति	2,759,813.00	3,262,576.00
विविध कर्जदारों सहित बकाया देयताएं	3,330,869.00	4,169,218.00
जीएसटी आउटपुट	390,098.47	-
बाहरी एजेंसियों की विविध परियोजनाएं	991,525.00	1,488,875.00
अप्रयोज्य मदों की बिक्री से अग्रिम	390,580.00	-
tkM ¼d½	**7,862,885.47**	**8,920,669.00**
[k & çko/kku		
सेवानिवृत्ति पर देय सांविधिक देयताएं	60,540,856.00	57,248,318.00
tkM ¼[k½	**60,540,856.00**	**57,248,318.00**
tkM ¼d$[k½	**68,403,741.47**	**66,168,987.00**

vu|lph 6 & vpy ifjlifÙk;k

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

fooj.k	eY;gkl dh nj	1-4-2018 dk ?kVrk eku	ifjo/ku 31-10-18 rd	31-10-18 d ckn	o"k d nkjku gVk,	31-03-19 dk tkM	eY;gkl dh jkf'k	31-03-19 dk ?kVrk eku
भूमि*	0%	-	-	-	-	-	-	-
भवन	10%	111,358,257	2,832,435	361,352	4,983,728	109,568,316	10,938,764	98,629,552
फर्नीचर व फिटिंग्स	10%	3,620,718		65,041	-	3,685,759	365,324	3,320,435
फर्नीचर व फिटिंग्स	15%	7,662,833	340,717	433,650	-	8,437,200	1,233,056	7,204,144
वाहन	15%	316,295			-	316,295	47,444	268,851
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	559,419	3,151		-	562,570	225,028	337,542
अमूर्त आस्तियां (एमएस ऑफिस)	25%	116,553			-	116,553	29,138	87,415
कंप्यूटर	40%	1,525,050			-	1,525,050	610,020	915,030
सूचना प्रौद्योगिकी	15%	4,384,307	15,171		-	4,399,478	659,922	3,739,556
		129,543,432	**3,191,474**	**860,043**	**4,983,728**	**128,611,221**	**14,108,696**	**114,502,525**

*भूमि को राज्य सरकार द्वारा 1981 में केद्र सरकार को दान में दिया गया था, इसलिए इसमें लागत शामिल नहीं है।

vuqlwph 7 & fuos'k ¼mnfn"V fuf/k;k½

	31-03-2019 dks vuqlkj vkdMs	31-03-2018 dks vuqlkj vkdMs
d- fodkl fuf/k		
सावधि जमा खाते	115,837,483.83	101,641,405.83
फडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	11,659,488.00	17,316,092.00
इंडियन ओवरसीज बैंकः एस.बी. खाता	14,995.31	14,540.31
tksM ¼d½	**127,511,967.14**	**118,972,038.14**
[k- ifjØkeh ,pch, fuf/k		
इंडियन ओवरसीज बैंकः एफडीआर	4,508,234.00	3,771,360.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	172,461.00	597,428.00
इंडियन ओवरसीज बैंकः एस.बी. खाता	1,122,409.93	888,038.93
स्टाफ को एचबीए अग्रिम	1,445,912.00	1,602,273.00
tksM ¼[k½	**7,249,016.93**	**6,859,099.93**
x- ifjØkeh dEI;wVj fuf/k		
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	535,206.30	505,186.30
स्टाफ को कंप्यूटर अग्रिम	35,670.00	44,737.00
tksM ¼x½	**570,876.30**	**549,923.30**
tksM ¼d$[k$x½	**135,331,860.37**	**126,381,061.37**

vuqlwph 8 & pkyw ifjlEifÙk;k] _.k ,oa vfxze

v- pkyw ifjlEifÙk;k		
d- udnh ,oa cSad esa 'ks"k		
हस्तगत नकदी	3,891.95	31,796.95
cSad esa 'ks"k%		
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खातों में	8,055,356.74	19,600,137.88
कार्पोरेशन बैंकः एसबी फ्लेक्सी खाता	43,027.03	12,587,976.03
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	324,813.55	313,748.55
कार्पोरेशन बैंकः एसबी खाता	97,019.27	91,434.27
ग्रेच्युटी खाता – 1130025	13,103,240.76	5,430,784.26
छुट्टी का नकदीकरण – 1130026	10,164,499.38	4,897,279.38
ईएमडी और जमा प्रतिभूति – 1150006	3,706,645.81	3,985,717.66
डाक टिकट खाता	34,801.00	28,245.00
आईजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00	42,073.00
tksM ¼d½	**35,575,368.49**	**47,009,192.98**

vuqlwph 8 & pkyw ifjlEifÙk;k] _.k ,oa vfxze ¼tkjh----½

[k- ifj;kstuk fuf/k	31-03-2018 dks vuqlkj vkdM+s	o"kZ dh nkSjku çkIr jkf'k	cSd C;kt	o"kZ dh nkSjku O;;	cSd çHkkj	31-03-2019 dks vuqlkj vkdM+s
vkbZvkbZch eas ,lch [kkrk						
एनआरसीसीएल खाता–4475	2,966,113.36	-	98,902.00	3,065,015.36		-
एफसीएनआर खाता–10500	144,904.94	-	5,139.00		29.50	150,014.44
यूनीसेफ बाल श्रम डाटा विश्लेषण–50721	4,819.14	-	193.00	5,012.14		-
यूनीसेफ बाल श्रम पर अनुक्रिया–50722	1,310,589.00	2,243,583.00	55,551.00	1,175,125.00	24.00	2,434,574.00
कार्पोरेशन बैंक, एसबी खाता						
वीवीजीएनएलआई कर्मचारी क. निधि 4098	1,320.00	-	47.00			1,367.00
tksM+ ¼[k½	**4,427,746.44**	**2,243,583.00**	**159,832.00**	**4,245,152.50**	**53.50**	**2,585,955.44**
tksM+¼v½ ¼d$[k½	**51,436,939.42**					**38,161,323.93**

c- _.k ,oa vfxze

	31-03-2018 dks vuqlkj vkdM+s	o"kZ dh nkSjku fn, x, vfxze	o"kZ dh nkSjku olwyh@lek;kstu	31-03-2019 dks vuqlkj vkdM+s
d- LVkQ dks				
कार अग्रिम	164,109.00	11,672.00	29,602.00	146,179.00
स्कूटर अग्रिम	7,244.00	2,832.00	7,740.00	2,336.00
एलटीसी अग्रिम	18,868.00	358,680.00	317,204.00	60,344.00
tksM+ ¼d½	**190,221.00**	**373,184.00**	**354,546.00**	**208,859.00**

	31-03-2018 dks vuqlkj vkdM+s	o"kZ dh nkSjku fn, x, vfxze	o"kZ dh nkSjku olwyh@lek;kstu	31-03-2019 dks vuqlkj vkdM+s
[k- ckgjh ,sftfl;ksa dks				
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2000–01	487,691.00	-	-	487,691.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2005–06	3,755,713.00	-	-	3,755,713.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2015–16	7,161,633.00	3,748,328.00	5,854,971.00	5,054,990.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2015–16		3,239,720.00		3,239,720.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2016–17	24,297,641.00	1,235,400.00	-	25,533,041.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2017–18	5,324,525.00	-	-	5,324,525.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2016–17	13,925,473.00	-	-	13,925,473.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2018–19		4,569,807.00		4,569,807.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2018–19		676,015.00		676,015.00
tksM+ ¼[k½	**54,952,676.00**	**13,469,270.00**	**5,854,971.00**	**62,566,975.00**

vuqlph 8 & pkyw ifjlEifÙk;k] _.k ,oa vfxze ¼tkjh----½

	31-03-2019 dks vuqlkj vkdMs	31-03-2018 dks vuqlkj vkdMs
x- vU; vfxze		
बाहरी एजेंसियों को अग्रिम	1,503,603.00	861,420.00
व्यय (प्राप्ति): विविध बाहरी एजेंसियों की परियोजनाएं	1,861,086.00	416,348.00
स्रोत पर कर की कटौती	4,136,713.00	3,330,096.00
जीएसटी	-	1,336,376.53
टीडीएस पर जीएसटी	70,200.00	-
विभागीय अग्रिम (एन.पी.)	97,758.00	-
विभागीय अग्रिम (पी.)	62,574.00	133,855.00
पूर्वदत्त खर्चे	640,209.00	2,010,425.00
विविध देनदार	3,725,072.36	3,486,738.00
tksM ¼x½	**12,097,215.36**	**11,575,258.53**
tksM ¼v$c½	**113,034,373.29**	**118,155,094.95**

vuqlph 9 & lgk;rk vuqnku

	31-03-2019 dks vuqlkj vkdMs	31-03-2018 dks vuqlkj vkdMs
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से सहायता अनुदान	105,900,000.00	110,000,000.00
tksM	**105,900,000.00**	**110,000,000.00**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रयुक्त सहायता अनुदान		
घटाएं: अवसंरचना के लिए उद्दिष्ट सहायता अनुदान	4,569,807.00	5,324,525.00
घटाएं: पूंजीकृत सहायता अनुदान	1,436,266.00	9,874,500.00
	(6,006,073.00)	**(15,199,025.00)**
vk; vkSj O;; [kkrk esa n'kkZ;h x;h jkf'k;k	**99,893,927.00**	**94,800,975.00**

vuqlph 10 & Qhl ,oa vfHknku

शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क	24,028,178.10	22,651,564.00
अवार्ड्स डाइजेस्ट अभिदान	23,930.00	39,340.00
लेबर एंड डेवलपमेंट अभिदान	22,510.00	32,055.00
श्रम कानून.शब्दावली की बिक्री से प्राप्तियाँ	11,000.00	17,000.00
श्रम विधान अभिदान	16,920.00	22,900.00
अन्य प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्तियाँ	240.00	2,000.00
tksM	**24,102,778.10**	**22,764,859.00**

vu|lph 11 & vftlr C;kt

	31-03-2019 dh vu|lkj vkdMs	31-03-2018 dh vu|lkj vkdMs
स्कूटर/वाहन अग्रिम पर ब्याज	4,103.00	6,131.00
प्राप्त ब्याज	2,278,763.00	1,896,596.95
tkM	**2282866**	**1,902,727.95**

vu|lph 12 & vU; vk;

गैर–योजनागत आय	3,059,906.00	3,797,209.00
हॉस्टल के उपयोग से आय	10,719,520.00	13,039,200.00
निविदा फार्मों की बिक्री	19,000.00	26,350.00
फोटोस्टेट से आय	457,914.00	459,666.00
स्टाफ क्वार्टरों से किराया.लाइसेंस शुल्क	148,086.00	152,328.00
बाहरी परियाजनाओं से आय	5,469,451.50	19,438.00
फैकल्टी परामर्श प्रभार	1,669,200.00	662,419.89
अन्य प्राप्तियों से आय	147,110.00	-
tkM	**21,690,187.50**	**18,156,610.89**

vu|lph 13 & iwoZ vof/k vk;

	Fig as at 31.03.2019	**Fig as at 31.03.2018**
पूर्व अवधि आय	0	25,576.00
	0	**25,576.00**

vu|lph 14 & LFkkiuk O;;

स्टाफ को वेतन	49,960,521.00	44,367,914.00
भत्ते एवं बोनस	4,481,713.00	2,339,062.00
एनपीएफ में अंशदान	3,946,894.00	3,569,764.00
कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर व्यय एवं सेवांत्त लाभ	6,092,519.00	15,430,637.50
प्रतिनियुक्ति स्टाफ का छुट्टी वेतन एवं पेंशन	956,220.00	461,016.00
सातवें वेतन आयोग का बकाया भुगतान	-	794,750.00
टी.ए. का अंतरण	-	361,372.00
tkM	**65,437,867.00**	**67,324,515.50**

vu|lph 15 & ç'kklfud O;;

विज्ञापन एवं प्रचार	280,309.00	5,131.00
भवन मरम्मत और उन्नयन	379,736.00	357,154.00
विद्युत एवं पॉवर प्रभार	6,769,791.00	7,459,625.00
हिंदी प्रोत्साहन व्यय	206,047.00	238,137.00
बीमा	70,316.00	15,776.00
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	76,749.00	284,840.00
विविध व्यय	404,601.27	119,188.93
सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	15,063,032.00	15,495,268.56
फोटोस्टेट व्यय	130,511.00	117,175.00
डाक टिकट, तार और संचार प्रभार	81,684.00	50,926.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	190,990.00	166,526.87

ejEer ,oa j[kj[kko		
क. कंप्यूटर	117,132.00	114,937.00
ख. कूलर/ए.सी	766,977.00	770,238.00
ग. कार्यालय भवन और संबद्ध	109,024.00	96,123.00
स्टाफ कल्याण व्यय	433,435.00	297,601.00
टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार	458,134.00	704,678.54
यात्रा एवं वाहन भत्ता संबंधी खर्चे	1,168,796.00	1,690,012.00
वाहन चालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चे	548,073.46	475,738.00
जल प्रभार	356,549.00	355,555.00
vk; vkj 0;; y[kk esa vfrfjr /kujkf'k;ka	**27,611,886.73**	**28,814,630.90**
पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत	-	-
tksM+	**27,611,886.73**	**28,814,630.90**

vuqlwph 16 & iwoZ vof/k 0;;

	Fig as at 31.03.2019	Fig as at 31.03.2018
पूर्व अवधि व्यय	109662.00	-
tksM+	**109662.00**	**-**

vuqlwph 17 & ;kstukxr vuqnkuksa lsa 0;;

d- vuqla/kku f'k{kk vkSj çf'k{k.k		
अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन	9,384,742.00	9,408,641.59
शिक्षण कार्यक्रम	12,766,768.00	10,676,763.76
ग्रामीण कार्यक्रम	3,243,367.00	2,427,483.00
सूचना प्रौद्योगिकी	719,013.00	436,810.00
परिसर सेवाएं	14,235,143.00	14,245,901.37
tksM+ ¼d½	**40,349,033.00**	**37,195,599.72**
[k- iwokZskŸkj jkT;ksa dsfy, dk;Øe@ifj;kstuk,a		
शिक्षण कार्यक्रम	7,570,616.00	8,284,820.78
परियोजनाएं ;जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी/अवसंरचना/प्रकाशन शामिल हैं)	855,746.00	2,284,951.00
tksM+ ¼[k½	**8,426,362.00**	**10,569,771.78**
x- iqLrdky; lq/kkjksa dk c<+kuk		
पत्र/पत्रिकाओं के लिए अभिदान	1,738,894.00	2,235,280.00
पुस्तकें	3,151.00	198,995.00
पुस्तकालय का विस्तार/आधुनिकीकरण	82,228.00	-
tksM+ ¼x½	**1,824,273.00**	**2,434,275.00**
?k- volajpuk	**-**	
प्रशासनिक खंड रू नवीकरण एवं उन्नयन	4,161,710.00	5,324,525.00
अवसंरचना विकास	1,841,212.00	9,675,505.00
tksM+ ¼?k½	**6,002,922.00**	**15,000,030.00**
;kstukxr vuqnkuksa lsa dqy 0;; ¼d ls ?k½	**56,602,590.00**	**65,199,676.50**
उद्दिष्ट निधि में अंतरित राशि	4,569,807.00	5,324,525.00
घटाएं: पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत	1,436,266.00	9,874,500.00
	6,006,073.00	15,199,025.00
vk; 0;; [kkrsa esa jde dk varj.k	**50,596,517.00**	**50,000,651.50**

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk
38 ekp 2019 dk lekIr o"k d fy, y[kk dh vulfp;k

vulph l- 18 : egRoi.k y[kk uhfr;k ,o y[kk ij fVIif.k;k

d- egRoi.k y[kk uhfr;k

1. foÙkh; vkfpR; d ekud

हर स्तर पर वित्तीय आदेश एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करने के क्रम में सभी संगत वित्तीय मानकों का, जो वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसी स्वायत्त संस्थाओं के लिए निर्धारित हैं, पालन किया जाता है।

2. foÙkh; fooj.k

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय अन्यत्र बतायी गई और अनुप्रयोज्य लेखाकरण मानकों पर आधारित सीमा के। संस्थान के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा और तुलनपत्र शामिल हैं।

3. vpy ifjlEifÙk;k

अचल परिसम्पतियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नि:शुल्क प्रदान किया गया था और इसलिए इसे तुलनपत्र में शून्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

4. eY;gkl

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को निम्नलिखित दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर किया जाता है।

ifjlEifÙk;k dh J.kh	eY;gkl dh nj
भवन	10%
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
कार्यालय उपकरण	15%
वाहन	15%
सूचना प्रौद्योगिकी (वेबसाइट)	15%
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%
अमूर्त आस्तियां (एमएस ऑफिस)	25%
कंप्यूटर एवं सहायक यंत्र	40%

5. ithxr oLrvk ij buiV dj ØfMV ¼th,lVh½

धारा 2 (19) के अनुसार 'पूँजीगत वस्तुओं' का आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनका मूल्य इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले व्यक्तियों के खाता बहियों में पूँजीकृत किया जाता है तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है अथवा उपयोग किया जा सकता है।

संस्थान ने क्रय की गयी पूँजीगत वस्तुओं के संदर्भ में किसी आईटीसी का दावा नहीं किया है तथा धनराशि को संबंधित परिसंपत्तियों के साथ पूरी तरह पूँजीकृत किया गया है।

6. io vof/k lek;ktu

01.04.2010 से लेखाकरण प्रणाली के नकदी लेखाकर प्रणाली से प्रोद्भूत लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के कारण पूर्व अवधि समायोजनों के प्रभाव को संस्थान के अंतिम लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

7. oLr lfp;k

वस्तु सूचियों, जिनमें वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखनसामग्री/विविध स्टोर मदें शामिल हैं, को राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

8. deZpkjh fgr ykHk

संस्थान ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार फरवरी 2012 से भारत सरकार की नई पेंशन योजना को चुना है।

[k- ys[kkvksa ij fVIif.k;k¡

1. ys[kkadu dk vk/kkj

31.03.2010 को समाप्त वर्ष तक संस्थान जो एक गैर-लाभ वाला संगठन है, के लेखों को नकदी आधार पर तैयार किया जाता था। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया, जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010–11 से संस्थान के लेखे प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जा रहे हैं और इनमें निम्न को छोड़कर तदुनसार प्रावधान किए गए हैं:

क. केद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को देय वेतनों एवं भत्तों को प्रदत्त आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. खरीदी गई लेखन सामग्री एवं अन्य मदों को नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2. fuos'k uhfr

संस्थान के संगम ज्ञापन और नियम एवं विनयम की धारा XIV (ii) के आधार पर निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों में किया जा रहा है।

3. lgk;rk vuqnku

संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता अनुदान प्राप्त करता है और उपयोग प्रमाणपत्र हर वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

4- iwath ,oa jktLo ys[kk

पूंजी स्वरूप के व्यय को सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आदेश के अनुसार हमेशा राजस्व व्यय से अलग रखा जाता है।

5- fofo/k nsunkj vkSj fofo/k ysunkj

संस्थान, ऐसे व्यावसायिक कार्यकलाप एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें अन्य संस्थानों, मंत्रालय एवं विभाग आदि द्वारा प्रायोजित किया जाता है, और इन पर व्यय ऐसी एजेंसियों की ओर से करता है। इन एजेंसियों से अग्रिमों अथवा ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति को प्राप्ति अथवा भुगतान-बाहरी कार्यक्रम अथवा एजेंसी शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है।

6- vpy ifjlEifRr;k¡ ,oa ewY;gzkl

क. अचल परिसम्पत्तियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान ह्रासित मूल्य आधार पर लेखाकरण नीतियों (उपरोक्त) के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित मूल्यह्रास प्रदान कर रहा है और मूल्यह्रास को लेखाकरण वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों के परिवर्धन और/अथवा विलोपन को समंजित करने के बाद अथवा डब्ल्यू.डी.वी. पर प्रभारित किया जाता है।

ख. मूल्यह्रास को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के आधे दरों पर प्रभारित किया गया है, जिन्हें वर्ष के दौरान 180 से कम दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। 10,000 रुपये से कम लागत वाली परिसम्पत्तियों (पुस्तकालय की पुस्तकों के अलावा) को राजस्व लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7- ifjlEifRr;ksa dk çR;{k lR;kiu

संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का अस्तित्व इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समिति द्वारा प्रमाणित होता है।

8- ljdkjh /ku dk #duk

संस्थान ने वर्ष 2000–01 से 2018–19 तक सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई को संस्थान में विभिन्न सिविल कार्यों एवं इलैक्ट्रिकल कार्यों आदि के निर्माण/नवीकरण हेतु 6,25,66,975/– रुपए की राशि अग्रिम में दी थी। संस्थान ने उक्त अग्रिम में से 26,15,251/– रुपए का उपयोग एवं भवन में पूंजीकृत किया है। शेष राशि का उपयोग अभी भी सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई से प्रतीक्षित है। संस्थान सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई से इस अग्रिम का निपटारा करने की प्रक्रिया में है।

9- संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान 31.03.2019 तक की अवधि तक उपदान एवं देय अर्जित अवकाश का बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया है।

fooj.k	31-03-2019 rd çko/kku	31-03-2018 rd çko/kku
minku	34,965,032.00	33,466,205.00
vftZr vodk'k	25,575,824.00	23,782,113.00
	60]540]856]00	57]248]318]00

10- vk;dj fooj.kh

संस्थान ने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय की विवरणी दायर की थी।
संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान अपनी तिमाही टीडीएस विवरणी दायर की थी।

11- vkxs ys tk;k x;k vf/k'ks"k

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थान को योजनागत एवं गैर योजनागत कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदानों को राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से प्रचालित किया जाता है और उसी वर्ष में इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, जिस वर्ष में इसे स्वीकृत किया जाता है। परिणामतः संस्थान के पास अगले वर्ष हेतु आगे ले जाने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्यों के लिए उद्दिष्ट निधि, जो वर्ष के अंत तक पूरी तरह खर्च नहीं की गयी थी, को अगले वर्ष हेतु आगे ले जाया जा रहा है।

12- vkdfLed ns;rk,

वर्तमान में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

13- vkjf{kr ,oa vf/k'ks"k oLrqvksa dk oxhZdj.k

खातों के सामान्य प्रारूप के अनुसार गृह निर्माण भत्ता, कंप्यूटर एवं बाह्य परियोजना निधि को उद्दिष्ट निधि में शामिल किया गया है।

14- पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

vuqlfp;k 1 ls 18 gLrk{kfjr

drs% d".k dqekj pukuh ,.M ,lksfl,Vl

सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

drs% oh oh fxfj jk"Vh; Je lLFkku

g-@	g-@	g-@	g-@
d".k dqekj pukuh	'kSysUnz dqekj	g"kZ flag jkor	MkW- ,p- Jhfuokl
साझेदार (सद. सं. 056045)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 15/06/2019

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है।

विज़न

''संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केंद्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।''

मिशन

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना; और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in